

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

शिक्षा एवं प्रशिक्षण का आंचलिक संस्थान, चंडीगढ़
ZONAL INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINING, CHANDIGARH



संक्षिप्त अध्ययन सामग्री / Brief Study Material

शैक्षिक सत्र / Session - 2021-22

सत्र / Term - 2

कक्षा / Class - बारहवीं

विषय / Subject - हिन्दी (केन्द्रिक)

विषय कोड / Subject Code - 302

शिक्षा एवं प्रशिक्षण का आंचलिक संस्थान, चंडीगढ़

सेक्टर - 33 सी, चंडीगढ़

वेबसाइट- zietchandigarh.kvs.gov.in ई-मेल

:kvszietchd@gmail.com

दूरभाष-0172-2621302, 2621364

हमारे संरक्षक

1. श्रीमती निधि पांडे, आईआईएस आयुक्त, के वि सं
2. डॉ. ई. प्रभाकर अपर आयुक्त (शैक्षिक)
3. श्रीमती पिया ठाकुर संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)
4. श्री सत्य नारायण गुलिया संयुक्त आयुक्त (वित्त)
5. श्री एन. आर. मुरली संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)
6. श्री एस. एस. रावत संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

DIRECTOR'S MESSAGE



Our aim is to provide such brief study materials and sample papers to the student that not only guides students to the path of success, but also inspires them to recognize and explore their own inner potential. The Board exam preparation is based on three pillars – **Concept Clarity, Contextual familiarity and Application Expertise**. Our innovative and dedicated teaching materials ensure that every student gets a firm grip of each of these pillars so very essential for these arduous preparations.

We also understand the importance of CBSE board exam as students' future goal depends upon the performance in board exams. We know that in pandemic situation the students feel a lot of pressure of performance in board exam. It is very important to develop the right exam temperament in students so they can tackle the pressure & surprises easily. In this direction, to release such brief study materials and sample papers will help to the students a lot.

विषय-सूची / INDEX

पाठ्य विवरण	पृष्ठ संख्या
1. द्वितीय सत्र का पाठ्यक्रम	1
2. अध्ययन सामग्री -1	3
3. अध्ययन सामग्री -2	14
4. अध्ययन सामग्री -3	25
5. अध्ययन सामग्री -4	44
6. अध्ययन सामग्री -5	59
7. अध्ययन सामग्री -6	80

कक्षा 12वीं हिंदी 'आधार' परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-2022 (कोड सं. 302) द्वितीय सत्र		
विषयवस्तु	उप भार	कुलभार
1 कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन		20
1 दिए गए तीन नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन (5 अंक x1 प्रश्न)	05	
2 औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन। (5 अंक x1 प्रश्न) (विकल्प सहित)	05	
3 कहानी/नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित दो लघु उत्तरीय प्रश्न (3 अंक x 1 प्रश्न) + (2 अंक x 1 प्रश्न) (विकल्प सहित)	05	
4 समाचार लेखन/फीचर लेखन/आलेख लेखन पर आधारित दो लघु उत्तरीय प्रश्न (3 अंक x 1 प्रश्न) + (2 अंक x 1 प्रश्न) (विकल्प सहित)	05	
2 पाठ्यपुस्तक आरोह भाग - 2 तथा अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग-2		20
1 काव्य खंड पर आधारित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर (लगभग 50-60 शब्दों में) (3 अंक x 2 प्रश्न)	6	
2 गद्य खंड पर आधारित चार प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर (लगभग 50-60 शब्दों में) (3 अंक x 3 प्रश्न)	9	
3 अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग-2 के पठित पाठों पर तीन अंक का एक तथा दो अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा (विकल्प सहित) (1 X 3)+(1 X 2)	5	
3 आंतरिक मूल्यांकन		10
परियोजना कार्य	10	
कुल अंक		50

सत्र-2 2021-22 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं -

पाठ्यपुस्तक - आरोह भाग - 2

काव्य खंड	गद्य खंड
शमशेर बहादुर सिंह - उषा	फणीश्वर नाथ रेणु - पहलवान की ढोलक
तुलसीदास - (i) कवितावली (ii) लक्ष्मण मूर्च्छा और राम का विलाप	रज़िया सज्जाद ज़हीर - नमक
फ़िराक गोरखपुरी - (i) रुबाइयाँ (ii) गज़ल	बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर - (i) श्रम विभाजन और जाति - प्रथा (ii) मेरी कल्पना का आदर्श समाज

अभिव्यक्ति और माध्यम

1. कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण
2. कैसे बनता है रेडियो नाटक
3. नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन
4. पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया
5. विशेष लेखन - स्वरूप और प्रकार

अनुपूरक पाठ्यपुस्तक - वितान भाग - 2

1. ओम थानवी - अतीत में दबे पाँव
2. ऐन फ्रैंक - डायरी के पन्ने

निर्धारित पुस्तकें:

1. **आरोह, भाग-2**, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण
2. **वितान, भाग-2**, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण
3. **अभिव्यक्ति और माध्यम**, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण

रचनात्मक-लेखन

- किसी एक भाव, विचार या कथन को विस्तार देने के लिए 150-200 शब्दों में लिखे गए सुसंगत लेख को रचनात्मक लेखन कहते हैं।
- इसमें किसी महत्वपूर्ण घटना, दृश्य, समस्या अथवा विषय को शामिल किया जा सकता है। इसे संक्षिप्त (कम शब्दों में) किन्तु सारगर्भित (अर्थपूर्ण) ढंग से लिखा जाता है।
- अनुच्छेद एक तरह से 'निबंध' का ही संक्षिप्त रूप होता है। इसमें दिए गए विषय के किसी एक पक्ष पर अपना विचार प्रस्तुत करना होता है।
- अनुच्छेद अपने-आप में स्वतन्त्र और पूर्ण होता है। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव प्रायः या तो आरम्भ में या फिर अन्त में होता है।

अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए –

- (1) अनुच्छेद या निबंध या लेख लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत-बिंदु आदि बनानी चाहिए। कभी-कभी प्रश्नपत्रों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत-बिंदु आदि दिए होते हैं। आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत-बिंदु इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है।
- (2) अनुच्छेद या लेख में दिए गए विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। क्योंकि यह सदैव सीमित शब्दों में लिखा जाता है।
- (3) अनुच्छेद की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। ताकि पाठक अनुच्छेद पढ़कर आपकी बात को सही से समझ सके।
- (4) एक ही बात को बार-बार नहीं दोहराना चाहिए। इससे आप अपनी बात को कम शब्दों में पूरा नहीं कर पाएँगे।
- (5) आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से न भटक जाएँ।
- (6) दिए गए निर्देश के अनुसार तय शब्द-सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें।
- (7) पूरे अनुच्छेद में एकरूपता बनाए रखनी चाहिए।
- (8) विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है।

अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएँ –

- (1) अनुच्छेद में किसी एक भाव, विचार या तथ्य एक बार ही व्यक्त होता है। इसमें अन्य विचारों का कोई महत्व नहीं होता है।
- (2) अनुच्छेद के सभी वाक्य एक-दूसरे से गठित और सुसंबद्ध होते हैं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
- (3) अनुच्छेद एक स्वतन्त्र और पूर्ण रचना है, जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता।
- (6) अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किन्तु इसकी लघुता या विस्तार विषयवस्तु पर निर्भर करता है।

मेरे जीवन का लक्ष्य

जीवन एक यात्रा के समान है। जिस प्रकार यात्रा प्रारंभ करने से पहले व्यक्ति अपना गंतव्य स्थान निश्चित करता है, वैसे ही हमें भी अपनी जीवन-यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपना कार्य-क्षेत्र निर्धारित कर लेना चाहिए। हर विद्यार्थी को अपने जीवन का उद्देश्य व लक्ष्य निश्चित कर लेना चाहिए। लक्ष्यहीन जीव स्वच्छंद रूप से सागर में छोड़ी हुई नाव के समान होता है। ऐसी नौका या तो भेंवर में डूब जाती है या चट्टान से टकराकर चूर-चूर हो जाती है। मैंने भी अपने जीवन में अध्यापक बनने का निश्चय किया है। मैं उस कर्म को श्रेष्ठ समझता हूँ, जिससे व्यक्ति अपना व अपने परिवार का तो कल्याण कर ही सके, साथ ही समाज को भी दिशा-निर्देश दे सके।

अध्यापक का कार्य भी कुछ इसी प्रकार का है। वह सरस्वती के मंदिर का एक ऐसा पुजारी है जो मनुष्य को सच्चा मानव बनाता है। बिना विद्या के मनुष्य बिना सींग और पूँछ के चलता-फिरता पशु है। महादेवी जी का कहना है-“विकसते मुरझाने को फूल, उदय होता छिपने को चंद्र” अर्थात् फूल मुरझाने के लिए विकसित होता है और चाँद छिपने के लिए, किंतु फूल मुरझाने से पहले अपनी सुगंध का प्रसार करता है और चाँद भी छिपने से पहले अपनी शीतल चाँदनी से संसार को आनंदित करता है। इस तरह मैं व्यक्ति की योग्यता को तब तक सार्थक नहीं समझता जब तक वह समाज के लिए लाभदायक न हो।

अध्यापक यह कार्य करने की सर्वाधिक क्षमता रखता है। मेरा विश्वास है कि शिक्षा के समुचित विकास के बिना कोई भी नागरिक न अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है और न कभी दूसरों के अधिकारों का सम्मान कर सकता है। मैं एक शिक्षक बनकर शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने का प्रयत्न करूँगा। प्रचलित शिक्षा-पद्धति में अनेक कमियाँ हैं। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में सस्ते क्लर्क पैदा करना था।

अतः उन्होंने गुलाम मानसिकता प्रदान करने वाली शिक्षा-व्यवस्था बनाई जो चंद्र परिवर्तनों को छोड़कर आज भी ज्यों-की-त्यों लागू है। मैं इस क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहूँगा। विद्यालय परिसर के बाहर भी विद्यार्थियों के साथ अत्यंत निकट का संपर्क स्थापित करूँगा और हर विद्यार्थी की योग्यता व रुचि को समझने का प्रयत्न करूँगा।

पढ़ाई के साथ-साथ कला, शिल्प आदि सिखाने का भी भरसक प्रयास करूँगा, जिससे विद्यार्थी केवल नौकरी पर आश्रित न रहे, अपितु वह अन्य क्षेत्रों में भी रोजगारपरक कार्य कर सके। साथ-साथ मैं सदैव शिक्षा, सद्व्यवहार और सहानुभूति द्वारा विद्यार्थियों में श्रेष्ठ भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न करूँगा। इस प्रकार अध्यापक ही बच्चों को मानवता और विश्व-बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है। इसीलिए कबीर ने गुरु को गोविंद से भी उच्च आसन पर आसीन किया है-“गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागौ पाँय ।

बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय।।” अतः मैं भी सफल और श्रेष्ठ अध्यापक बनकर विद्यार्थियों के मनमंदिर का देवता बनने का सौभाग्य प्राप्त करूँगा।

विज्ञापन का महत्त्व

जब समाचार-पत्रों में सर्वसाधारण के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको 'विज्ञापन' कहते हैं। यह सूचना नौकरियों से संबंधित हो सकती है, खाली मकान को किराये पर उठाने के संबंध में हो सकती है या किसी औषधि के प्रचार से संबंधित हो सकती है। कुछ लोग विज्ञापन के आलोचक हैं। वे इसे निरर्थक मानते हैं। उनका मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी, जबकि खराब वस्तुएँ विज्ञापन की सहायता से प्रचलित होने के बावजूद अधिक दिनों तक टिक नहीं पाएँगी, परंतु लोगों की यह सोच गलत है, क्योंकि आज के युग में उत्पादों की संख्या दिनपर-दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में विज्ञापनों का होना अनिवार्य हो जाता है। किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के विशाल संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है। विज्ञापन ही वह शक्तिशाली माध्यम है जो उत्पादक और 'उपभोक्ता' दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। वह उत्पाद को उपभोक्ता के संपर्क में लाता है तथा माँग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करता है। पुराने जमाने में विज्ञापन मौखिक तरीके से होता था, जैसे-काबुल का मेवा, कश्मीर की जरी का काम, दक्षिण भारत के मसाले आदि।

उस समय आवश्यकता भी कम होती थी तथा लोग किसी वस्तु के अभाव की तीव्रता का अनुभव नहीं करते थे। आज समय तेजी का है। संचार क्रांति ने जिंदगी को 'स्पीड' दे दी है और मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं। लोग जिस वस्तु की खोज में रहते हैं, विज्ञापन द्वारा ही उसे कम खर्च में सुविधा के साथ प्राप्त कर लेते हैं, यही विज्ञापन की पूर्ण सार्थकता है। विज्ञापन से व्यक्ति अपने व्यापार व व्यवसाय को फैला सकता है। अतः आधुनिक संसार विज्ञापन का संसार है। यदि हम किसी समाचार-पत्र या पत्रिका के पन्ने उलटते हैं तो विभिन्न प्रकार के विज्ञापन हमारा स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। विभिन्न मुद्राओं के चित्र, भावपूर्ण शैली, लालसा व कौतूहल पैदा करने वाले विज्ञापनों के ढंग हमारा मन मोह लेते हैं। घर से निकलते ही सड़कों पर होर्डिंग्स आपको रुकने पर विवश कर देते हैं तो घर के अंदर टी०वी० हर समय आपको कोई-न-कोई उत्पाद दिखाता रहता है। यह विज्ञापन का संसार इतना आकर्षण पैदा करता है कि संयमी व चतुर भी इससे बच नहीं पाता। आज विज्ञापन एक व्यापार बन गया है। विज्ञापन द्वारा व्यापार बढ़ता है। किसी वस्तु की माँग बढ़ती है। विज्ञापन के सिर्फ़ लाभ ही हों, ऐसा नहीं है। इसके नुकसान भी हैं। विज्ञापन व्यवसाय के विश्वास को डगमगा देता है। धूर्तता के कारण वस्तु या सेवा के हानिकारक पक्षों को नहीं दिखाया जाता। कंपनियाँ बिक्री बढ़ाने के चक्कर में अश्लीलता की तमाम हदें पार कर जाती हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए तथा दोषियों को सजा दे। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ़ भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

युवा असंतोष

आज चारों तरफ असंतोष का माहौल है। बच्चे-बूढ़े, युवक-प्रौढ़, स्त्री-पुरुष, नेता-जनता सभी असंतुष्ट हैं। युवा वर्ग विशेष रूप से असंतुष्ट दिखता है। घर-बाहर सभी जगह उसे किसी-न-किसी को कोसते हुए देखा-सुना जा सकता है। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण नजर आता है नेताओं के खोखले आश्वासन। युवा वर्ग को शिक्षा ग्रहण करते समय बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाए जाते हैं।

वह मेहनत से डिग्रियाँ हासिल करता है, परंतु जब वह व्यावहारिक जीवन में प्रवेश करता है तो खुद को पराजित पाता है। उसे अपनी डिग्रियों की निरर्थकता का अहसास हो जाता है। इनके बल पर रोजगार नहीं मिलता। इसके अलावा, हर क्षेत्र में शिक्षितों की भीड़ दिखाई देती है। वह यह भी देखता है कि जो सिफारिशी है, वह योग्यता न होने पर भी मौज कर रहा है वह सब कुछ प्राप्त कर रहा है जिसका वह वास्तविक अधिकारी नहीं है।

वस्तुतः उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की इच्छाएँ भड़का दी जाती हैं। राजनीति से संबंधित लोग तरह-तरह के प्रलोभन देकर उन्हें भड़का देते हैं। राजनीतिज्ञ युवाओं का इस्तेमाल करते हैं। वे उन्हें चुनाव लड़ाते हैं। कुछ वास्तविक और नकली माँगों, सुविधाओं के नाम पर हड़तालें करवाई जाती हैं। इन सबका परिणाम शून्य निकलता है। युवा लक्ष्य से भटक जाते हैं। बेकारों की अथाह भीड़ को निराशा और असंतोष के सिवाय क्या मिल सकता है! जबकि समाज युवाओं को 'कल का भविष्य' कहता है। इन्हें उन्नति का मूल कारण मानता है, परंतु सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्र में उन्हें मात्र बरगलाया जाता है।

उनकी वास्तविक जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें महज सपने दिखाए जाते हैं। पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा, सभ्यता-संस्कृति, राजनीति और सामाजिकता हर क्षेत्र में उन्हें बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं, परंतु ये सपने हकीकत से बेहद दूर होते हैं। जब सपने पूरे न हों तो असंतोष का जन्म होना स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार के द्वारा जिन युवाओं के सपने पूरे किए जाते हैं, ऐसे लोग आगे भी अनैतिक कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं।

इनकी शान-शौकत भरी बनावटी जिंदगी आम युवा में हीनता का भाव जगाकर उन्हें असंतुष्ट बना देती है। ऐसे में जब असंतोष, अतृप्ति, लूट-खसोट, आपाधापी आज के व्यावहारिक जीवन का स्थायी अंग बन चुके हैं तो युवा से संतुष्टि की उम्मीद कैसे की जा सकती है? समाज के मूल्य भरभराकर गिर रहे हैं, अनैतिकता सम्मान पा रही है, तो युवा मूल्यों पर आधारित जीवन जीकर आगे नहीं बढ़ सकते।

बेरोजगारी की समस्या

यहाँ जो समस्याएँ दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ी हैं, इनमें जनसंख्या-वृद्ध, महँगाई,

बेरोजगारी आदि मुख्य हैं। इनमें से बेरोजगारी की समस्या ऐसी है जो देश के विकास में बाधक होने के साथ ही अनेक समस्याओं की जड़ बन गई है। किसी व्यक्ति के साथ बेरोजगारी की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब उसे उसकी योग्यता, क्षमता और कार्य-कुशलता के अनुरूप काम नहीं मिलता, जबकि वह काम करने के लिए तैयार रहता है।

बेरोजगारी की समस्या शहर और गाँव दोनों ही जगहों पर पाई जाती है। नवीनतम आँकड़ों से पता चला है कि इस समय हमारे देश में ढाई करोड़ बेरोजगार हैं। यह संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। यद्यपि सरकार और उद्यमियों द्वारा इसे कम करने का प्रयास किया जाता है, पर यह प्रयास ऊँट के मुँह में जीरा साबित होता है। हमारे देश में विविध रूपों में बेरोजगारी पाई जाती है। पहले वर्ग में वे बेरोजगार आते हैं जो पढ़-लिखकर शिक्षित और उच्च शिक्षित हैं। यह वर्ग मज़दूरी नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने में उसकी शिक्षा आड़े आती है।

दूसरे वर्ग में वे बेरोजगार आते हैं जो अनपढ़ और अप्रशिक्षित हैं। तीसरे वर्ग में वे बेरोजगार आते हैं जो काम तो कर रहे हैं, पर उन्हें अपनी योग्यता और अनुभव के अनुपात में बहुत कम वेतन मिलता है। चौथे और अंतिम वर्ग में उन बेरोजगारों को रख सकते हैं, जिन्हें साल में कुछ ही महीने काम मिल जाता है। खेती में काम करने वाले मज़दूरों और किसानों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। बेरोजगारी के कारणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि इसका मुख्य कारण ओद्योगीकरण और नवीनतम साधनों की खोज एवं विकास है। जो काम हजारों मज़दूरों द्वारा महीनों में पूरे किए जाते थे, आज मशीनों की मदद से कुछ ही मज़दूरों की सहायता से कुछ ही दिनों में पूरे कर लिए जाते हैं।

उदाहरणस्वरूप जिन बैंकों में पहले सौ-सौ क्लर्क काम करते थे, उनका काम अब चार-पाँच कंप्यूटरों द्वारा किया जा रहा है। बेरोजगारी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या-वृद्धि। आजादी मिलने के बाद सरकार ने रोजगार के नए-नए अवसरों का सृजन करने के लिए नए पदों का सृजन किया और कल-कारखानों को स्थापना की। इससे लोगों को रोजगार तो मिला, पर बढ़ती जनसंख्या के कारण ये प्रयास नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। बेरोजगारी का अन्य कारण है-गलत शिक्षा – नीति, जिसका रोजगार से कुछ भी लेना – देना नहीं है।

फलतः बेरोजगारी दिन-पर दिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी एक और जहाँ परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति बाधक है, वहीं यह खाली दिमाग शैतान का घर होने की स्थिति उत्पन्न करती है। ऐसे बेरोजगार युवा अपनी ऊर्जा का उपयोग ममाज एवं राष्ट्र विरोधी कार्यों में करते हैं। फलतः सामाजिक शांति भंग होती है तथा अपराध का ग्राफ बढ़ता है। बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए शिक्षा को रोजगार से जोड़ने को आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा को त्रिदूयालयों में लागू करने के अलावा अनिवार्य बनाना चाहिए।

स्कूली पाठ्यक्रमों में श्रम की महिमा संबन्धी पाठ शामिल किया जाना चाहिए ताकि युवावर्ग श्रम के प्रति अच्छी सोच पैदा कर सके। इसके अलावा एक बार गुन: लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना एवं उनके विकास के लिए उचित वातावरण बनाने को आवश्यकता है। किसानों को खाली समय में दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जैसे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस काम में सरकार के अलावा धनी लोगों को भी आगे आना चाहिए ताकि भारत बेरोजगार मुक्त बन सके और प्रगति के पथ पर चलते हुए विकास की नई ऊँचाइयाँ छू सके।

विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता

विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इस काल में सीखी गई बातों पर ही पूरा जीवन निर्भर है। और असुंदर बनाने में इस काल का सर्वाधिक महत्व है। जिस प्रकार किसी प्रासाद की मजबूती और उसकी नींव या आधारशिला की मजबूती पर निर्भर करती है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की सुख-शांति, विचार और व्यवहार उसके विद्यार्थी-जीवन पर निर्भर करता है।

विद्यार्थी-जीवन में बालक का मस्तिष्क गीली – होता है, जिसे मनचाहा आकार प्रदान करके भाँति-भाँति के खिलौने और मूर्तियाँ बनाई जा हैं। उसी मिट्टी के सूख जाने और पका लिए जाने पर उसे और कोई नया आकार नहीं दिया जा सकता। अतः इस काल में विद्यार्थी अनुशासन, सच्चरित्रता, सदाचारिता आदि का भरपूर पालन करना चाहिए ताकि वह समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सके। हालाँकि आज विद्यार्थियों में बढ़ती के लिए चिंता का विषय है।

अनुशासनहीनता के मूल कारणों पर यदि विचार करें तो ज्ञात होता है कि इसका पिता के संस्कार तथा उसकी शरारतों को अनदेखा किया जाना है। बच्चे की अनुशासनहीनता की करे या विद्यालय प्रशासन माता-पिता अपने बच्चे के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तथा उसे निर्दोष बताने हैं। अनुशासनहीन विद्यार्थियों का मनोबल और भी बढ़ जाता है। अनुशासनहीनता बढ़ाने में वर्तमान शिक्षाप्रणाली भी कम उत्तरदायी नहीं है।

विद्यार्थियों को रट्टू तोता बनाने वाली शिक्षा से व्यावहारिक ज्ञान नहीं हो पाता। इसके अलावा, पाठ्यक्रम में नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। विद्यालयों में सुविधाओं की कमी, कुप्रबंधन, अध्यापकों की कमी, उनकी अरुचिकर शिक्षण-विधि, खेल-कूद की सुविधाओं का घोर अभाव, पाठ्यक्रम की अनुपयोगिता, शिक्षा का रोजगारपरक न होना, उच्च शिक्षा पाकर भी रोजगार और नौकरी की अनिश्चयभरी स्थिति विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न करती है।

विद्यार्थियों की मनोदशा का अनुचित फायदा राजनैतिक तत्व उठाते हैं। वे विद्यार्थियों को भड़काकर स्कूल-कॉलेज बंद करवाने तथा उनका बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे विद्यार्थियों बढ़ती है। विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए माता-पिता, विद्यालय-प्रशासन और सरकारी तंत्र तीनों को ही अपनी-अपनी भूमिका का उचित निर्वहन करना होगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

प्रतिदिन प्रार्थना-सभा में नैतिक शिक्षा देने के अलावा इसे पाठ्यक्रम का अंग बनाना चाहिए। विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए इतनी सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए कि विद्यालय और वर्गकक्ष में उनका मन लगे। निष्कर्षतः आज शिक्षा-प्रणाली और शिक्षा-व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव लाने की आवश्यकता है। शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाकर तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए नैतिक सीख देकर अनुशासनहीनता की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है।

ग्लोबल वार्मिंग

ग्लोबल वार्मिंग शब्द पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर अगर काबू नहीं किया गया तो यह पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर देगा। सीएफसी-11 और सीएफसी-12 जैसी ग्रीन हाउस गैसों ने सूरज के थर्मल विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी के वातावरण को गर्म बना दिया। ये गैसों सूर्य की किरणों को वायुमंडल में प्रवेश तो करने देती हैं, लेकिन उससे होने वाले विकिरण को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं। इसी को ग्रीनहाउस प्रभाव कहा जाता है, जो पूरे विश्व में तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तापमान में वृद्धि से वर्षा चक्र , पारिस्थितिक संतुलन, मौसम का चक्र आदि प्रभावित होते हैं। यह वनस्पति और कृषि को भी प्रभावित करता है। जिसके कारण हमें दुनिया भर में लगातार बाढ़ और सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तापमान में वृद्धि और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण बर्फबारी जैसी घटनाओं में भी कमी आयी है। तापमान में वृद्धि से आद्रता में भी वृद्धि हुई है क्योंकि तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हुई है। स्थानीय सरकारों को चाहिए की वह लोगों के बीच जागरूकता पैदा करे तथा ऐसे उपकरणों और वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करे जो पर्यावरण के अनुकूल हो। पेपर, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों की रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे प्रयासों को लोगों द्वारा जमीनी स्तर पर करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम एक प्रभावी तरीके से इस भयानक समस्या का मुकाबला कर सकते हैं।

पत्र-लेखन

पत्र का महत्व : दैनिक व्यवहार में पत्र-लेखन अति महत्वपूर्ण है। पत्र सूचनाओं के आदान-प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना भेजने एवं प्राप्त करने में पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्र सदैव लिखित रूप में ही होता है।

पत्र के अंग :

आरंभ- (1) संबोधन (2) अभिवादन (3) विषय निरूपण

मध्य- (4) विषय विस्तार (5) निवेदन

समापन- (6) धन्यवाद ज्ञापन (7) प्रेषक का नाम, पता व दिनांक

पत्र के प्रकार :

(1) **औपचारिक पत्र** - जो पत्र अधिकारियों, कार्यालय के प्रमुखों, संस्था के प्रधानों तथा किसी प्रतिष्ठान के संचालकों को आवश्यकता पढ़ने पर लिखे जाते हैं, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में कार्यालयी, शिकायती, संपादकीय और व्यावसायिक पत्र शामिल होते हैं।

(2) **अनौपचारिक पत्र** - जो पत्र सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, पारिवारिक लोगों एवं मित्रों को यथावसर लिखे जाते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं।

इन पत्रों में व्यक्तिगत (निजी), पारिवारिक और सामाजिक पत्र शामिल होते हैं।

औपचारिक पत्र का उदाहरण

अपने विद्यालय के प्राचार्य को संध्याकालीन खेल की उचित व्यवस्था के लिए पत्र लिखिए।

सेवा में

श्रीमान प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय क्र.-1,

सेक्टर 31 डी, चंडीगढ़।

विषय : विद्यालय में संध्याकालीन खेलों की उचित व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

आपसे सविनय निवेदन है कि मैं रोहित कुमार इस विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा दसवीं का छात्र हूँ। इस विद्यालय के कई छात्र और छात्राएँ संकुल एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब वे सभी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहते हैं किन्तु विद्यालय में शाम को अभ्यास करने और खेलने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कुछ छात्र-छात्राएँ क्रिकेट, हॉकी, खो-खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि खेलों में भाग लेना चाहते हैं जबकि कुछ छात्रों की अभिरुचि एथलेटिक्स लंबी दौड़, ऊंची दौड़, बाधा दौड़ इत्यादि में है। मेरा विश्वास है कि कुशल प्रशिक्षक और खेलों की समुचित व्यवस्था मिलने से बच्चे विद्यालय का गौरव बढ़ा सकते हैं।

अतः आपसे आग्रह है कि विद्यालय में संध्याकालीन खेलों की उचित व्यवस्था कराने की महती कृपा करें। उक्त महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा।
धन्यवाद सहित।

दिनांक 15.11.2021

स्थान-चंडीगढ़

आपका विश्वासी

रोहित कुमार

कक्षा दसवीं

अनौपचारिक पत्र का उदाहरण

परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए।

दिनांक 15.11.2021

3/15 शास्त्री नगर,

करनाल (हरियाणा)

प्रिय मित्र भरत,

नमस्ते।

ईश्वर की असीम अनुकंपा से मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और तुम्हारे कुशल होने की कामना करता हूँ। मैंने कल शाम को तुम्हारे पिताजी को फोन किया तो उनसे ज्ञात हुआ कि तुमने दसवीं बोर्ड की परीक्षा में आगरा मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह समाचार सुनकर मेरा मन खुशी से भर गया। दसवीं बोर्ड की परीक्षा में और आगरा मंडल में प्रथम स्थान आने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम परीक्षा में प्रथम श्रेणी से जरूर उत्तीर्ण होगे लेकिन आगरा मंडल में भी प्रथम स्थान प्राप्त करोगे यह उम्मीद से बढ़कर है और बहुत ही अच्छा है। तुम्हारी मेहनत और नियमित अध्ययन ने ही तुम्हें इस सफलता तक पहुंचाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आगे भी तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम मेरे अनुमान को सच साबित करोगे। तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त की जा सकती है।

मैं सदा यही कामना करूंगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य प्राप्त हो और तुम इसी प्रकार परिवार और विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहो। इतना ही नहीं तुम पढ़-लिखकर अच्छी नौकरी प्राप्त करो और देश की सेवा करते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करो। दसवीं परीक्षा और आगरा मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर एक बार पुनः तुम्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ।

तुम्हारा मित्र
पवन

दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा एवं सुझाव देते हुए दूरदर्शन के निदेशक को पत्र।

परीक्षा भवन
नई दिल्ली
दिनांक: 1 मार्च 2021

निदेशक
दूरदर्शन केंद्र
नई दिल्ली।

विषय- दूरदर्शन के कार्यक्रमों की समीक्षा के संबंध में।

महोदय,
मैं आपका ध्यान दिल्ली दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आजकल दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में बदलाव नजर आ रहा है। पहले के मुकाबले आजकल के कार्यक्रमों में विविधता, गुणवत्ता में वृद्धि, आकर्षक प्रस्तुतीकरण शैली का प्रयोग मिलता है। निजी चैनलों की तुलना में दूरदर्शन के कार्यक्रम अश्लीलता से कोसों दूर हैं। ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति की गरिमा को बनाए हुए हैं। इन सबके बावजूद दूरदर्शन के कार्यक्रम सभी आयु-वर्गों को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर बच्चे, युवा व गृहणियाँ अन्य चैनलों की तरफ अधिक आकर्षित हैं। इसका कारण दर्शकों की बदलती अभिरुचि तथा दूरदर्शन की परंपरागत कार्यशैली भी हो सकती है। दूरदर्शन पर सरकारी दबाव भी उसे सभी तरह के कार्यक्रम प्रसारित करने की छूट नहीं देता। समाचार-प्रसारण में दूरदर्शन को अपनी शैली में बदलाव की जरूरत है। उसे सरकारी प्रवक्ता का रूप छोड़कर जनता की आवाज बनना होगा।

आशा है आप मेरे सुझावों को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करेंगे।

धन्यवाद।
भवदीय
क०ख०ग०

महिलाओं की असुरक्षा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता प्रकट करते हुए तथा इसके समाधान हेतु समुचित उपाय बताते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार-पत्र के संपादक को पत्र।

परीक्षा भवन
नई दिल्ली
दिनांक: 1 मई 2021

संपादक महोदय
दैनिक जागरण
सेक्टर 62, गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०)।

विषय- महिलाओं की असुरक्षा की बढ़ती घटनाओं के संबंध में।

महोदय,
मैं आपके लोकप्रिय समाचार-पत्र के माध्यम से समाज व सरकार का ध्यान महिलाओं की असुरक्षा की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आशा है कि आप मेरे विचारों को अपने समाचार-पत्र में स्थान देंगे। आज कोई भी समाचार-पत्र हो या समाचार-चैनल, हर जगह दुष्कर्म, छेड़-छाड़, मार-पिट्टाई, गैंगरेप की खबरें देखने-सुनने एवं पढ़ने को मिलती हैं। आम जनजीवन में कहीं किसी महिला से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो कहीं उसका अपहरण किया जाता है। हर जगह भय का माहौल व्याप्त हो गया है। इन घटनाओं के कारण महिलाएँ मध्ययुगीन जीवन जीने के लिए विवश हो गई हैं। समाज का रवैया महिलाओं के प्रति असहयोगपूर्ण है। वह हर घटना के लिए महिला को दोषी मानता है।

इस समस्या से निपटने के लिए कानून-व्यवस्था को सुधारना होगा। दोषी व्यक्तियों को सजा देनी होगी। इसके अलावा महिलाओं को अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता बढ़ गई है।

भवदीय
क०ख०ग०

कहानी - कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक , भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। साहित्य की सभी विधाओं में कहानी सबसे पुरानी विधा है। जनजीवन में यह सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। प्राचीन काल में कहानियों को कथा, आख्यायिका, गल्प आदि कहा जाता था। वर्तमान दौर में भी कहानी सबसे अधिक प्रचलित है। साहित्य में यह अब अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। पुराने समय में कहानी का मतलब था उपदेश देना या मनोरंजन करना। आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। यही कारण है कि प्राचीन काल की कहानी से आज की कहानी बिल्कुल भिन्न हो गयी है। आधुनिक काल में इसकी आत्मा और शैली दोनों बदल गई है।

कहानी के स्वरूप का बोध कराने वाली कुछ परिभाषाएँ-

प्रसिद्ध अमरीकी लेखक एडगर एलन पो के अनुसार "कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है, जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिये लिखी गई हो , जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्तन और कुछ न हो और जो अपने आप में पूर्ण हो।"

प्रसिद्ध समीक्षक विलियम हेनरी के अनुसार, "लघुकथा में केवल एक ही मूलभाव होना चाहिए। उस मूलभाव का विकास केवल एक ही उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरल ढंग से तर्कपूर्ण निष्कर्षों के साथ करना चाहिए।"

जान फास्टर ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है, "असाधारण घटनाओं की वह श्रृंखला जो परस्पर सम्बद्ध होकर एक चरम परिणाम पर पहुँचाने वाली हो।"

मुंशी प्रेमचंद्र ने कहानी के बारे में लिखा है- "कहानी का उद्देश्य सम्पूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, अपितु उसके चरित्र का एक अंग दिखलाना है।"

इस प्रकार कहानी "हिन्दी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी घटना , पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है , जिसे पढ़कर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है , उसे कहानी कहते हैं "। प्राचीनकाल में वीरों तथा राजाओं के शौर्य , प्रेम, न्याय, ज्ञान, वैराग्य, साहस, समुद्री यात्रा , अगम्य पर्वतीय प्रदेशों में प्राणियों का अस्तित्व आदि की कथाएँ ही कहानी के रूप होती थीं।

कहानी के तत्व- कहानी के कुछ विशेष तत्व होते हैं जो कहानी को पूर्णता प्रदान करते हैं।

कहानी के निम्नलिखित छह तत्व होते हैं- 1-कथावस्तु 2-चरित्र-चित्रण 3-कथोपकथन 4- देशकाल 5-भाषा-शैली 6-उद्देश्य

कथावस्तु- कहानी के ढाँचे को कथानक अथवा कथावस्तु कहा जाता है। इसे कहानी का केंद्र माना जाता है। इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसके भी चार अंग होते हैं- आरम्भ , आरोह, चरम स्थिति तथा अवरोह। यह कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके लिए वस्तु, विषयवस्तु, कथा तथा कथानक आदि समानार्थी शब्द हैं। अंग्रेजी के ' प्लाट ' तथा ' थीम ' शब्द इसी के पर्याय हैं । इस तत्व में कहानीकार अपने जीवन के अनुभवों को प्रस्तुत करता है ।

चरित्र-चित्रण- कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण-दोष को 'चरित्र चित्रण' कहा जाता है। कहानी में लेखक की दृष्टि प्रमुख पात्र के चरित्र पर अधिक रहती है। इसलिए अन्य पात्रों के चरित्र का विकास मुख्य पात्र के सहारे ही होता है। एक अच्छी कहानी में पात्रों की संख्या अधिक नहीं होती है।

कथावस्तु के बाद कहानियों में पात्र और उनके चरित्र-चित्रण का महत्वपूर्ण स्थान है। एक अच्छा कहानीकार अपनी कथावस्तु में घटनाओं और दृश्यों के अनुकूल ही पात्रों की रचना करता है तथा उनके चरित्र का विकास करता है । बाबू गुलाबराय ने कहानी में चरित्र-चित्रण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है- "आजकल कथानक को उतना महत्व नहीं दिया जाता, जितना कि चरित्र-चित्रण और अभिव्यक्ति को।" चरित्र -चित्रण का सम्बन्ध पात्रों से है। कहानी में पात्रों की संख्या कम से कम होती है । कहानी में पात्रों के चरित्र का पूर्ण विकास क्रम नहीं दिखाया जाता, वरन् प्रायः बने बनाए चरित्र के ऐसे अंश पर प्रकाश डाला जाता है, जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व झलक उठे। कहानी में पात्र और कथावस्तु का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है । दोनों मिलकर कहानी के केन्द्रीय भाव को व्यक्त करते हैं। कहानी में कुछ पात्र सामान्य होते हैं और कुछ प्रतीकात्मक। कहानी का कलेवर छोटा होता है, इसलिए उसमें केवल नायक के चरित्र को ही उभारा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में रखकर कहानीकार नायक के चरित्र का उद्घाटन करना अपना उद्देश्य समझता है। चरित्र- चित्रण की सफलता के लिए पात्रों का गतिशील होना आवश्यक होता है। स्थिर पात्रों का चरित्रांकन निर्जीव-सा प्रतीत होता है।

कथोपकथन या संवाद- कहानी में संवाद का भी विशेष महत्व है। इनके द्वारा पात्रों के मानसिक अन्तर्द्वन्द एवं अन्य मनोभावों को प्रकट किया जाता है। पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप को कथोपकथन कहते हैं। कथोपकथन के दो कार्य होते हैं- पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करना और कथा की गति को विकसित करना। संक्षिप्त एवं संयत कथोपकथन कहानी में आकर्षण उत्पन्न करने के साथ-साथ पाठकों की जिज्ञासा को शान्त करते हैं। कथोपकथन का प्रत्येक शब्द सार्थक और सोद्देश्य होना चाहिए ताकि वह पाठकों

पर अपना प्रभाव उत्पन्न कर सके। बाबू गुलाबराय के शब्दों में "कथोपकथन या वार्तालाप द्वारा ही हम पात्रों के हृदयगत भावों को जान सकते हैं। यदि वार्तालाप पात्रों के चरित्र के अनुकूल न हो, तो हम उनके चरित्र का मूल्यांकन करने में भूल कर जाएंगे।" कहानी की रोचकता में वृद्धि करने के लिए कथोपकथन अनिवार्य होते हैं। बौद्धिक और शब्दाडम्बरों से जकड़े हुए कथोपकथन कहानी की स्वाभाविक गति में बाधा उत्पन्न करते हैं।

देशकाल या वातावरण- किसी कहानी को असरदार बनाने के लिए ज़रूरी है कि देश काल का पूरा ध्यान रखा जाये, यह कहानी में वास्तविकता लाता है। कहानी को सजीव एवं स्वाभाविक बनाने में देशकाल या वातावरण का सर्वाधिक महत्व है। प्रत्येक कहानी में किसी स्थान, समय और परिस्थिति का चित्रण होता है, इसी चित्रण को वातावरण की संज्ञा प्रदान की जाती है। सफल वातावरण पाठक के मन पर संवेदनात्मक प्रभाव डालता है। डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल ने इस सम्बन्ध में लिखा है "वास्तविक जीवन देश, काल और जीवन की विभिन्न सत्-असत् परिस्थितियों से निर्मित होता है। अतएव इन तत्वों का एक स्थान पर संचयन और चित्रण करना कहानी में वातावरण उपस्थित करता है। कहानी की कथावस्तु और उसके संचालक पात्रों का सम्बन्ध उक्त स्थितियों से होता है।" कहानी में देशकाल और वातावरण का चित्रण सरल, संक्षिप्त और पात्रों की मानसिक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। वातावरण का अत्यधिक विस्तार कहानी में शिथिलता उत्पन्न कर देता है। एक श्रेष्ठ कहानी में तीनों प्रकार के वातावरण का समन्वय होना आवश्यक होता है। इस प्रकार कहानी में देशकाल और वातावरण वह तत्व होता है जो कहानी के सौन्दर्य में ही वृद्धि नहीं करता वरन् पाठक को निरन्तर आकर्षित और प्रेरित करता है। देशकाल का सर्वाधिक उपयोग आंचलिक कहानियों में कहानीकार करता है। ऐतिहासिक कहानियों में भी देशकाल या वातावरण की महती भूमिका होती है। एक सफल कहानीकार वही है जो देशकाल का सूक्ष्म, सटीक एवं उपयुक्त चित्रण कर पाठक को उस वातावरण का मानसिक प्रत्यक्षीकरण करा देता है।

भाषा-शैली- कहानी के प्रस्तुतीकरण में कलात्मकता लाने के लिए देशकाल के अनुसार अलग-अलग भाषा व शैली से सजाया जाता है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन होती है। कहानी जनसामान्य की विधा है, इसलिए कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए, जो सरल, सजीव और प्रवाहपूर्ण हो। सफल भाषा वही होती है जो कहानी की कथावस्तु, पात्र-योजना, शैली और वातावरण के अनुकूल हो। निरर्थक शब्द योजना और कठिन वाक्य संरचना कहानी के सौन्दर्य तथा स्वाभाविक गति को नष्ट कर देती है। इसलिए कहानी की भाषा में

प्रवाह, भावानुभूति, आलंकारिकता और बिम्बानुभूति आदि गुणों का होना अनिवार्य होता है। उसमें आवश्यकतानुरूप लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग भी होना चाहिए।

कहानी कला के समस्त तत्वों का उपयोग करने की रीति शैली कहलाती है। बाबू गुलाबराय ने शैली का विवेचन करते हुए लिखा है "शैली का सम्बन्ध कहानी के किसी एक तत्व से नहीं वरन् सब तत्वों से है और उसकी अच्छाई और बुराई का प्रभाव पूरी कहानी पर पड़ता है। कहानी की प्रेषणीयता अर्थात् दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति शैली पर ही निर्भर करती है।" किसी बात के कहने या लिखने के विशेष ढंग या प्रकार को शैली कहते हैं। शैली का सम्बन्ध केवल शब्दों से ही नहीं अपितु विचारों और भावों से भी होता है। शैली की कलात्मकता ही कहानी के प्रति पाठक की रोचकता में वृद्धि करती है।

उद्देश्य- हर कहानी का अपना एक अलग उद्देश्य होता है, यह केवल मनोरंजन हेतु ही नहीं होता, इससे लोगों को प्रेरणा भी जाती है। धर्म प्रचारक अपने उद्देश्य को लोगों तक पहुँचाने के लिए कहानी का ही सहारा लेते हैं। प्रत्येक कहानी की रचना का एक उद्देश्य होता है। मनोरंजन से लेकर गम्भीर समस्या-निरूपण तक कहानी का उद्देश्य हो सकता है। कहानी की रचना के पीछे एक ऐसा उद्देश्य छिपा रहता है जिससे पाठक अभिभूत होकर कुछ सोचने के लिए विवश हो जाता है। किसी विशेष प्रवृत्ति को जाग्रत करके हृदय संवेद्य बनाना, किसी विचारभाव या सिद्धान्त का प्रतिपादन करना अथवा सुन्दर मानवीय भावों का चित्रण करना कहानी का उद्देश्य हो सकता है। आज कहानी में अनेक प्रकार की बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निदर्शन भी किया जाने लगा है। मानव-मूल्यों की व्याख्या करना तथा मानव के शाश्वत भावों, अनुभूतियों और समस्याओं पर प्रकाश डालना ही कहानी का उद्देश्य है। कहानीकार के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा आधुनिक कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। बाबू गुलाबराय ने कहानी के उद्देश्य के सम्बन्ध में लिखा है "प्रत्येक कहानी में कोई उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य रहता है। कहानी का ध्येय केवल मनोरंजन या लम्बी रातों को काट कर छोटा करना नहीं है, वरन् जीवन सम्बन्धी कुछ तथ्य देना या मानव मन का निकट परिचय कराना है।

कहानी के लक्षण -

1. कहानी मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है।
2. कहानी में कथावस्तु का आकार लघु होता है।
3. कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है।
4. मनोरंजन के साथ-साथ जीवन की समस्याओं का चित्रण करना भी कहानी का लक्ष्य होता है।
5. कहानी को एक बैठक में सरलता से पढ़ा जा सकता है।

6. कहानी में एक ही केंद्रीय संवेदना होती है तथा उसके सभी तत्व इसी संवेदना को उभारने में सहायता देते हैं।

7. कहानी मूलतः मानव जीवन से सम्बद्ध होती है। उसमें केवल कल्पनिकता न होकर यथार्थ का भी पुट रहता है।

कहानी में शीर्षक का महत्व है

कहानी में शीर्षक का भी विशिष्ट महत्व है। यह संक्षिप्त, आकर्षक एवं कथावस्तु से सम्बद्ध होना चाहिए। शीर्षक ऐसा हो जिससे पाठक कहानी पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाय तभी उसे सफल शीर्षक कहा जा सकता है।

कहानी में कथोपकथन का महत्व है

डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल ने इस सम्बन्ध में लिखा है “कथोपकथन का तारतम्य ऐसा हो जैसे नदी में लहरों की गति और उस पर वायु का सह संगीत, जिसके सहारे पाठक के हृदय में उत्तरोत्तर कहानी पढ़ने की आकांक्षा और जिज्ञासा दोनों बनी रहें। कथोपकथन का प्रत्येक शब्द सार्थक और सोद्देश्य होना चाहिए। एक श्रेष्ठ कहानी वही है जिसके संवाद छोटे-छोटे, पात्रानुकूल एवं चरित्र अभिव्यंजक हों।

कहानी में वातावरण का महत्व

- 1- पाठक की इन्द्रियों को प्रभावित करने वाला
- 2- सौन्दर्य वृत्ति को तृप्त करने वाला
- 3- पाठक में सच्ची सहानुभूति जाग्रत करने वाला।

सामान्य तौर पर कहानी की कितनी शैलियां प्रचलित हैं ?

सामान्य तौर पर कहानी की छः शैलियां प्रचलित हैं-

1. कथात्मक
2. आत्मकथात्मक
3. पत्रात्मक
4. डायरी
5. नाटकीय
6. मिश्रित

कहानी की शैली में आलंकारिकता , रोचकता , प्रतीकात्मकता , भावात्मकता , आंचलिकता एवं व्यंग्यात्मकता आदि गुण उसे कलात्मक पूर्णता प्रदान करते हैं।

कहानी में उद्देश्य का महत्व

कहानी का मूल उद्देश्य मानवता के शाश्वत मूल्यों की व्याख्या करना तथा जीवन और जगत के मन पर पड़े प्रभाव को अभिव्यक्त करना है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन, उपदेशात्मकता, कौतूहल सृष्टि, आदर्शवाद, समस्या, सुधार, प्रभावात्मकता, मनोवैज्ञानिकता आदि कुछ भी हो सकता है।

कहानी में कथावस्तु का महत्व

कथावस्तु को घटनाओं का आलेख भी कहा जाता है क्योंकि कहानी की सफलता उसमें निहित घटनाओं की कलात्मकता पर आधारित होती है। मौलिकता, संक्षिप्तता, रोचकता, क्रमबद्धता, उत्सुकता, शिल्पगत नवीनता, और विश्वसनीयता आदि कथावस्तु के प्रमुख गुण होते हैं। कथावस्तु के सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक आदि अनेक विषय हो सकते हैं। कहानी की सरसता कथानक के विकास पर निर्भर करती है विकास की पाँच स्थितियाँ होती हैं- 1. आरम्भ 2. आरोह 3. अवरोह 4. चरमसीमा और 5. अन्त

नाटक- नाटक नट शब्द से बना है जिसका आशय है - सात्त्विक भावों का अभिनय। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। इसका प्रदर्शन रंगमंच पर होता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नाटक के लक्षण देते हुए लिखा है - नाटक शब्द का अर्थ नट लोगों की क्रिया है। दृश्य-काव्य की संज्ञा-रूपक है। रूपकों में नाटक ही सबसे मुख्य है इससे रूपक मात्र को नाटक कहते हैं। हिन्दी में नाटक लिखने का प्रारंभ पद्म के द्वारा हुआ। लेकिन आज के नाटकों में गद्य की प्रमुखता है। नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है, जिसे अभिनय संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है।

नाटक काव्य का ही एक रूप है। जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है उसे नाटक या दृश्य-काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। दृश्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना से अपेक्षा कृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबद्ध है।

नाटक की परिभाषा बाबू गुलाबराय के अनुसार "नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते-फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है।" नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके। नाटक का प्रमुख उपादान है उसकी रंगमंचीयता। हिन्दी साहित्य में नाटकों का विकास वास्तव में आधुनिक काल में भारतेन्दु युग में हुआ।

नाटक के तत्व पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार नाटक के प्रमुख तत्व हैं-

1. कथावस्तु 2. पात्र चरित्र-चित्रण 3. संवाद या कथोपकथन 4. देशकाल और वातावरण (संकलनत्रय) 5. भाषा-शैली 6. उद्देश्य

भारतीय विद्वानों के अनुसार नाटक के तत्व इस प्रकार हैं---

1. कथावस्तु 2. नेता (नायक) 3. अभिनय 4. रस 5. वृत्ति

नाटक के तत्व :- नाटक के तत्वों को दो आधारों पर बताया गया है-

[1]- भारतीय परंपरा के अनुसार नाटक के तत्व:- भारतीय परंपरा के अनुसार नाटक के निम्नलिखित तत्व हैं-

[1]- वस्तु - वस्तु से तात्पर्य कथावस्तु से है। वस्तु नाटक का प्रधान तत्व है। भारतीय आचार्यों ने वस्तु के स्रोत संगठन की दृष्टि से नाट्य वस्तु का विस्तृत विवेचन किया है। नाट्यवस्तु का समुचित विकास हो इसलिए भारतीय नाट्यशास्त्र में वस्तु के भेद आदि का विस्तार से विवेचन किया गया है। साथ ही नाट्यवस्तु जिन संवादों के माध्यम से प्रकट होती है, उस पर भी ध्यान दिया है।

[2]- नेता - भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है- नेता। इसके अंतर्गत नाटक का नायक तथा उसके सहयोगी चरित्र योजना का विश्लेषण किया जाता है। भारतीय नाट्यशास्त्र में नेता या नायक सभी दृष्टियों से विशेष माना जाता है। उसके कार्य व्यापार की कल्पना उदात्त, उदार दृष्टियों से की गई है।

भारतीय आचार्यों ने चार प्रकार के नायक या नेता माने हैं-

1- धीरोदात्त 2- धीरललित 3- धीरप्रशांत 4- धीरोद्धत।

भारतीय आचार्यों ने नायिका के निम्न गुण माने हैं-

1- रूपवती 2- गुणवंती 3- शीलवती 4- यौवना 5- माधुर्य आदि

[3]- रस - भारतीय नाट्यशास्त्र में रस की सिद्धि ही नाटक का उद्देश्य मानी गई है।

भरतमुनि के अनुसार रस के अभाव में नाटक में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। नाटक में शृंगार रस, वीर, शांत में से कोई एक रस प्रमुख होना चाहिए और शेष रसों की निष्पत्ति अंगी रस के अश्रित रूप में होनी चाहिए। भारतीय नाट्य शास्त्र में रस प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन किया गया है।

[4]- अभिनय - नाट्य के समुचित विषय का या वस्तु विधान का प्रेक्षागृहों में बने रंगमंच पर अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुतीकरण अभिनय कहलाता है। भारतीय नाट्य शास्त्र में अभिनय के भेद तथा रंगमंच का विस्तार से विवेचन किया गया है। अभिनय मुख्यतः चार प्रकार का होता

है – आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक।

[2]- पाश्चात्य साहित्यशास्त्र के अनुसार नाटक के तत्व- पाश्चात्य साहित्यशास्त्र के अनुसार नाटक के निम्न तत्व होते हैं-

[1]- कथावस्तु या कथानक

यह नाटक का प्राणतत्व है। कथावस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक, कल्पित, मिश्रित किसी भी प्रकार की हो सकती है। आजकल ऐतिहासिक, पौराणिक कथा प्रसंगों का प्रतीकात्मक तथा मिथकीय प्रयोग कथावस्तु के रूप में किया जा रहा है। कथावस्तु दो प्रकार की होती है - आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। पाश्चात्य धारणा के अनुसार कथा विकास में संघर्ष तत्व प्रधान होता है तथा नाटक का अंत प्रायः दुखांत होता है।

[2]- चरित्र चित्रण

पात्र योजना तथा चरित्र चित्रण के प्रति पाश्चात्य दृष्टि स्वाभाविक और यथार्थ रही है। अतः भारतीय आचार्यों के समान नायक तथा अन्य चरित्रों के प्रति आदर्शवादी दृष्टि पाश्चात्य विद्वानों की नहीं है। अरस्तु के अनुसार चरित्र चित्रण में नाटककार को चार बातों की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा चरित्र, चरित्र का औचित्य, जीवन के अनुरूप और चरित्र में सुसंगति। चरित्र चित्रण से तात्पर्य उसके आंतरिक व्यक्तित्व और बाह्य व्यक्तित्व के प्रकटन से है। यह प्रकटन नाट्य व्यापार तथा संवादों के माध्यम से हो सकता है। पात्रों को व्यक्ति पात्र तथा प्रतिनिधि पात्र दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

[3]- कथोपकथन या संवाद

नाटक संवादों के द्वारा लिखा जाता है। पात्र के चरित्र चित्रण का विकास, रोचकता, वातावरण सृजन संवादों के माध्यम से होता है। इस तत्व के अभाव में नाटक की कल्पना ही साकार नहीं हो सकती। संवाद जितने सार्थक, संक्षिप्त, वक्र, शक्ति संपन्न होते हैं, नाटक उतना ही सफल होता है। अतः संवादों की भाषा, सरल, सुबोध और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए।

[4]- देशकाल वातावरण

नाटक में जिस देशकाल का दृश्य उपस्थित किया जाता है, उसे साकार करने के लिए नेपथ्य, वेषभूषा, रंगभूषा, भाषा, सांस्कृतिक संकेत आदि पर ध्यान देना अनिवार्य है। पाश्चात्य नाट्य-विदों ने देशकाल का निर्वाह करते समय संकलन त्रय का प्रतिपादन किया है। संकलन त्रय अर्थात् स्थल, समय, काल की एकता। नाटक में कथा के युग के अनुसार हो और उसमें समाज और राजनीति की परिस्थितियों का अंकन किया गया हो। ऐतिहासिक नाटकों में तो इन तत्वों का निर्वाह अत्यंत अपरिहार्य है। सफल नाटककार दृश्य विधान, मंच-व्यवस्था

वेषभूषा, अभिनय आदि के द्वारा सजीव वातावरण की सृष्टि कर लेता है।

[5]- भाषा शैली

संवादों को सरस एवं प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा शैली का आश्रय लेना अनिवार्य है। नाटक की भाषा सहज, सरल, सजीव, अभिनयानुकूल होनी चाहिए। गंभीर तथा हास्य-व्यंग्य प्रधान शैली तो सर्वमान्य है। यह माना जाता है कि सफल शैली के लिए सरलता अनिवार्य शर्त है। साथ ही वह कलात्मक एवं प्रभावशाली भी होनी चाहिए। भाषा के अलंकृत, लाक्षणिक, वक्र और प्रभावपूर्ण होने पर नाटक का सौंदर्य अधिक बढ़ जाता है।

[6]- उद्देश्य

पाश्चात्य परंपरा के अनुसार जीवन यथार्थ, जीवन संघर्ष को सामने लाना नाटक का उद्देश्य है। नाटक मात्र मनोरंजन के साधन नहीं है। यथार्थ से जुझते हुए अपने समाज की सार्थक प्रस्तुति नाटक का लक्ष्य रहा है।

नाटकीय शिक्षण का महत्व - नाटक किसी घटना को हमारी कल्पना से निकाल कर मंच पर साकार करती है। जिसके विभिन्न आयाम एवं महत्व इस प्रकार हैं-

- 1- कविता के चरमोत्कर्ष की भाषा
- 2- अनेकानेक रुचियों की संतुष्टि का माध्यम
- 3- यथार्थ की पृष्ठभूमि पर मानव- मन की साकार प्रस्तुति
- 4- नाटक गद्य, पद्य का मिश्रित रूप है
- 5- सर्वजन हिताय तथा सर्वजन बहुताय से परिपूर्ण
- 6- सामान्य जन की भाषिक अभिव्यक्ति
- 7- शिक्षण का प्रभावकारी माध्यम

[1]- कविता के चरमोत्कर्ष की भाषा - नाटक की प्रस्तुति में कविता की भाषा अपने पूरे उत्कर्ष को प्राप्त करती है। काव्य में वर्णित दृश्य या मानसिक अवस्था को कल्पना में रूपाकार किया जाता है।

[2]- अनेकानेक रुचियों की संतुष्टि का माध्यम - नाटक एक ऐसा साहित्यिक साधन है जिसके द्वारा मानव की विभिन्न रुचियों की संतुष्टि होती है। भरत से लेकर वर्तमान काव्य शास्त्रीयों तक सभी ने इसकी पुष्टि की है। जिसका तात्पर्य है "ऐसा कोई ज्ञान, योग, विद्या, कला अथवा शिल्प नहीं है, जिसे नाटक के माध्यम से प्रस्तुत न किया जा सके।

[3]- यथार्थ की पृष्ठभूमि पर मानव- मन की साकार प्रस्तुति - नाटक में कल्पना के स्थान पर वास्तविकता अधिक होता है। यही कारण है कि नाटक जीवन के अधिक निकट होता है। सच तो यह है जीवन को रूपायित करने का सबसे सटीक माध्यम है

[4]- नाटक गद्य, पद्य का मिश्रित रूप है - नाटक की रचना गद्य, पद्य के मिश्रित रूप में ही सम्भव है। भरत ने 'नान्दी पाठ' से जिस परम्परा की नींव डाली वो आज भी भारतीय नाट्य में किसी न किसी रूप में मौजूद है।

[5]- सर्वजन हिताय तथा सर्वजन बहुताय से परिपूर्ण - नाटक में लोकरंजन के साथ ही समाज के लोकहित की भावना प्रमुख होती है। इससे दर्शकों तथा पाठकों का स्वस्थ मनोरंजन का उद्देश्य तो होता ही है, उससे शिक्षा तथा प्रेरणा भी मिलती है।

[6]- सामान्यजन की भाषिक अभिव्यक्ति - नाटक जन सामान्य की भावनाओं को प्रस्तुत करने का सबसे सशक्त माध्यम है। रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने पर ही नाटक जीवंत व संप्राण हो पाता है।

[7]- शिक्षण का प्रभावकारी माध्यम - मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि श्रव्य-दृश्य माध्यम के शिक्षण को सर्वोत्तम रूप से प्रभावकारी बनाया जा सकता है। नाटक एक जीवंत श्रव्य-दृश्य उपादान है। इस महत्त्व को आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है।

नाटक अभिनय के आयाम - नाटक अभिनय के 04 आयाम होते हैं -

[1]- आंगिक आयाम

[2]- वाचिक आयाम

[3]- आहार्य आयाम

[4]- सात्विक आयाम

[1] **आंगिक आयाम** - आंगिक अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव या अर्थ प्रकट करना। सिर, हाथ, कटि, वक्ष, पार्श्व और चरण द्वारा किया जानेवाला अभिनय या आंगिक अभिनय कहलाता है

[2] **वाचिक आयाम** - अभिनेता रंगमंच पर बोलकर जो कुछ व्यक्त करता है वह सब वाचिक अभिनय कहलाता है।

[3] **आहार्य आयाम** - आहार्य अभिनय वास्तव में अभिनय का अंग न होकर नेपथ्य कर्म का अंग है और उसका संबंध अभिनेता से उतना नहीं है जितना नेपथ्य सज्जा करने वाले से है। किंतु आज के सभी प्रमुख अभिनेता और नाट्य प्रयोक्ता यह मानने लगे हैं कि प्रत्येक अभिनेता को अपनी मुखसज्जा और रूपसज्जा स्वयं करनी चाहिए।

[4] **सात्विक आयाम** - सात्विक अभिनय तो उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जिन्हें रस सिद्धांत वाले सात्विक भाव कहते हैं और जिसके अंतर्गत, स्वेद, स्तंभ, कंप, अश्रु, वैवर्ण्य, रोमांच, स्वरभंग और प्रलय की गणना होती है। इनमें से स्वेद और रोमांच को छोड़ शेष सबका सात्विक अभिनय किया जा सकता है। अश्रु के लिए तो विशेष साधना आवश्यक है, क्योंकि भाव मग्न होने पर ही उसकी सिद्धि हो सकती है।

हिंदी के प्रसिद्ध नाटकों के नाम- अंधेर नगरी- भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्रुवस्वामिनी- जयशंकर प्रसाद, अंधा युग- धर्मवीर भारती, आषाढ़ का एक दिन- मोहन राकेश, बकरी- सर्वेश्वर दयाल

सक्सेना, एक और द्रोणाचार्य- शंकर शेष, कबीरा खड़ा बाज़ार में- भीष्म साहनी, महाभोज-
मन्नू भंडारी

रेडियो रूपक या नाटक - रेडियो श्रव्य माध्यम है। नाटक की जिस विधा को रेडियो पर सुनने से उसका काल्पनिक चित्र उत्पन्न होता है और उससे आनंदानुभूति होती है उसे रेडियो रूपक या नाटक कहा जाता है। रेडियो नाटक को अँधेरे का नाटक भी कहा जाता है क्योंकि इसका मंचन अदृश्य होता है अर्थात् इसे देखा नहीं जाता बल्कि सिर्फ सुना जाता है। नाटक लेखकों द्वारा रेडियो पर प्रसारण के लिए जो नाटक लिखे जाते हैं उन्हें रेडियो नाटक कहते हैं। भाषा, संवाद, ध्वनि एवं संगीत रेडियो नाटक के उपकरण होते हैं।

वर्तमान समय में रेडियो नाटक विधा स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठित हो गई है। रेडियो नाटक ध्वनि और शब्दों का नाटकीय सामंजस्य है। रेडियो नाटकों में श्रोता का सहज संबंध पात्रों के अन्तर्मन से जुड़ जाता है। रेडियो श्रव्य माध्यम है। अतः रेडियो नाटक भी श्रव्य होते हैं। इसमें ध्वनि की प्रधानता होती है। डॉ. राम कुमार वर्मा ने रेडियो नाटक को ध्वनि नाटक भी कहा है। इसे अंधे का सिनेमा भी कहा जाता है क्योंकि इसे मात्र सुनकर ही आनंद की अनुभूति होती है। रेडियो नाटक ध्वनि और संगीत का समन्वित रूप है। पात्रों का कार्य व्यापार, ध्वनियों का प्रभाव, संवादों की गति और संगीत को कथा सूत्र में पिरोकर रेडियो पर जिसका प्रस्तुतीकरण किया जाता है, वही रेडियो रूपक है।

कहानी का नाट्य रूपांतर करते समय इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिये-

कहानी एक ही जगह पर स्थित होनी चाहिये। कहानी का संवाद नाटक के संवाद से भिन्न होता है। नाटक संवाद के आधार पर आगे बढ़ता है। इसलिये संवाद का समावेश करना जरूरी होता है। कहानी का नाट्य रूपांतर करने से पहले उसका कथानक बनाना बहुत जरूरी है। नाटक में हर एक पात्र का विकास कहानी की ही तरह होता है। इसलिये कहानी का नाट्य रूपांतर करते वक्त पात्र का विवरण करना बहुत जरूरी होता है। कहानी कागजी होती है। एक व्यक्ति कहानी लिख सकता है पर जब नाट्य रूपांतरण की बात आती है, तब एक समूह या टीम की जरूरत होती है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने में निर्देशक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम होता है।

प्रिंट (मुद्रित) माध्यम- प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालाँकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापाखाने को देखते हैं, उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तसवीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण 'रेनेसाँ' की शुरुआत में छापाखाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म-प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफ़ी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है।

प्रिंट (मुद्रित) माध्यमों की विशेषताएँ- प्रिंट माध्यमों के वर्ग में अखबारों, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि को शामिल किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में इनका विशेष महत्व है। प्रिंट माध्यमों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- 1- प्रिंट माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है। 2- हम उन्हें अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे-धीरे पढ़ सकते हैं। 3- पढ़ते-पढ़ते कहीं भी रुककर सोच-विचार कर सकते हैं। 4- इन्हें बार-बार पढ़ा जा सकता है। 5- इसे पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से की जा सकती है। 6- इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्भ की भाँति प्रयुक्त किया जा सकता है।

यह लिखित भाषा का विस्तार है, जिसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएँ निहित हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की माँग करती है। बोलने में एक स्वतःस्फूर्तता होती है लेकिन लिखने में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उसे एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक-से-अधिक लोग समझ पाएँ। मुद्रित माध्यमों की अन्य विशेषता यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम से आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ़ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में, मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिये एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो।

प्रिंट (मुद्रित) माध्यमों की सीमाएँ या कमियाँ- मुद्रित माध्यमों की कमियाँ निम्नलिखित हैं- 1- निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं हैं। 2- मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा-ज्ञान के साथ-साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। 3-पाठकों की रुचियों और जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। 4- ये रेडियो, टी०वी० या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं। 5- जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। 6- अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को

प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय-सीमा होती है इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय-सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है।

प्रिंट (मुद्रित) माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें- मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह (स्पेस) का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर 250 शब्दों में रिपोर्ट या फ़ीचर लिखने को कहा है तो उस शब्द-सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्ध वहीं चिपक जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। भाषा सरल, सहज तथा बोधगम्य होनी चाहिए। शैली रोचक होनी चाहिए। विचारों में प्रवाहमयता एवं तारतम्यता होनी चाहिए।

रेडियो- रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार/लेख या फ़ीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है, लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती।

वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी-बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच, वह इधर-उधर नहीं आ-जा सकता और न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूँढ़ने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा।

1- रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। 2- अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है, तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। 3- रेडियो मूलतः एकरेखीय (लीनियर) माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढाँचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है। 4- रेडियो की तरह टेलीविजन भी एकरेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों का महत्व सर्वाधिक होता है। 5- टेलीविजन में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ हैं।

रेडियो समाचार की संरचना- रेडियो के लिए समाचार-लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है। चूँकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग-अलग है, इसलिए समाचार-लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टेलीविजन की तरह

उलटा पिरामिड (इंवर्टेड पिरामिड) शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों, समाचार-लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उलटा पिरामिड शैली ही है। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90 प्रतिशत खबरें या स्टोरीज़ इसी शैली में लिखी जाती हैं।

उलटा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्वक्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना/विचार/समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं, बल्कि खबर के बिलकुल शुरू में आ जाता है। उलटा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। इस शैली में समाचार को तीन भागों में बाँट दिया जाता है- 1- इंट्रो-समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में 'मुखड़ा' भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की दो-तीन पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। 2- बॉडी-इस भाग में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्वक्रम में लिखा जाता है। 3- समापन-इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती। इसमें प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएँ दी जा सकती हैं। अकड़ने समाया औ जहक कमा क देतेहुएआखी कुठलों या पैमाफक हवाक समाचरसमाप्त कर दिया जाता है।

रेडियो के लिए समाचार-लेखन संबंधी बुनियादी बातें- रेडियो के लिए समाचार-काँपी तैयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

(क) साफ़-सुथरी और टाइप्ड काँपी-रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार-वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुँचता है। इसलिए समाचार-काँपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक/वाचिका को कोई दिक्कत न हो। अगर समाचार-काँपी टाइप्ड और साफ़-सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक/वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और इससे श्रोताओं का ध्यान बँटता है या वे भ्रमित हो जाते हैं। इससे बचने के लिए-

1. प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार-काँपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए।
2. काँपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए।
3. एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए।
4. पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए।
5. पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए।
6. समाचार-काँपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर (एब्रीवियेशन्स), अंक आदि नहीं लिखने चाहिए, जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे।

रेडियो समाचार लेखन में अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए-

जैसे- एक से दस तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। 2837550 लिखने की बजाय 'अट्ठाइस लाख सैंतीस हजार पाँच सौ पचास' लिखा जाना चाहिए अन्यथा वाचक/वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। अखबारों में % और \$ जैसे संकेत-चिह्नों से काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है। अतः इन्हें 'प्रतिशत' और 'डॉलर' लिखा जाना चाहिए। जहाँ भी संभव और उपयुक्त हो, दशमलव को उसके नजदीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। इसी तरह 2837550 रुपये को रेडियो में, लगभग अट्ठाइस लाख रुपये, लिखना श्रोताओं को समझाने के लिहाज से बेहतर है। वित्तीय संख्याओं को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए। खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे 'लगभग सौ रन' नहीं लिख सकते। मुद्रा-स्फीति के आँकड़े नजदीकी पूर्णांक में नहीं, बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। वैसे रेडियो समाचार में आँकड़ों और संख्याओं का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए। इसी तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं- '15 अगस्त उन्नीस सौ पचासी' न कि 'अगस्त 15, 1985'।

(ख) डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग-रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं, बल्कि समाचार से ही गुंथी होती है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह (और कहीं शाम) छपकर आता है जबकि रेडियो पर चौबीसो घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा 'आज' होता है। इसलिए समाचार में आज, आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है।

इसी तरह 'बैठक कल होगी' या 'कल हुई बैठक में..' का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, अगले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए।

संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए और अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए, फिर संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जाए।

टेलीविजन में दृश्यों की महत्ता सबसे ज्यादा है। यह कहने की जरूरत नहीं कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख (स्क्रिप्ट) लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है- 1- शब्द परदे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। 2- टेलीविजन लेखन प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम-से-कम शब्दों में ज्यादा-से-ज्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। 3- टी०वी० के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स, जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की ही बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसी का जिक्र करेंगे, पानी का नहीं।

लेकिन टी०वी० में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविजन पर खबर दो तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा, जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है, जहाँ से परदे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविजन पर खबर दो हिस्सों में बँटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। दिल्ली में आग की खबर को टी०वी० में पेश करने के लिए प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं-आग की ये लपटें सबसे पहले शाम चार बजे दिखीं, फिर तेजी से फैल गई.....।

टी०वी० खबरों के विभिन्न चरण

किसी भी टी०वी० चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टी०वी० में भी ये सूचनाएँ कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुँचती हैं। ये चरण हैं-

1. फ़्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़
2. ड्राई एंकर
3. फ़ोन-इन
4. एंकर-विजुअल
5. एंकर-बाइट
6. लाइव।
7. एंकर-पैकेज

1. **फ़्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़**-सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ़्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुँचाई जाती है। इसमें कम-से-कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है।
2. **ड्राई एंकर**-इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे-सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएँ पहुँचाता है।
3. **फ़ोन-इन**-इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएँ दर्शकों तक पहुँचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहाँ से उसे जितनी ज्यादा-से-ज्यादा जानकारियाँ मिलती हैं, वह दर्शकों को बताता है।
4. **एंकर-विजुअल**-जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है, जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं।
5. **एंकर-बाइट-बाइट** यानी कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती

है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है।

6. **लाइव-लाइव** यानी किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण। सभी टी०वी० चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुँचाए जा सकें। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओ०बी० वैन के जरिये घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं।
7. **एंकर-पैकेज-एंकर-पैकेज** किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफ़िक के जरिये जरूरी सूचनाएँ आदि होती हैं। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहाँ जैसी जरूरत होती है, वहाँ वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके, उसमें निहित अर्थ को सामने लाए, ताकि खबर के सारे आशय खुल सकें।

रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा तथा शैली

रेडियो और टी०वी० आम आदमी के माध्यम हैं। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े-लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान-मजदूर तक सभी होते हैं। इन सभी लोगों की सूचना की जरूरतें पूरी करना ही रेडियो और टी०वी० का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुँचने का माध्यम भाषा है और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी की समझ में आसानी से आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और उसकी गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करना पड़े।

रेडियो और टेलीविज़न के समाचारों में आपसी बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

इसके लिए- 1- वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएँ। 2- जब भी कोई खबर लिखनी हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। 3- हम कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जाँचने का एक बेहतर तरीका यह है कि हम समाचार लिखने के बाद उसे बोल-बोलकर पढ़ लें। 4- भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए।

सावधानियाँ

रेडियो और टी०वी० समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है-

1. ऐसे कई शब्द हैं, जिनका अखबारों में धडल्ले से इस्तेमाल होता है लेकिन रेडियो और टी०वी० में उनके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे-निम्नलिखित, उपयुक्त, अधोहस्ताक्षरित और क्रमाक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिलकुल मना है। इसी तरह 'द्वारा' शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है; जैसे-'पुलिस द्वारा चोरी करते हुए दो व्यक्तियों को पकड़ लिया

गया।' इसकी बजाय 'पुलिस ने दो व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया।' ज्यादा स्पष्ट है।

2. तथा, एव, अथवा, व, किंतु, परतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए।
3. साफ़-सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैरजरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है।
4. मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से और जहाँ जरूरी हो, वहीं होना चाहिए अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करते हैं।
5. वाक्य छोटे-छोटे हों। एक वाक्य में एक ही बात कहनी चाहिए।
6. वाक्यों में तारतम्य ऐसा हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ न लगे।
7. शब्द प्रचलित हों और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय-विक्रय की जगह खरीदारी-बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टी०वी० में सहज माने जाते हैं।

इंटरनेट- इंटरनेट को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत-सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं या जिन्हें चौबीसो घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज पर छपे हुए अखबार उतने ताजे और मनभावन नहीं लगते। उन्हें हर घंटे-दो घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लगती जा रही है।

भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हर साल करीब 50-55 फ़ीसदी की रफ़्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में झुमरीतलैया से लेकर होनोलूलू तक की खबरें पढ़ सकते हैं। दुनियाभर की चर्चाओं-परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं और अखबारों की पुरानी फ़ाइलें खंगाल सकते हैं।

इंटरनेट एक टूल ही नहीं और भी बहुत कुछ है-

इंटरनेट सिर्फ़ एक टूल यानी औजार है, जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान-प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट जहाँ सूचनाओं के आदान-प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप हैं।

पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिये भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन तथा पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है।

टेलीविजन या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहाँ पहले ढेर सारी अखबारी कतरनों की फ़ाइलों को ढूँढ़ना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। एक जमाना था जब टेलीप्रिंटर पर एक मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे, आज स्थिति यह है कि एक सेकेंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70 हजार शब्द भेजे जा सकते हैं।

इंटरनेट पत्रकारिता

इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान-प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा-परिचर्चाओं, बहसों, फ़ीचर, झलकियों, डायरियों के जरिये अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे-के-पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन-समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। चूँकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा-सा अलग है।

इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास

विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास का पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि चला 1993 से 2001 तक। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन-समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की सुपर इन्फॉर्मेशन-हाईवे पर दर्ज हो। तब एओएल यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियाँ सामने आईं। लेकिन कुल मिलाकर प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। इस दौर में तकनीक स्तर पर भी इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा एचटीएमएल (हाइपर टेक्स्ट मार्कडअप लैंग्वेज) आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउजर (वह औजार जिसके जरिये विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं) आए। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधासंपन्न और तेज-रफ़्तार वाला बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविजन समूह विश्वजाल में आए।

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘वाशिंगटन पोस्ट’, ‘सीएनएन’, ‘बीबीसी’ सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों, प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनियाभर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर डॉटकॉम कंपनियों का उफ़ान आया, पर उतनी ही तेजी के साथ इसका बुलबुला फूटा भी। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही पाँच लाख लोगों को डॉटकॉम की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज्यादातर डॉटकॉम कंपनियाँ बंद हो गईं।

लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन-समूहों ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा। चूँकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे कि और चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं। इसलिए इसकी प्रासंगिकता

हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है।

भारत में इंटरनेट पत्रकारिता

भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ है। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए। डॉटकॉम का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गया। अंततः वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया', 'हिंदुस्तान टाइम्स', 'इंडियन एक्सप्रेस', 'हिंदू', 'ट्रिब्यून', 'स्टेट्समैन', 'पॉयनियर', 'एनडी टी०वी०', 'आईबीएन', 'जी न्यूज़', 'आजतक' और 'आउटलुक' की साइटें ही बेहतर हैं। 'इंडिया टुडे' जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं।

जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं, उनमें 'हिंदू', 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया', 'आउटलुक', 'इंडियन एक्सप्रेस', 'एनडी टी०वी०', 'आजतक' और 'जी न्यूज़' प्रमुख हैं। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह 'रीडिफ़ डॉटकॉम', 'इंडियाइंफोलाइन' व 'सीफी' जैसी कुछ ही साइटें हैं। रीडिफ़ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेब साइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय 'तहलका डॉटकॉम' को जाता है।

हिंदी नेट संसार

हिंदी में नेट पत्रकारिता 'वेब दुनिया' के साथ शुरू हुई। इंदौर के 'नई दुनिया समूह' से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्वजाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। 'जागरण', 'अमर उजाला', 'नई दुनिया', 'हिंदुस्तान', 'भास्कर', 'राजस्थान पत्रिका', 'नवभारत टाइम्स', 'प्रभात खबर' व 'राष्ट्रीय सहारा' के वेब संस्करण शुरू हुए। 'प्रभासाक्षी' नाम से शुरू हुआ अखबार, प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ़ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। यही एक साइट है, जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफी आशाएँ जगाई थीं, लेकिन धीरे-धीरे स्टाफ़ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती थी।

हिंदी वेबजगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएँ चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़्रॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक 'की-बोर्ड' नहीं है। डायनमिक फ़्रॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। इसके लिए 'की-बोर्ड' का मानकीकरण करना चाहिए।

पत्रकारीय लेखन- अखबार पाठकों को सूचना देने, उन्हें जागरूक और शिक्षित बनाने तथा उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे

बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की हैं, जिनके जरिये असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश-दुनिया और अपने पास-पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों तथा विचारों से अवगत होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएँ पहुँचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं।

पत्रकार तीन प्रकार के होते हैं-

1. पूर्णकालिक
2. अंशकालिक और
3. फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र।

1. **पूर्णकालिक पत्रकार-**इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन में कमकने वाले नाम बेनो ग कर्मबारी होते हैं।
2. **अंशकालिक पत्रकार-**इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर एक निश्चित समयावधि के लिए कार्य करते हैं।
3. **फ्रीलांसर पत्रकार-**इस श्रेणी के पत्रकारों का संबंध किसी विशेष समाचार-पत्र से नहीं होता, बल्कि वे भुगतान के आधार पर अलग-अलग समाचार-पत्रों के लिए लिखते हैं।

साहित्यिक और पत्रकारीय लेखन में अंतर

1. पत्रकारीय लेखन का संबंध तथा दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं तथा मुद्दों से होता है। यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन-कविता, कहानी, उपन्यास आदि-इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से होता है, न कि कल्पना से।
2. पत्रकारीय लेखन साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों तथा जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट होती है।

पत्रकारीय लेखन के स्मरणीय तथ्य- पत्रकारीय लेखन करने वाले विशाल जन-समुदाय के लिए लिखते हैं, जिसमें पाठकों का दायरा और ज्ञान का स्तर विस्तृत होता है। इसके पाठक मजदूर से विद्वान तक होते हैं, अतः उसकी लेखन-शैली और भाषा-


1. सरल, सहज और रोचक होनी चाहिए।
2. अलंकारिक और संस्कृतनिष्ठ होने की बजाय आम बोलचाल वाली होनी चाहिए।
3. शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए।
4. वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए।

समाचार-लेखन की शैली- अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या

जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता।

उलटा पिरामिड शैली

समाचार-लेखन की एक विशेष शैली है, जिसे उलटा पिरामिड शैली (इन्वर्टेड पिरामिड टी या स्टाइल) के नाम से जाना जाता है। यह समाचार-लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा-लेखन की शैली के ठीक उलटी है, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे 'उलटा पिरामिड शैली' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी 'क्लाइमेक्स' पिरामिड के सबसे निचले उलटा पिरामिड में हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है।



उलटा पिरामिड में समाचार का ढाँचा

हालाँकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था लेकिन इसका विकास अमेरिका में दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जूँ मँहँगी, अनियमित और दुर्लभ थीं। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप्प हो किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने की बजाय संक्षेप में पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे-धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के की मानक (स्टैंडर्ड) शैली बन गई।

समाचार लेखन और छह ककार

किसी समाचार को लिखते हुए जिन छह सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, वे हैं-1-क्या हुआ? 2-किसके साथ हुआ? 3-कब हुआ? 4-कहाँ हुआ? 5-कैसे हुआ? 6-क्यों हुआ?

ये क्या, किसके (या कौन), कब, कहाँ, कैसे और क्यों को ही छह ककार हैं।

समाचार के मुखड़े (इंट्रो) यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती दो-तीन पंक्तियों में आमतौर पर तीन या चार ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये चार ककार हैं-क्या, कौन, कब और कहाँ? इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी दो ककारों-कैसे 'और क्यों'-का जवाब दिया जाता है। इस तरह छह ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले चार ककार-क्या, कौन, कब और कहाँ-सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं जबकि बाकी दो ककारों-कैसे और क्यों-में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है।

फीचर- समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। इसमें तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसके संवादों में गहराई होती है। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व अद्धि न है जिक उद्देश्य पाठकों को सचना ने तथा उह शतकने के साथ मुष्यरूप सेउक मोजना करना होता है। फीचर में

विस्तार की अपेक्षा होती है। इसकी अपनी एक अलग शैली होती है। एक विषय पर लिखा गया फ़ीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो सकता है। इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। फ़ीचर में आँकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे रोचक बना देता है।

फ़ीचर व समाचार में अंतर-

1. फ़ीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएँ जाहिर करने का अवसर होता है। जबकि समाचार-लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है।
2. फ़ीचर-लेखन में उलटा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। इसकी शैली कथात्मक होती है।
3. फ़ीचर-लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाटबयानी होती है।
4. फ़ीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। ये आमतौर पर 200 शब्दों से लेकर 250 शब्दों तक के होते हैं, जबकि समाचारों पर शब्द-सीमा लागू होती है।
5. फ़ीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, समाचार का नहीं।

फ़ीचर के प्रकार- फ़ीचर के प्रकार निम्नलिखित हैं-1- समाचार फ़ीचर 2- घटनापरक फ़ीचर 3- व्यक्तिपरक फ़ीचर 4- लोकाभिरुचि फ़ीचर 5- सांस्कृतिक फ़ीचर 6-साहित्यिक फ़ीचर 7-विश्लेषण फ़ीचर 8- विज्ञान फ़ीचर।

फ़ीचर-लेखन संबंधी मुख्य बातें-

1. फ़ीचर को सजीव बनाने के लिए उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी होती है।
2. फ़ीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए।
3. कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करें कि वे घटनाओं को खुद देख और सुन रहे हैं।
4. फ़ीचर मनोरंजक व सूचनात्मक होना चाहिए।
5. फ़ीचर शोध रिपोर्ट नहीं है।
6. इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए।
7. फ़ीचर का कोई-न-कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द-गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएँ तथ्य और विचार गुंथे होने चाहिए।
8. फ़ीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है।
9. फ़ीचर-लेखन का कोई निश्चित ढाँचा या फ़ॉर्मूला नहीं होता। इसे कहीं से भी अर्थात् प्रारंभ, मध्य या अंत से शुरू किया जा सकता है।

10. फ़ीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए तथा उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति रहनी चाहिए।
11. पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए।

रिपोर्ट- रिपोर्ट समाचार-पत्र, रेडियो और टेलीविजन की एक विशेष विधा है। इसके माध्यम से किसी घटना, समारोह या आँखों-देखे किसी अन्य कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। चूँकि दूरदर्शन दृश्य एवं श्रव्य दोनों ही उद्देश्य पूरा करने वाला माध्यम है, अतः इसके लिए आँखों-देखी घटना की रिपोर्ट तैयार की जाती है जबकि रेडियो के लिए केवल सुनने योग्य रिपोर्ट तैयार करने से काम चल जाता है। कभी संचालक द्वारा दी जा रही कार्यवाही का विवरण देखकर ही उसे रिपोर्ट का आधार बनाकर रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है।

रिपोर्ट की विशेषताएँ- रिपोर्ट की पहली मुख्य विशेषता उसकी संक्षिप्तता है। संक्षिप्त रिपोर्ट को ही लोग पढ़ पाते हैं। ज्यादा विस्तृत रिपोर्ट पढ़ी नहीं जाती, अतः उसे तैयार करना उद्देश्यहीन हो जाता है। रिपोर्ट की दूसरी मुख्य विशेषता उसकी निष्पक्षता है। रिपोर्ट को प्रभावशाली बनाने के लिए निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। रिपोर्ट की तीसरी प्रमुख विशेषता उसकी सत्यता है। इस तथ्य से रहित रिपोर्ट अप्रासंगिक और निरुद्देश्य हो जाती है। असत्य रिपोर्ट पर न कोई विश्वास करता है और न कोई पढ़ना पसंद करता है। रिपोर्ट की अगली विशेषता उसकी पूर्णता है। आधी-अधूरी रिपोर्ट से रिपोर्टर का न उद्देश्य पूरा होता है और न वह पाठकों की समझ में आती है। रिपोर्ट की अगली विशेषता है-उसका संतुलित होना। अर्थात् इसे सभी पक्षों को समान महत्व देते हुए तैयार करना चाहिए।

विशेष रिपोर्ट के प्रकार- विशेष रिपोर्ट कई प्रकार की होती है- 1- खोजी रिपोर्ट (इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट) 2- इन-डेपथ रिपोर्ट 3- विश्लेषणात्मक रिपोर्ट 4- विवरणात्मक रिपोर्ट।

खोजी रिपोर्ट (इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट)- इस प्रकार की रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिये ऐसी सूचनाएँ या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थीं। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है।

इन-डेपथ रिपोर्ट- इस प्रकार की रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आँकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है।

विश्लेषणात्मक रिपोर्ट- इस तरह की रिपोर्ट में पत्रकार किसी विशेष विषय पर विशेषज्ञता हासिल करता है और आंकड़ों को एकत्रित करके लोगों को उन घटनाओं की पहचान कराता है जो स्पष्ट नहीं होती हैं।

विवरणात्मक रिपोर्ट- इस तरह की रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार-लेखन की उलटा पिरामिड-शैली में ही लिखा जाता है लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को

फ्रीचर शैली में भी लिखा जाता है। चूँकि ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती हैं, इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उलटा पिरामिड और फ्रीचर दोनों ही शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए।

रिपोर्ट-लेखन की विशेषताएँ- रिपोर्ट-लेखन की भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। उसमें संक्षिप्तता का गुण भी होना चाहिए।

आलेख- किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को 'आलेख' कहा जाता है। आलेख वस्तुतः एक प्रकार के लेख होते हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होते हैं। इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता। ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे-खेल, समाज, राजनीति, अर्थ, फिल्म आदि। इनमें सूचनाओं का होना अनिवार्य है।

आलेख के मुख्य अंग- आलेख के मुख्य अंग हैं-भूमिका, विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा व निष्कर्ष। सर्वप्रथम, शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है। यह बहुत लंबी न होकर संक्षेप में होनी चाहिए। विषय के प्रतिपादन में विषय का वर्गीकरण, आकार, रूप व क्षेत्र आते हैं। इसमें विषय का क्रमिक विकास किया जाता है। विषय में तारतम्यता व क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए। तुलनात्मक चर्चा में विषयवस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है और अंत में, विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है।

आलेख रचना के संबंध में प्रमुख बातें-

1. लेख लिखने से पूर्व विषय का चिंतन-मनन करके विषयवस्तु का विश्लेषण करना चाहिए।
2. विषयवस्तु से संबंधित आँकड़ों व उदाहरणों का उपयुक्त संग्रह करना चाहिए।
3. लेख में श्रृंखलाबद्धता होना जरूरी है।
4. लेख की भाषा सरल, बोधगम्य व रोचक होनी चाहिए। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। एक परिच्छेद में एक ही भाव व्यक्त करना चाहिए।
5. लेख की प्रस्तावना व समापन में रोचकता होनी जरूरी है।
6. विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन, तथ्यों की असंदिग्धता आदि से बचना चाहिए।

विचारपरक लेखन- अखबारों में समाचार और फ्रीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियाँ इसी विचारपरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ (कॉलम) भी विचारपरक लेखन के तहत आते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ऑप-एंड पृष्ठ पर भी विचारपरक लेख, टिप्पणियाँ और स्तंभ प्रकाशित होते हैं।

संपादकीय लेखन- संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की आवाज माना जाता है। संपादकीय के जरिये अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति-विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक ही संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या

स्तंभ-लेखन- स्तंभ-लेखन भी विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन-शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं।

साक्षात्कार (इंटरव्यू)- समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिये ही समाचार, फ़ीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फ़र्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएँ जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढाँचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ़ ज्ञान होना चाहिए बल्कि आपमें संवदेनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए।

सफल और अच्छा साक्षात्कार कैसे लिखें- एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए निम्न-लिखित बातें आवश्यक हैं-

1. जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने आप जा रहे हैं, उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।
2. आप साक्षात्कार से क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है।
3. आपको वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं।
4. साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो साक्षात्कार के दौरान आप नोट्स लेते रहें।
5. साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। एक आप साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं या फिर उसे एक आलेख की तरह से भी लिख सकते हैं।

संपादकीय का समाचार-पत्र के लिए महत्व- संपादकीय को किसी समाचार-पत्र की आवाज माना जाता है। यह एक निश्चित पृष्ठ पर छपता है। यह अंश समाचारपत्र को पठनीय तथा अविस्मरणीय बनाता है। संपादकीय से ही समाचार-पत्र की अच्छाइयाँ एवं बुराइयाँ (गुणवत्ता) का निर्धारण किया जाता है। समाचार-पत्र के लिए इसकी महत्ता सर्वोपरि है।

विशेष लेखन से एक ओर समाचार-पत्र में विविधता आती है तो दूसरी ओर उनका कलेवर व्यापक होता है। वास्तव में पाठक अपनी व्यापक रुचियों के कारण साहित्य, विज्ञान, खेल, सिनेमा आदि विविध क्षेत्रों से जुड़ी खबरें पढ़ना चाहता है, इसलिए समाचार-पत्रों में विशेष लेखन के माध्यम से निरंतर और विशेष जानकारी देना आवश्यक हो जाता है।

विशेष लेखन- विशेष लेखन का अर्थ है-किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। अधिकांश समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टी०वी० और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे समाचार-पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उपसंपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी।

खबरें भी कई तरह की होती हैं-राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फ़िल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी भी और विषय से जुड़ी हुई। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह भी होता है।

विशेष लेखन के लिए किसी व्यक्ति (संवाददाता) को उसी क्षेत्र-विशेष से संबंधित लेखन-कार्य सौंपा जाता है, जिसमें उसकी रुचि होती है। इसके अलावा उसे विषय-संबंधी गहरी जानकारी होती है। जैसे-खेल जगत की जानकारी एवं रुचि रखने वाले को खेल बीट मिल जाती है। विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग न होकर उससे भी आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, जिसमें न सिर्फ़ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा-शैली पर भी पूर्ण अधिकार होना चाहिए।

बीट रिपोर्टिंग के लिए तैयारी- बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें समय-समय पर क्या हुआ है, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत या नीतियाँ क्या हैं, उसके पदाधिकारी कौन-कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के रिश्ते कैसे हैं और उनमें आपस में क्या फ़र्क है, उसके अधिवेशनों में क्या-क्या होता रहा है, उस पार्टी की कमियाँ और खूबियाँ क्या हैं, आदि-आदि।

पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के नए-नए स्रोत विकसित करने चाहिए। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आँख मूँदकर भरोसा नहीं करना चाहिए और जानकारी की पुष्टि कई अन्य स्रोतों के जरिये भी करनी चाहिए। तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जा सकती है।

बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर

बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें।

विशेष लेखन के अंतर्गत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ-लेखन भी आता है। इस तरह का विशेष लेखन समाचार-पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्री-लांस (स्वतंत्र) पत्रकार या लेखक तक सभी कर सकते हैं। शर्त यह है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस विषय में निपुण होना चाहिए।

मतलब यह कि किसी भी क्षेत्र पर विशेष लेखन करने के लिए जरूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज्यादा-से-ज्यादा पता हो, उसकी ताजी-से-ताजी सूचना आपके पास हो, आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हों, जानकारियाँ और तथ्य इकट्ठे करते हों और उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से लगातार मिलते रहते हों।

इस तरह अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं में किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर उस विषय के जानकार या विशेषज्ञ होते हैं। जैसे रक्षा, विज्ञान, विदेश-नीति, कृषि या ऐसे ही किसी क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा कोई प्रोफेशनल इसके बारे में बेहतर तरीके से लिख सकता है क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र का वर्षों का अनुभव होता है, वह इसकी बारीकियाँ समझता है और उसके पास विश्लेषण करने की क्षमता होती है।

हो सकता है उसके लिखने की शैली सामान्य पत्रकारों की तरह न हो लेकिन जानकारी और अंतर्दृष्टि के मामले में उसका लेखन पाठकों के लिए लाभदायक होता है। उदाहरण के तौर पर हम खेलों में हर्ष भोगले, जसदेव सिंह या नरोत्तम पुरी का नाम ले सकते हैं। वे पिछले चालीस सालों से हॉकी से लेकर क्रिकेट तक और ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक की कमेंट्री करते रहे हैं।

विशेष लेखन की भाषा और शैली- विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों से है, उनमें से अधिकांश क्षेत्र तकनीकी रूप से जटिल हैं और उनसे जुड़ी घटनाओं तथा मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है,

जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल न हो। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग होती है। उनके बीच सबसे बुनियादी फ़र्क यह होता है कि हर क्षेत्र-विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है।

जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए आपको उसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होना चाहिए। दूसरे, अगर आप उस शब्दावली से परिचित हैं तो आपके सामने चुनौती यह होती है कि आप अपने पाठक को भी उस शब्दावली से इस तरह परिचित कराना चाहिए ताकि उसे आपकी रिपोर्ट को समझने में कोई दिक्कत न हो।

उदाहरणार्थ-‘सोने में भारी उछाल’, ‘चाँदी लुढ़की’ या ‘आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी’ या ‘शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर’ आदि के अलावा खेलों में भी ‘भारत ने पाकिस्तान को चार विकेट से पीटा’, ‘चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके’ आदि शीर्षक सहज ही ध्यान खींचते हैं।

विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उलटा पिरामिड शैली ही होगी। लेकिन अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। इसी तरह अगर आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हों तो इसकी शुरुआत भी फीचर की तरह हो सकती है। जैसे हम किसी केस स्टडी से उसकी शुरुआत कर सकते हैं, उसे किसी खबर से जोड़कर यानी न्यूजपेज के जरिये भी शुरू किया जा सकता है। इसमें पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ से जोड़कर पेश करने की भी संभावना होती है।

मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ - समाचार कई प्रकार के होते हैं; जैसे-राजनीति, अपराध, खेल, आर्थिक, फ़िल्म तथा कृषि संबंधी समाचार आदि। संवाददाताओं के बीच काम का बँटवारा उनके ज्ञान एवं रुचि के आधार पर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहते हैं। बीट रिपोर्टर को अपने बीट (क्षेत्र) की प्रत्येक छोटी-बड़ी जानकारी एकत्र करके कई स्रोतों द्वारा उसकी पुष्टि करके विशेषज्ञता हासिल करना चाहिए। तब उसकी खबर विश्वसनीय मानी जाती है।

विशेष लेखन- अखबारों के लिए समाचारों के अलावा खेल, अर्थ-व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों संबंधित घटनाएँ, समस्याएँ आदि से संबंधित लेखन विशेष लेखन कहलाता है। इस प्रकार के लेखन की भाषा और शैली समाचारों की भाषा-शैली से अलग होती है।

विशेष लेखन की भाषा-शैली- विशेष लेखन किसी विशेष विषय पर या जटिल एवं तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विषयों पर किया जाता है, जिसकी अपनी विशेष शब्दावली होती है। इस शब्दावली से संवाददाता को अवश्य परिचित होना चाहिए। उसे इस तरह लेखन करना चाहिए कि रिपोर्ट को समझने में परेशानी न हो।

उलटा पिरामिड शैली- यह समाचार-लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह कहानी या कथा लेखन शैली की ठीक उलटी होती है। इसमें आधार ऊपर और शीर्ष नीचे होता है। इसमें शुरू में समापन, मध्य में बॉडी और अंत में मुखड़ा होता है।

संपादक के कार्य- संपादक संवाददाताओं तथा रिपोर्टों से प्राप्त समाचार-सामग्री की अशुद्धियाँ दूर करते हैं तथा उसे त्रुटिहीन बनाकर प्रस्तुति के योग्य बनाते हैं। वे रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातों को पहले तथा कम महत्व की बातों को अंत में छापते हैं तथा समाचार-पत्र की नीति, आचार-संहिता और जन-कल्याण का विशेष ध्यान रखते हैं।

पत्रकारीय लेखन- पत्रकार अखबार या अन्य समाचार माध्यमों के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, इसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय भाषा सीधी, सरल, साफ-सुथरी परंतु प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। वाक्य छोटे, सरल और सहज होने चाहिए। भाषा में कठिन और दुरुह शब्दावली से बचना चाहिए, ताकि भाषा बोझिल न हो।

खोजपरक पत्रकारिता- सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को लोगों के सामने लाने के लिए खोजपरक पत्रकारिता की मदद ली जाती है। इसके अंतर्गत छिपाई गई सूचनाओं की गहराई से जाँच की जाती है। इसके प्रमाण एकत्र करके इसे प्रकाशित भी किया जाता है।

वॉचडॉग पत्रकारिता- जो पत्रकारिता सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और कोई गड़बड़ी होते ही उसका परदाफ़ाश करती है, उसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं।

एडवोकेसी पत्रकारिता- जो पत्रकारिता किसी विचारधारा या विशेष उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर-शोर से अभियान चलाती है, उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं।

वैकल्पिक पत्रकारिता- जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करते हैं, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं।

पेज श्री पत्रकारिता- पेज श्री पत्रकारिता का आशय उस पत्रकारिता से है, जिसमें फ़ैशन, अमीरों की बड़ी-बड़ी पार्टियों, महफ़िलों तथा लोकप्रिय लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। ऐसे समाचार सामान्यतः समाचार-पत्र के पृष्ठ तीन पर प्रकाशित होते हैं।

पीत पत्रकारिता- इस तरह की पत्रकारिता में झूठी अफवाहों, सनसनीखेज मूद्दों तथा खबरों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके ध्यान-खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है।

उषा

शमशेर बहादुर सिंह

जीवन परिचय- नई कविता के कवियों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। इनका जन्म 13 जनवरी, सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया। इन्होंने सुमित्रानंदन पंत के पत्र 'रूपाभ' में कार्य किया। 1977 ई. में 'चुका भी हूँ नहीं मैं' काव्य-संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। सन 1993 में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया।

रचनाएँ- शमशेर बहादुर सिंह ने अनेक विधाओं में रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं-
कवितासंग्रह- कुछ कविताएँ, कुछ और कविताएँ, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने
संपादन-उर्दू-हिंदी कोश

निबंध-संग्रह-दोआब

कहानी-संग्रह-प्लेट का मोर्चा

काव्यगत विशेषताएँ- वैचारिक रूप से प्रगतिशील एवं शिल्पगत रूप से प्रयोगधर्मी कवि शमशेर को एक बिंबधर्मी कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी बिंबधर्मिता शब्दों में माध्यम से रंग, रेखा, एवं सूची की अद्भुत कशीदाकारी का माद्दा रखती है। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का भी चित्रण किया है। ये समाज में व्याप्त गरीबी का चित्रण करते हैं। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के नजदीक रहने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत जीवंत लगते हैं। 'उषा' कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण है। शमशेर की कविता एक संधिस्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा ऐंद्रिय और ऐंद्रियेतर की है।

भाषा-शैली- शमशेर बहादुर सिंह ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कथा और शिल्प-दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूँथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूँजों से भी भरा होता है।

प्रतिपाद्य- प्रस्तुत कविता 'उषा' में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल-पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द-चित्र उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बाँधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गाँव की सुबह से

जुड़ता है-वहाँ सिल है , राख से लीपा हुआ चौका है और स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। कवि ने नए बिंब , नए उपमान , नए प्रतीकों का प्रयोग किया है।

सारांश- कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा वह सफेद शंख-सा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हो या उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा है। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है।

विशेष- कवि ने इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। ग्रामीण परिवेश की सुन्दर झाँकी प्रस्तुत की गई है जिसमें दृश्य सजीव हो उठा है। कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। प्रकृति के उपादानों का मनोरम चित्रण हुआ है। सरल, सहज खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। 'शंख जैसे' में उपमा अलंकार है। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुक्तक छंद का प्रयोग है। नए बिंबों व उपमानों का प्रयोग है। कविता में माधुर्य गुण विद्यमान है।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न- 1 कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि 'उषा' कविता गाँव की सुबह का गतिशील शब्द-चित्र है?

उत्तर- कवि के नीले शंख , राख से लीपा हुआ गीला चौका , सिल, स्लेट, नीला जल और गोरी युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गाँव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का गतिशील वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को गति प्रदान करते हैं।

प्रश्न- 2 नयी कविता में कोष्ठक, विराम-चिह्नों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठकों से कविता में विशेष अर्थ पैदा हुआ है, कैसे ?

उत्तर- नयी कविता के कवियों ने नए-नए प्रयोगों से स्वयं को अलग दिखाना चाहा है। शमशेर बहादुर सिंह ने कोष्ठकों का प्रयोग किया है। कोष्ठकों में दी गई सामग्री मुख्य सामग्री से संबंधित है तथा पूरक का काम करती है। वह कथन को स्पष्टता प्रदान करती है। यहाँ (अभी गीला पड़ा है) वाक्य कोष्ठकों में दिया गया है जो प्रातःकालीन सुबह की नमी व ताजगी को व्यक्त करता है। कोष्ठकों से पहले के वाक्य से काम की पूर्णता का पता तो चलता है , परंतु स्थिति स्पष्ट नहीं होती। गीला पड़ने से कथन अधिक प्रभावपूर्ण बन जाता है।

प्रश्न- 3 अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द-चित्र खींचिए।

उत्तर- सुबह के समय सूर्य उदित होते समय ऐसा लगता है मानो कोई नीले सरोवर में स्नान करके बाहर आ रहा हो। सूर्य की किरणें धीरे-धीरे आकाश पर छा जाती हैं। ओस के कणों पर सूर्य की किरणें अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती हैं तथा प्रकृति के दृश्य पल-पल में बदलते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं। पशुओं व मानवों में नयी शक्ति का संचार हो जाता है। जीवन सजीव हो उठता है।

जैसे-जैसे शाम होती है, सूर्य एक थके हुए पथिक की भाँति धीमी गति से अस्त होने लगता है। पक्षी अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। सूर्य का रंग लाल हो जाता है मानो वह विश्राम करने जा रहा हो। सारा जीव-जगत भी आराम करने की तैयारी शुरू कर देता है।

प्रश्न- 4 सूर्योदय से पहले आकाश में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं? 'उषा' कविता के आधार पर बताइए।

उत्तर- सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला था, उसके बाद आकाश राख से लीपे चौके जैसा हो गया। सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा लगा मानो काली सिल पर थोड़ा लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी गई हो। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो।

प्रश्न- 5 'उषा' कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है।

उत्तर- सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण-क्षण में परिवर्तित होता रहता है। यह उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख-सा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। सूर्योदय होने के साथ ही ये दृश्य समाप्त हो जाते हैं।

प्रश्न- 6 'स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। -इसका आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- कवि कहता है कि सुबह के समय अँधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान लगता है। उस समय सूर्य की लालिमा-युक्त किरणों से ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। कवि आकाश में उभरे लाल-लाल धब्बों के बारे में बताना चाहता है।

प्रश्न- 7 भोर के नभ को 'राख से लीपा, गीला चौका' की संज्ञा दी गई है। क्यों ?

उत्तर- कवि कहता है कि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमीयुक्त व धुंधला होता है। राख से लिपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है। दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को 'राख से लीपा, गीला चौका' की संज्ञा दी है। दूसरे, चौके को लीपे जाने से वह स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह भोर का नभ भी पवित्र होता है।

प्रश्न- 8 'उषा' कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता व उज्ज्वलता से संबंधित पंक्तियों को बताइए।

उत्तर- पवित्रता- राख से लीपा हुआ चौका।

निर्मलता- बहुत काली सिल जरा से केसर से/कि जैसे धुल गई हो।

उज्ज्वलता- नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो।

प्रश्न- 9 सिल और स्लेट का उदाहारण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है ?

उत्तर- कवि ने सिल और स्लेट के रंग की समानता आकाश के रंग से की है। भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला-काला होता है और उसमें थोड़ी-थोड़ी सूर्योदय की लालिमा मिली हुई होती है।

प्रश्न- 10 'उषा' कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों?

उत्तर- 'उषा' कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लीपे गए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नम एवं धुंधला होता है। इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा-चौका सूखकर साफ़ हो जाता है उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है।

1- कवितावली (उत्तर कांड से)

2- लक्ष्मण-मूर्च्छा और राम का विलाप (लंका कांड)

तुलसीदास

जीवन परिचय- गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बाँदा जिले के राजापुर गाँव में सन 1532 में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म-स्थान सोरों मानते हैं। इनका बचपन कष्ट में बीता। बचपन में ही इन्हें माता-पिता का वियोग सहना पड़ा। गुरु नरहरिदास की कृपा से इनको रामभक्ति का मार्ग मिला। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से ही वे वैरागी बनकर रामभक्ति में लीन हो गए थे। विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण करते रहे। इनका निधन काशी में सन 1623 में हुआ।

रचनाएँ- गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएँ निम्नलिखित हैं-

रामचरितमानस, कवितावली, रामलला नहछु, गीतावली, दोहावली, विनयपत्रिका, रामाज्ञा-प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती-मंगल, जानकी-मंगल, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी। इनमें से 'रामचरितमानस' एक महाकाव्य है। 'कवितावली' में रामकथा कवित्त व सवैया छंदों में रचित है। 'विनयपत्रिका' में स्तुति के गेय पद हैं।

काव्यगत विशेषताएँ- गोस्वामी तुलसीदास रामभक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। ये लोकमंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह तथ्य न सिर्फ़ उनकी काव्य-संवेदना की दृष्टि से, वरन काव्यभाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि शास्त्रीय भाषा (संस्कृत) में सर्जन-क्षमता होने के बावजूद इन्होंने लोकभाषा (अवधी व ब्रजभाषा) को साहित्य की रचना का माध्यम बनाया। तुलसीदास में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। 'रामचरितमानस' में प्रकृति व जीवन के

विविध भावपूर्ण चित्र हैं जिसके कारण यह हिंदी का अनुपम महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी लोकप्रियता का कारण लोक-संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। इनके सीता-राम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देशकाल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं।

भाषा-शैली- गोस्वामी तुलसीदास अपने समय में हिंदी-क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक तथा काव्यभाषायी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें भाव-विचार, काव्यरूप, छंद तथा काव्यभाषा की बहुल समृद्ध मिलती है। ये अवधी तथा ब्रजभाषा की संस्कृति कथाओं में सीताराम और राधाकृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग-वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांगरूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है।

सारांश-1 पहले कवित्त में कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है। मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से करते हैं चाहे वह व्यापार, खेती, नौकरी, नाच-गाना, चोरी, गुप्तचरी, सेवा-टहल, गुणगान, शिकार करना या जंगलों में घूमना हो। इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। यह पेट की आग समुद्र की बड़वानल से भी बड़ी है। अब केवल रामरूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं।

दूसरे कवित्त में कवि अकाल की स्थिति का चित्रण करता है। इस समय किसान खेती नहीं कर सकता, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाता तथा नौकरी की चाह रखने वालों को नौकरी नहीं मिलती। लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। वे विवश हैं। वेद-पुराणों में कही और दुनिया की देखी बातों से अब यही प्रतीत होता है कि अब तो भगवान राम की कृपा से ही कुशल होगी। वह राम से प्रार्थना करते हैं कि अब आप ही इस दरिद्रता रूपी रावण का विनाश कर सकते हैं।

सवैये में कवि ने भक्त की गहनता और सघनता में उपजे भक्त-हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है। वे कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, अवधूत या जोगी कहे, कोई राजपूत या जुलाहा कहे, किंतु मैं किसी की बेटे से अपने बेटे का विवाह नहीं करने वाला और न किसी की जाति बिगाड़ने वाला हूँ। मैं तो केवल अपने प्रभु राम का गुलाम हूँ। जिसे जो अच्छा लगे, वही कहे। मैं माँगकर खा सकता हूँ तथा मस्जिद में सो सकता हूँ किंतु मुझे किसी से कुछ लेना-देना नहीं है। मैं तो सब प्रकार से भगवान राम को समर्पित हूँ।

सारांश-2 युद्ध में लक्ष्मण के मूर्च्छित होने पर राम की सेना में हाहाकार मच गया। सब वानर सेनापति इकट्ठे हुए तथा लक्ष्मण को बचाने के उपाय सोचने लगे। सुषेण वैद्य के परामर्श पर हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण को गोद में लिटाकर राम व्याकुलता से हनुमान की प्रतीक्षा करने लगे। आधी रात बीत जाने के बाद राम अत्यधिक व्याकुल हो गए। वे विलाप करने लगे कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे। मेरे लिए ही तुमने वनवास स्वीकार किया। अब वह प्रेम मुझसे कौन करेगा ? यदि मुझे तुम्हारे वियोग का पता होता तो मैं तुम्हें कभी साथ नहीं लाता। संसार में सब कुछ दुबारा मिल सकता है , परंतु सहोदर भाई नहीं। तुम्हारे बिना मेरा जीवन पंखरहित पक्षी के समान है। अयोध्या जाकर मैं क्या जवाब दूँगा ? लोग कहेंगे कि पत्नी के

लिए भाई को गवा आया। तुम्हारी माँ को मैं क्या जवाब दूँगा? तभी हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए। वैद्य ने दवा बनाकर लक्ष्मण को पिलाई और उनकी मूच्छी ठीक हो गई। राम ने उन्हें गले से लगा लिया। वानर सेना में उत्साह आ गया। रावण को यह समाचार मिला तो उसने परेशान होकर कुंभकरण को उठाया। कुंभकरण ने जगाने का कारण पूछा तो रावण ने सीता के हरण से युद्ध तक की सारी बात बताई तथा बड़े-बड़े वीरों के मारे जाने की बात कही। कुंभकरण ने रावण को बुरा-भला कहा और कहा कि तुमने साक्षात् ईश्वर से वैर लिया है और अब अपना कल्याण चाहते हो! राम साक्षात् हरि तथा सीता जी जगदंबा हैं। उनसे वैर लेना कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता।

विशेष-1 कवि ने समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। पेट की आग बुझाने के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों का प्रभावपूर्ण वर्णन है। तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व अकाल की भयावह स्थिति का चित्रण है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। ब्रजभाषा का लालित्य विद्यमान है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। 'किसबी किसान-कुल', 'चाकर चपल', 'बेचत बेटा-बेटकी' आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। अभिधा शब्द-शक्ति है।

भगवान श्रीराम के प्रति तुलसीदास की भक्ति भावना प्रकट हुई है। वह समाज की मनोवृत्ति से बहुत दुःखी है। समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। कवि का दास्यभक्ति भाव चित्रित है। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है। सवैया छंद में सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। 'लैबोको एकु न दैबको दोऊ' मुहावरे का सशक्त प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है।

विशेष-2 श्रीराम के मानवीय रूप एवं उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है। प्रस्तुत प्रसंग में राम का भ्रातृ-प्रेम प्रशंसनीय है। करुण रस की प्रधानता है। सरल और सहज अवधी भाषा का प्रयोग है। दोहा, चौपाई और सोरठा छंद का सुंदर प्रयोग है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 'सिर धुनना' व 'मुख सूखना' मुहावरे का सुंदर प्रयोग है।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न-1 तुलसीदास के कवित्त के आधार पर तत्कालीन समाज की आर्थिक विषमता पर प्रकाश डालिए।

उत्तर- तुलसीदास अपने युग के स्रष्टा एवं द्रष्टा थे। उन्होंने अपने युग की प्रत्येक स्थिति को गहराई से देखा एवं अनुभव किया था। लोगों के पास चूँकि धन की कमी थी इसलिए वे धन के लिए सभी प्रकार के अनैतिक कार्य करने लग गए थे। उन्होंने अपने बेटा-बेटी तक बेचने शुरू कर दिए ताकि कुछ पैसे मिल सकें। पेट की आग बुझाने के लिए हर अधर्मी और नीचा कार्य करने के लिए तैयार रहते थे। जब किसान के पास खेती न हो और व्यापारी के पास व्यापार न हो तो ऐसा होना स्वाभाविक है।

प्रश्न-2 पेट की आग का शमन ईश्वर (राम) भक्ति का मेघ ही कर सकता है-तुलसी का यह काव्य-सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है ? तर्कसंगत उत्तर दीजिए।

उत्तर- पेट की आग का शमन ईश्वर (राम) भक्ति का मेघ ही कर सकता है-तुलसी का यह काव्य-सत्य कुछ हद तक इस समय का भी युग-सत्य हो सकता है किंतु यदि आज व्यक्ति निष्ठा भाव, मेहनत से काम करे तो उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। निष्ठा और पुरुषार्थ-दोनों मिलकर ही

मनुष्य के पेट की आग का शमन कर सकते हैं। दोनों में एक भी पक्ष असंतुलित होने पर वांछित फल नहीं मिलता। अतः पुरुषार्थ की महत्ता हर युग में रही है और आगे भी रहेगी।

प्रश्न-3 धूत कहौ, अवधूत कहौ, राजपूतु कहौ जोलहा लहा कहौ कोऊ

काहू की बेटीसों बेटा न ब्याहब काहूकी जाति बिकार न सोऊ।

इस सवैया में 'काहू के बेटा सों बेटी न ब्याहब' कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता?

उत्तर- तुलसीदास जाति-पाँति से दूर थे। वे इनमें विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसकी जाति बनाते हैं। पुरुष प्रधान समाज में विवाह होने पर लड़की की जाति या धर्म लड़के के जाति या धर्म के अनुसार हो जाती है। यदि वे काहू के बेटासों बेटी न ब्याहब कहते हैं तो उसका सामाजिक अर्थ में यही परिवर्तन होता कि बेटा या बेटी में उन्हें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। यद्यपि उन्हें बेटी या बेटा को ब्याहना नहीं है, लेकिन वे दोनों की बराबर कद्र करते हैं।

प्रश्न-4 धूत कहौ ' वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी

असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की हैं। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं ?

उत्तर- तुलसीदास ने इस छंद में अपने स्वाभिमान को व्यक्त किया है। वे सच्चे रामभक्त हैं तथा उन्हीं के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने किसी भी कीमत पर अपना स्वाभिमान कम नहीं होने दिया और एकनिष्ठ भाव से राम की अराधना की। समाज के कटाक्षों का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। उनका यह कहना कि उन्हें किसी के साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना, समाज के मुँह पर तमाचा है। वे किसी के आश्रय में भी नहीं रहते। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन-निर्वाह करते हैं तथा मस्जिद में जाकर सो जाते हैं। वे किसी की परवाह नहीं करते तथा किसी से लेने-देने का व्यवहार नहीं रखते। वे बाहर से सीधे हैं, परंतु हृदय में स्वाभिमानी भाव को छिपाए हुए हैं।

प्रश्न-5 भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर-लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय

अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं ? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए।

उत्तर- लक्ष्मण के मूर्च्छित होने पर राम को जिस तरह विलाप करते दिखाया गया है, वह ईश्वरीय लीला की बजाय आम व्यक्ति का विलाप अधिक लगता है। राम ने अनेक ऐसी बातें कही हैं जो आम व्यक्ति ही कहता है, जैसे-यदि मुझे तुम्हारे वियोग का पहले पता होता तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाता। मैं अयोध्या जाकर परिवारजनों को क्या मुँह दिखाऊँगा, माता को क्या जवाब दूँगा आदि। ये बातें ईश्वरीय व्यक्तित्व वाला नहीं कह सकता क्योंकि वह तो सब कुछ पहले से ही जानता है। उसे कार्यों का कारण व परिणाम भी पता होता है। वह इस तरह शोक भी नहीं व्यक्त करता। राम द्वारा लक्ष्मण के बिना खुद को अधूरा समझना आदि विचार भी आम व्यक्ति कर सकता है। इस तरह कवि ने राम को एक आम व्यक्ति की तरह प्रलाप करते हुए दिखाया है जो उसकी सच्ची मानवीय अनुभूति के अनुरूप ही है। हम इस बात से सहमत हैं कि यह विलाप राम की नर-लीला की अपेक्षा मानवीय अनुभूति अधिक है।

प्रश्न-6 शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है?

उत्तर- जब सभी लोग लक्ष्मण के वियोग में करुणा में डूबे थे तो हनुमान ने साहस किया। उन्होंने वैद्य द्वारा बताई गई संजीवनी लाने का प्रण किया। करुणा के इस वातावरण में हनुमान का यह प्रण सभी के मन में वीर रस का संचार कर गया। सभी वानरों और अन्य लोगों को लगने लगा कि अब लक्ष्मण की मूर्च्छा टूट जाएगी। इसीलिए कवि ने हनुमान के अवतरण को वीर रस का आविर्भाव बताया है।

प्रश्न-7 जैहउँ अवध कवन मुहुँ लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गवाई।

बरु अपजस सहतेऊँ जग माहीं। नारि हानि बिसेष छति नाहीं।

भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप-वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है?

उत्तर- भाई के शोक में डूबे राम ने कहा कि मैं अवध क्या मुँह लेकर जाऊँगा? वहाँ लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। वे कहते हैं कि नारी की रक्षा न कर पाने का अपयशता में सह लेता, किन्तु भाई की क्षति का अपयश सहना मुश्किल है। नारी की क्षति कोई विशेष क्षति नहीं है। राम के इस कथन से नारी की निम्न स्थिति का पता चलता है। उस समय पुरुष-प्रधान समाज था। नारी को पुरुष के बराबर अधिकार नहीं थे। उसे केवल उपभोग की चीज समझा जाता था। उसे असहाय व निर्बल समझकर उसके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाई जाती थी।

प्रश्न-8 कालिदास के 'रघुवंश' महाकाव्य में पत्नी (इंदुमती) के मृत्यु-शोक पर अज तथा निराला की 'सरोज-स्मृति' में पुत्री (सरोज) के मृत्यु-शोक पर पिता के करुण उद्गार निकले हैं। उनसे भातृशोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें।

उत्तर- रघुवंश महाकाव्य में पत्नी की मृत्यु पर पति का शोक करना स्वाभाविक है। 'अज' इंदुमती की अचानक हुई मृत्यु से शोकग्रस्त हो जाता है। उसे उसके साथ बिताए हर क्षण की याद आती है। वह पिछली बातों को याद करके रोता है, प्रलाप करता है। यही स्थिति निराला जी की है। अपनी एकमात्र पुत्री सरोज की मृत्यु होने पर निराला जी को गहरा आघात लगता है। निराला जी जीवनभर यही पछतावा करते रहे कि उन्होंने अपनी पुत्री के लिए कुछ नहीं किया। उसका लालन-पालन भी न कर सके। लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम का शोक भी इसी प्रकार का है। वे कहते हैं कि मैंने स्त्री के लिए अपने भाई को खो दिया, जबकि स्त्री के खोने से ज्यादा हानि नहीं होती। भाई के घायल होने से मेरा जीवन भी लगभग खत्म-सा हो गया है।

प्रश्न-9 'पेट ही को यचत, बेचत बेटा-बेटकी' तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है/ भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों (खासकर बेटियों) को भी बेच डालने की हृदय-विदारक घटनाएँ हमारे देश में घटती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें।

उत्तर- गरीबी के कारण तुलसीदास के युग में लोग अपने बेटा-बेटी को बेच देते थे। आज के युग में भी ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं। किसान आत्महत्या कर लेते हैं तो कुछ लोग अपनी बेटियों को भी बेच देते हैं। अत्यधिक गरीब व पिछड़े क्षेत्रों में यह स्थिति आज भी यथावत है। तुलसी तथा आज के समय में अंतर यह है कि पहले आम व्यक्ति मुख्यतया कृषि पर निर्भर था, आज आजीविका के लिए अनेक रास्ते खुल गए हैं। आज गरीब उद्योग-धंधों में मजदूरी करके जब चल सकता है पंतुकटु सब बाह है कि गबकीदता में इस यु" और वर्तमान में बाहु अंत नाह आया है ।

प्रश्न-10 तुलसी के युग की बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं ? आज की बेकारी की समस्या के कारणों के साथ उसे मिलाकर कक्षा में परिचचा करें।

उत्तर- तुलसी युग की बेकारी का सबसे बड़ा कारण गरीबी और भुखमरी थी। लोगों के पास इतना धन नहीं था कि वे कोई रोजगार कर पाते। इसी कारण लोग बेकार होते चले गए। यही कारण आज की बेकारी का भी है। आज भी गरीबी है, भुखमरी है। लोगों को इन समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलती, इसी कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

प्रश्न-11 राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के। इस प्रकार वे परस्पर सहोदर (एक ही माँ के पेट से जन्मे) नहीं थे। फिर, राम ने उन्हें लक्ष्य करके ऐसा क्यों कहा—‘मिलह न जगत सहोदर भ्राता’² इस पर विचार करें।

उत्तर- राम और लक्ष्मण भले ही एक माँ से पैदा नहीं हुए थे, परंतु वे एक ही पिता दशरथ के पुत्र थे और हमेशा एक-दूसरे के साथ रहते थे। राम अपनी माताओं में कोई अंतर नहीं समझते थे। लक्ष्मण सदैव परछाई की तरह राम के साथ रहते थे। उनके जैसा त्याग सहोदर भाई भी नहीं कर सकता था। इसी कारण राम ने कहा कि लक्ष्मण जैसा सहोदर भाई संसार में दूसरा नहीं मिल सकता।

प्रश्न-12 यहाँ कवि तुलसी के दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित, सवैया-ये पाँच छंद प्रयुक्त हैं। इसी प्रकार तुलसी साहित्य में और छंद तथा काव्य-रूप आए हैं। ऐसे छंदों व काव्य-रूपों की सूची बनाएँ।

उत्तर- तुलसी साहित्य में अन्य छंदों का भी प्रयोग हुआ है जो निम्नलिखित हैं- बरवै, छप्पय, हरिगीतिका। तुलसी ने इसके अतिरिक्त जिन छंदों का प्रयोग किया है उनमें छप्पय, झूलना मतंगयद, घनाक्षरी वरवै, हरिगीतिका, चौपय्या, त्रिभंगी, प्रमाणिका तोटक और तोमर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। काव्य रूप-तुलसी ने महाकाव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्यों की रचना की है। इसीलिए अयोध्यासिंह उपाध्याय लिखते हैं कि “कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला।”

प्रश्न-13 तुलसी ने अपने युग की जिस दुर्दशा का चित्रण किया है, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।

उत्तर- तुलसीदास के युग में जनसामान्य के पास आजीविका के साधन नहीं थे। किसान की खेती चौपट रहती थी। भिखारी को भीख नहीं मिलती थी। दान-कार्य भी बंद ही था। व्यापारी का व्यापार ठप था। नौकरी भी लोगों को नहीं मिलती थी। चारों तरफ बेरोजगारी थी। लोगों को समझ में नहीं आता था कि वे कहाँ जाएँ क्या करें?

प्रश्न-14 तुलसी के समय के समाज के बारे में बताइए।

उत्तर- तुलसीदास के समय का समाज मध्ययुगीन विचारधारा का था। उस समय बेरोजगारी थी तथा आम व्यक्ति की हालत दयनीय थी। समाज में कोई नियम-कानून नहीं था। व्यक्ति अपनी भूख शांत करने के लिए गलत कार्य भी करते थे। धार्मिक कट्टरता व्याप्त थी। जाति व संप्रदाय के बंधन कठोर थे। नारी की दशा हीन थी। उसकी हानि को विशेष नहीं माना जाता था।

प्रश्न-15 तुलसी युग की आर्थिक स्थिति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए।

उत्तर- तुलसी के समय आर्थिक दशा खराब थी। किसान के पास खेती न थी, व्यापारी के पास व्यापार नहीं था। यहाँ तक कि भिखारी को भीख भी नहीं मिलती थी। लोग यही सोचते रहते थे कि क्या करें, कहाँ जाएँ? वे धन-प्राप्ति के उपायों के बारे में सोचते थे। वे अपनी संतानों तक को बेच देते थे। भुखमरी का साम्राज्य फैला हुआ था।

प्रश्न-16 लक्ष्मण के मूर्च्छित होने पर राम क्या सोचने लगे?

उत्तर- लक्ष्मण शक्तिबाण लगने से मूर्च्छित हो गए। यह देखकर राम भावुक हो गए तथा सोचने लगे कि पत्नी के बाद अब भाई को खोने जा रहे हैं। केवल एक स्त्री के कारण मेरा भाई आज मृत्यु की गोद में जा रहा है। यदि स्त्री खो जाए तो कोई बड़ी हानि नहीं होगी, परंतु भाई के खो जाने का कलंक जीवनभर मेरे माथे पर रहेगा। वे सामाजिक अपयश से घबरा रहे थे।

प्रश्न-17 क्या तुलसी युग की समस्याएँ वतमान में समाज में भी विद्यमान हैं? अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर- तुलसी ने लगभग 500 वर्ष पहले जो कुछ कहा था, वह आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने अपने समय की मूल्यहीनता, नारी की स्थिति, आर्थिक दुरवस्था का चित्रण किया है। इनमें अधिकतर समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं। आज भी लोग जीवन-निर्वाह के लिए गलत-सही कार्य करते हैं। नारी के प्रति नकारात्मक सोच आज भी विद्यमान है। अभी भी जाति व धर्म के नाम पर भेदभाव होता है। इसके विपरीत, कृषि, वाणिज्य, रोजगार की स्थिति आदि में बहुत बदलाव आया है। इसके बाद भी तुलसी युग की अनेक समस्याएँ आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं।

प्रश्न-18 कुंभकरण ने रावण को किस सच्चाई का आइना दिखाया?

उत्तर- कुंभकरण रावण का भाई था। वह लंबे समय तक सोता रहता था। उसका शरीर विशाल था। देखने में ऐसा लगता था मानो काल आकर बैठ गया हो। वह मुँहफट तथा स्पष्ट वक्ता था। वह रावण से पूछता है कि तुम्हारे मुँह क्यों सूखे हुए हैं? रावण की बात सुनने पर वह रावण को फटकार लगाता है तथा उसे कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार उसने रावण को उसके विनाश संबंधी सच्चाई का आइना दिखाया।

चौपाई- चौपाई सम-मात्रिक छंद है। इसके चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। जैसे- सुत बित नारि भवन परिवारा। होहिं जाहिं जग बारहिं बारा।

अस विचारि जिये जागहु ताता। मिलइ न जगत सहोदर भ्राता।

दोहा- दोहा अर्द्धसम-मात्रिक छंद है। विषम चरणों (पहले और तीसरे) में 13-13 मात्राएँ होती हैं तथा सम चरणों (दूसरे और चौथे चरण) में 11-11 मात्राएँ होती हैं।

जैसे- सुनि दसकंधर बचन तब, कुंभकरन बिलखान।

जगदंबा हरि आनि अब, सठ चाहत कल्यान॥

सोरठा- इसके विषम चरणों (पहले और तीसरे) में 11-11 मात्राएँ होती हैं तथा सम चरणों (दूसरे और चौथे चरण) में 13-13 मात्राएँ होती हैं। दोहे को उलट देने से सोरठा बन जाता है।

जैसे- प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भए बानर निकर।

आइ गयउ हनुमान, जिमि करुना महं बीर रस॥

कवित्त- यह वार्णिक छंद है। इसे **मनहरण** भी कहते हैं। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। जैसे- खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि,

बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी
जीविका बिहीन लोग सीद्यमान सोच बस,
कहैं एक एकन सों 'कहाँ जाई, का करी ?'

बेदहूँ पुरान कही, लोकहूँ बिलोकिअत,
साँकरे सबैं पै, राम! रावरें कृपा करी।
दारिद-दसानन दबाई दुनी, दीनबंधु !
दुरित-दहन देखि तुलसी हहा करी।

सवैया- चूँकि सवैया वार्णिक छंद है, इसलिए सवैया छंद के कई भेद हैं। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मत्तगयंद सवैया है इसे मालती सवैया भी कहते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 23-23 वर्ण होते हैं जो 7 भगण + 2 गुरु (33) के क्रम के होते हैं।

जैसे- धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहीं, जोलहा कहो कोऊ।

कहू की बेटीसों बेटा न ब्याहब, काहूकी जाति बिगार न सौऊ।

तुलसी सरनाम गुलामु है राम को, जाको रुच सो कहे कछु आऊ।

माँगी कै खैबो, मसीत को सोइबो, लेबोको एकु न दैबको दोऊ॥

1-रुबाइयाँ

2- गज़ल

फ़िराक गोरखपुरी

जीवन परिचय- फ़िराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त, सन 1896 को गोरखपुर में हुआ। इनका मूल नाम रघुपति सहाय 'फ़िराक' था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। 1917 ई० में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 ई० में इस पद से त्यागपत्र दे दिया। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में इन्हें डेढ़ वर्ष की जेल हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें 'गुले-नग्मा' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। सन 1938 में इनका देहावसान हो गया।

रचनाएँ- गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं- गुले-नग्मा, बजमें जिंदगी, रंगे-शायरी, उर्दू गजलगोई।

काव्यगत विशेषताएँ- उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा रुमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बँधा रहा है जिसमें लोकजीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभरकर सामने आए हैं। नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हूसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है, फिराक गोरखपुरी भी उनमें से एक हैं। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द-भंडार का उपयोग करते हुए उसे नयी भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख-दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तलख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोकभाषा के प्रतीकों से जोड़कर उन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया।

भाषा-शैली- उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध है। शेर लिखे नहीं, कहे जाते हैं। यह एक तरह का संवाद होता है। मीर, गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साधकर आम-आदमी या साधारण-जन से अपनी बात कही है।

1-रुबाई फिराक की रुबाइयाँ उनकी रचना 'गुले-नग्मा' से उद्धृत हैं। रुबाई उर्दू और फ़ारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है।

सारांश- इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को आँगन में खड़ी होकर अपने हाथों में प्यार से झुला रही है। वह उसे बार-बार हवा में उछाल देती है जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हँस उठता है। वह उसे साफ़ पानी से नहलाती है तथा उसके उलझे हुए बालों में कंधी करती है। बच्चा भी उसे प्यार से देखता है जब वह उसे कपड़े पहनाती है। दीवाली के अवसर पर शाम होते ही पुते व सजे हुए घर सुंदर लगते हैं। चीनी-मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। वह बच्चों के छोटे घर में दीपक जलाती है जिससे बच्चों के सुंदर चेहरों पर दमक आ जाती है। आसमान में चाँद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता है। माँ उसे दर्पण में चाँद का प्रतिबिंब दिखाती है और उसे कहती है कि दर्पण में चाँद उतर आया है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है वहीं संबंध भाई का बहन से है।

2-गज़ल रुबाइयों की तरह ही फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गजल में दर्द और पीड़ा के साथ-साथ शायर की ठसक भी अंतर्निहित है।

सारांश- प्रस्तुत गजल के पहले दो शेरों में प्रकृति का मनोरम वर्णन है। अगले दो शेरों में सामाजिक जीवन का ताना-बाना है। अगले तीन शेरों में प्रेम में डूबे आशिक की दशा का चित्रण है और अंत के दो शेरों में उसकी शेरों शायरी की उत्कृष्टता की चर्चा है । बसंत ऋतु में कलियों में नया रस भरा होता है और वे अपनी पंखुड़ियों से कोमल बंधनों को खोल रही हैं। रात के समय

सारी सृष्टि शांत हो जाती है। हर जगह सन्नाटा छा जाता है। कवि बताता है कि रात को खामोशी भी बोलती हुई लगती है। अकर्मण्य व्यक्ति भाग्य को दोषी ठहराता है तथा भाग्य उसकी अकर्मण्यता को देखकर झल्लाती है। अतः दोनों का कार्य एक ही है। निंदक किसी की बुराईयाँ जब दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वे अपनी कमियाँ स्वयं प्रकट कर रहे होते हैं। कवि कहता है कि प्रेमी ने पूरे विवेक के साथ प्रेमिका के प्रेम को पाने के लिए पूरी कीमत अदा कर दी है। प्रेमी प्रेम की पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता है और चुपचाप अकेले में रो लेता है। प्रेमी स्वयं को जितना अधिक समर्पित करता है वह उतना ही प्रेम पाता है। अंतिम शेर में वह यह स्वीकार करता है कि उसकी गजलों पर मीर की गजलों का प्रभाव है।

विशेष-1 प्रस्तुत रुबाइयों में शायर ने माँ की ममता और उसकी खुशी का मनोरम वर्णन किया है। रक्षाबंधन के त्योहार का प्रभावी चित्रण है। वात्सल्य रस से सराबोर पंक्तियाँ मनमोहक बन पड़ी हैं। इन पंक्तियों में दृश्यबिंब का बेहतरीन प्रयोग हुआ है। ग्रामीण एवं बोलचाल के उर्दू-हिंदी मिश्रित शब्दावली का प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। 'चाँद के टुकड़े' मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। 'रह-रह' में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रुबाई छंद का सुन्दर प्रयोग है।

विशेष-2 गज़ल के शेरों में अलग-अलग भाव व्यक्त किए गए हैं। प्रकृति के सौंदर्य का मनोरम वर्णन किया गया है। सांसारिक लोगों की मनोवृत्ति का सहज वर्णन हुआ है। प्रेम में डूबे आशिक की विविध दशाओं का चित्रण किया गया है। शायर ने अपनी शेर-ओ-शायरी के लिए अपने उस्ताद के प्रति समर्पण भाव व्यक्त किया है। बिंब योजना प्रभावशाली बन पड़ी है। उर्दू-फारसी भाषा का प्रयोग है। ग्रामीण एवं बोलचाल के उर्दू-हिंदी मिश्रित शब्दावली का प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। गज़ल शैली का प्रयोग दर्शनीय है।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1- शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है?

उत्तर- रक्षाबंधन एक मीठा और पवित्र बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। जो संबंध सावन का घटा से होता है तथा घटा का जो संबंध बिजली से होता है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। शायर यही भाव व्यंजित करना चाहता है कि यह बंधन पवित्र है और बिजली की तरह चमकता रहे।

प्रश्न 2- खुद का परदा खोलने से क्या आशय है?

उत्तर- 'खुद का परदा' खोलने का आशय है-अपनी कमियाँ या दोषों को स्वयं ही प्रकट करना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो वह अपनी स्वयं की ही कमजोरी व्यक्त कर रहा होता है। कवि की बुराई करने वाला अपनी बुराईयों से भी परदा उठाता है।

प्रश्न 3- किस्मत हमको रो लेवे है हम किस्मत को रो लेवे हैं- इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तना-तनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। चर्चा कीजिए।

उत्तर- ऊपर की पंक्ति को देखकर (पढ़कर) कहा जा सकता है कि शायर कभी भाग्यवादी नहीं रहा। वास्तव में किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया। वह इसलिए किस्मत पर भरोसा नहीं करता। जब कभी भाग्य की बात चलती है तो वह उसके नाम पर केवल रो लेता है।

प्रश्न 4- गोदी के चाँद और गगन के चाँद का रिश्ता स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- 'गोदी के चाँद' का अर्थ है- नन्हा कोमल बच्चा जो अपनी माँ की गोद में रहता है। वह अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान करता है। उसका अप्रतिम सौंदर्य माँ को अभिभूत करता है। इसी तरह आकाश में चाँद होता है जो अपनी चाँदनी से संसार को उजाला देता है। वह बच्चों की तरह खुशी का प्रसार करता है। इसके अतिरिक्त, गगन का चाँद गोदी के चाँद को अच्छा लगता है।

प्रश्न 5- 'रूबाइयाँ' के आधार पर घर-आँगन में दीवाली और राखी के दृश्य-बिंब को अपने शब्दों में समझाइए।

उत्तर- कवि दीपावली के त्योहार के बारे में बताते हुए कहता है कि इस अवसर पर घर में पुताई की जाती है तथा उसे सजाया जाता है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने खिलौने आते हैं। रोशनी भी की जाती है। बच्चे के छोटे-से घर में दिए के जलाने से माँ के मुखड़े की चमक में नयी आभा आ जाती है। रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में आता है। इस त्योहार पर आकाश में हल्की घटाएँ छाई होती हैं। राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हुए प्रतीत होते हैं।

प्रश्न 6- फिराक की गजल में प्रकृति को किस तरह चित्रित किया गया है?

उत्तर- फिराक की गजल के प्रथम दो शेर प्रकृति वर्णन को ही समर्पित हैं। प्रथम शेर में कलियों के खिलने की प्रक्रिया का भावपूर्ण वर्णन है। कवि इस शेर को नव रसों से आरंभ करता है। हर कोमल गाँठ के खुल जाने में कलियों का खिलना और दूसरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है कि सब बंधनों से मुक्त हो जाना, संबंध सुधर जाना। इसके बाद कवि कलियों के खिलने से रंगों और सुगंध के फैल जाने की बात करता है। पाठक के समक्ष एक बिंब उभरता है। वह सौंदर्य और सुगंध दोनों को महसूस करता है।

प्रश्न 7-'फिराक' की रूबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- 'फिराक' की रूबाइयों में घरेलू जीवन का चित्रण हुआ है। इन्होंने कई बिंब उकेरे हैं। एक बिंब में माँ छोटे बच्चे को अपने हाथ में झुला रही है। बच्चे की तुलना चाँद से की गई है। दूसरे बिंब में माँ बच्चे को नहलाकर कपड़े पहनाती है तथा बच्चा उसे प्यार से देखता है। तीसरे बिंब में बच्चे द्वारा चाँद लेने की जिद करना तथा माँ द्वारा दर्पण में चाँद दिखा कर अपने पुत्र को चाँद से अच्छा बताया गया है।

प्रश्न 8- पाठ्यपुस्तक में संकलित फिराक गोरखपुरी की गजल का केंद्रीय भाव लिखिए।

उत्तर- फिराक गोरखपुरी ने 'गजल' में दर्द व कसक का वर्णन किया है। उसने बताया है कि लोगों ने उसे सदा ताने दिए हैं। उसकी किस्मत हमेशा उसे दगा देती रही। दुनिया में केवल गम ही था जो उसके पास रहा। उसे लगता है जैसे रात के सन्नाटे में कोई बोल रहा है। इश्क के बारे में शायर का कहना है कि इश्क वही पा सकता है जो अपना सब-कुछ दाँव पर लगा दे। कवि की गजलों पर मीर

की गजलों का प्रभाव है। यह गज़ल इस तरह बोलती है जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव्यशिल्प की वह ऊँचाई, जो गजल की विशेषता मानी जाती है।

प्रश्न 9- फिराक की रुबाई में भाषा के विलक्षण प्रयोग किए गए हैं-स्पष्ट करें।

उत्तर- कवि की भाषा उर्दू है, परंतु उन्होंने हिंदी व लोकभाषा का भी प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में हिंदी, उर्दू व लोकभाषा के अनूठे गठबंधन के विलक्षण प्रयोग हैं जिसे गाँधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। ये विलक्षण प्रयोग हैं-लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिदयाया बालक, रस की पुतली। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है-

देख आईने में चाँद उतर आया है।

चाँद की परछाई भी चाँद ही है।

पहलवान की ढोलक

फणीश्वर नाथ रेणु

जीवन परिचय-हिंदी-साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च, 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले (अब अररिया) के औराही हिंगना में हुआ था। 1942 ई० के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में इन्होंने बढ़-चढ़कर भाग लिया। सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया। इनकी साहित्य-साधना व राष्ट्रीय भावना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 11 अप्रैल, 1977 को पटना में इनका देहावसान हो गया।

रचनाएँ- हिंदी कथा-साहित्य में रेणु का प्रमुख स्थान है। इनकी तमाम रचनाएँ पाँच खंडों में 'रेणु रचनावली' के नाम से प्रकाशित हैं। इनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं-

उपन्यास- मैला आँचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, कितने चौराहे ।

कहानी-संग्रह- ठूमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप।

संस्मरण- ऋणजल धनजल, वनतुलसी की गंध, श्रुत-अश्रुत पूर्व।

रिपोर्टाज- नेपाली क्रांति कथा।

साहित्यिक विशेषताएँ- हिंदी साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय भागीदारी की। इनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही।

1954 ई० में इनका उपन्यास 'मैला आँचल' प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास विधा को नयी दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श 'मैला आँचल' से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की इस अवधारणा ने उपन्यासों और कथा-साहित्य में गाँव की भाषा-संस्कृति और वहाँ के लोक-जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक-संस्कृति, लोकभाषा एवं लोकनायक की इस अवधारणा ने भारी-भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ शस्य-श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल-भरा और मैला भी।

आजादी मिलने के बाद भारत में जब सारा विकास शहरों में केंद्रित होता जा रहा था तो ऐसे में रेणु ने अंचल की समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। इनकी रचनाएँ इस अवधारणा को भी पृष्ठ करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। भाषा-शैली-रेणु की भाषा भी अंचल-विशेष से प्रभावित है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। गंभीर विषयों पर भाषा संस्कृतनिष्ठ हो जाती है। भाषा में चित्रात्मकता बहुत मिलती है। भाव-प्रवाह के अनुसार वाक्य छोटे हो जाते हैं। विशेषणों का सुंदर प्रयोग है।

प्रतिपादय- 'पहलवान की ढोलक' कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक-कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता-परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नयी व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह 'भारत' पर 'इंडिया' के छा जाने की समस्या है जो लुट्टन पहलवान को लोक-कलाकार के आसन से उठाकर पैट-भरने के लिए हाय-तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गाँव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती ? फिर भी, पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आपको न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गाँव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। कहानी के अंत में भूख-महामारी की शकल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजेय लुट्टन की भरी-पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं तो इस करुणा/त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की ? क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है ? मनुष्यता की साधना और जीवन-सौंदर्य के लिए लोक-कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है ? यह पाठ ऐसे कई प्रश्न छोड़ जाता है।

सारांश- सर्दी का मौसम था। गाँव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था। अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे। सियारों व उल्लुओं की डरावनी आवाज से वातावरण की निस्तब्धता कभी-कभी भंग हो जाती थी। कभी किसी झोपड़ी से कराहने व कै करने की आवाज तथा कभी-कभी बच्चों के रोने की आवाज आती थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे। सायं या रात्रि को सब मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी। यह आवाज मृत-गाँव में संजीवनी शक्ति भरती थी।

गाँव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। नौ वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता , ताजा दूध पीता तथा कसरत करता था। गाँव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला में 'दंगल' देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दाँव-पेंच देखकर उसने 'शेर के बच्चे' को चुनौती दे डाली। 'शेर के बच्चे' का असली नाम था-चाँद सिंह। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। तीन दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता

सिद्ध करने के लिए बीच-बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल व शिकार-प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। दर्शक उसे पागल समझते थे। चाँद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा , परंतु वह सफ़ाई से आक्रमण को सँभालकर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाजत माँगी। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने उसे समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि इजाजत न मिली तो पत्थर पर माथा पटककर मर जाएगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश होकर राजा साहब ने इजाजत दे दी। बाजे बजने लगे। लुट्टन का ढोल भी बजने लगा था। चाँद ने उसे कसकर दबा लिया था। वह उसे चित्त करने की कोशिश में था। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ़ ढोल की आवाज थी , जबकि चाँद के पक्ष में राजमत व बहुमत था।

लुट्टन की आँखें बाहर निकल रही थीं, तभी ढोल की पतली आवाज सुनाई दी 'धाक-धिना, तिरकट-तिना, धाक-धिना, तिरकट-तिना।' इसका अर्थ था-दाँव काटो, बाहर हो जाओ। लुट्टन ने दाँव काटी तथा लपक कर चाँद की गर्दन पकड़ ली। ढोल ने आवाज दी-चटाक्-चट्-धा अर्थात् उठाकर पटक दे। लुट्टन ने दाँव व जोर लगाकर चाँद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने 'धिना-धिना, धिक-धिना।' कहा और लुट्टन ने चाँद सिंह को चारों खाने चित्त कर दिया। ढोलक ने 'वाह बहादुर!' की ध्वनि की तथा जनता ने माँ दुर्गा की , महावीर जी की , राजा की जय-जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया।

पंजाबी पहलवानों की जमायत चाँद सिंह की आँखें पोंछ रही थी। राजा साहब ने लुट्टन को प्रसूकृत न करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राजपंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उनकी एक न सुनी। कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया। उसने 'काला खाँ' जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। उसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बन अर्थात् लुट्टन सिंह मेलों में घूटने तक लंबा चोंगा पहने , अस्त-व्यस्त पगड़ी बाँधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। हलवाई के आग्रह पर दो सेर रसगुल्ला खाता तथा मूँह में आठ-दस पान एक साथ दूँस लेता। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। कोई करता तो उसे राजा साहब इजाजत नहीं देते थे। इस तरह पंद्रह वर्ष बीत गए। उसके दो पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी दो पहलवान पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का भरण-पोषण दरबार से हो रहा था। पहलवान हर रोज सुबह उनसे कसरत करवाता। दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता। वह बताता कि उसका गुरु ढोल है , और कोई नहीं। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए

राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गाँव लौट आया। गाँव वालों ने उसकी झोपड़ी बना दी तथा वह गाँव के नौजवानों व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने-पीने का खर्च गाँव वालों की तरफ से बँधा हुआ था। गरीबी के कारण धीरे-धीरे किसानों व मजदूरों के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए। अब वह अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता। लड़के दिनभर मजदूरी करके कमाकर लाते थे। गाँव पर अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई तथा फिर मलेरिया व हैजा फैल गया। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन दो-तीन लाशें उठने लगीं। लोग एक-दूसरे को ढाँढस देते तथा शाम होते ही घरों में घुस जाते। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी जो गाँव के अर्द्धमृत, औषधि-उपचार-पथ्य-विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी साँस लेकर कहा-दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जाँघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। इस घटना के बाद गाँव वालों की हिम्मत टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दृगुनी बढ़ गई। चार-पाँच दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश 'चित' पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए क्योंकि वह कभी 'चित' नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा देना।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न-1 कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाँव-पेंच में क्या तालमेल था?

उत्तर- कुश्ती के समय जब ढोल बजती थी तो लुट्टन की रगों में अजीब-सी हलचल पैदा हो जाती थी। ढोलक की थाप पर उसकी नशों में बिजली दौड़ने लगती थी। ढोल की आवाज से उसे प्रेरणा मिलती थी। उसके दाँव-पेंच की परीक्षा ढोलक की उठती-गिरती आवाज से होती थी। अचानक उसकी फुर्ती और गति बढ़ जाती थी। लेखक ने कहानी में कई ध्वन्यात्मक शब्दों का मजेदार प्रयोग किया है। ये शब्द हमारे मन को रंजित करते हैं, साथ ही हमें यह प्रेरणा भी देते प्रतीत होते हैं। इन शब्दों से मन में कुछ करने की लालसा जोर मारने लगती है। परोक्ष रूप से ये शब्द शक्ति देते हैं।

प्रश्न 2- कहानी के किस-किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आए?

उत्तर- कहानी में अनेक मोड़ ऐसे हैं जहाँ पर लुट्टन के जीवन में परिवर्तन आते हैं। वे निम्नलिखित हैं- बचपन में नौ वर्ष की आयु में उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई और उसका

पालन-पोषण उसकी विधवा सास ने किया। सास पर हुए अत्याचारों को देखकर बदला लेने के लिए वह पहलवानी करने लगा। किशोरावस्था में उसने श्यामनगर दंगल में चाँद सिंह नामक पहलवान को हराया तथा 'राज-पहलवान' का दर्जा हासिल किया। उसने 'काला खाँ' जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को जमीन सुँघा दी तथा अजेय पहलवान बन गया। वह पंद्रह वर्ष तक राज-दरबार में रहा। उसने अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी सिखाई। राजा साहब के अचानक स्वर्गवास के बाद नए राजा ने उसे दरबार से हटा दिया। वह गाँव लौट आया। गाँव आकर उसने गाँव के बाहर अपना अखाड़ा बनाया तथा ग्रामीण युवकों को कुश्ती सिखाने लगा। अकस्मात् सूखा व महामारी से गाँव में हाहाकार मच गया। उसके दोनों बेटे भी इस महामारी की चपेट में आ गए। वह उन्हें कंधे पर लादकर नदी में बहा आया। पुत्रों की मृत्यु के बाद वह कुछ दिन अकेला रहा और अंत में चल बसा।

प्रश्न 3- लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि 'मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि यही ढोल है'?

उत्तर- वास्तव में, लुट्टन पहलवान का कोई गुरु नहीं था। जब पहली बार वह दंगल देखने गया तो वहाँ ढोल की थाप पर दांव-पैच चल रहे थे। पहलवान ने इन थापों को ध्यान से सुना और उसमें अजीब-सी ऊर्जा भर गई। उसने चाँद सिंह को ललकारा और उसे चित कर दिया। ढोल की थाप ने उसे दंगल लड़ने की प्रेरणा दी और वह जीत गया। इसीलिए उसने कहा होगा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि यही ढोल है।

प्रश्न 4- गाँव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा?

उत्तर- गाँव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। इसका कारण था-गाँव में निराशा का माहौल। महामारी व सूखे के कारण चारों तरफ मृत्यु का सन्नाटा था। घर-के-घर खाली हो गए थे। रात्रि की विभीषिका में चारों तरफ सन्नाटा होता था। ऐसे में उस विभीषिका को पहलवान की ढोलक ही चुनौती देती रहती थी। ढोल की आवाज से निराश लोगों के मन में उमंग जगती थी। उनमें जीवंतता भरती थी। वह लोगों को बताना चाहता था कि अंत तक जोश व उत्साह से लड़ते रहो।

प्रश्न 5- ढोलक की आवाज का पूरे गाँव पर क्या असर होता था?

उत्तर- ढोलक गाँववालों के लिए संजीवनी का काम करती थी। उनके मन में छाई उदासी को दूर करने में सहायक थी। उनके मन में जिजीविषा पैदा हो जाती थी। ढोल की हर थाप से उनके मन में चेतना आ जाती थी। बूढ़े, बच्चे जवानों की आँखों में अचानक चमक भर जाती थी। स्पंदनहीन और शक्तिहीन रंगों में अचानक बिजली की तरह खून दौड़ने लगता था।

प्रश्न 6- महामारी फैलने के बाद गाँव में सूर्योदय और सूर्यास्त के में क्या अंतर होता था?

उत्तर- सूर्योदय का दृश्य-महामारी फैलने की वजह गाँव में सूर्योदय होते ही लोग काँखते-कूँखते,

कराहते अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसियों व आत्मीयों को ढाँडस देते थे। इस प्रकार उनके चेहरे पर चमक बनी रहती थी। वे बचे हुए लोगों को शोक न करने की बात कहते थे। सूर्यास्त का दृश्य-सूर्यास्त होते ही सभी लोग अपनी-अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। उस समय वे चूँ तक नहीं करते थे। उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। यहाँ तक कि माताओं में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार 'बेटा!' कहकर पुकारने की हिम्मत भी नहीं होती थी। ऐसे समय में पहलवान की ढोलक की आवाज रात्रि की विभीषिका को चुनौती देती रहती थी।

प्रश्न 7- कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था-

(क) ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं हैं?

(ख) इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है?

(ग) कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या-क्या काय किए जा सकते हैं?

उत्तर-

(क) अब न तो राजा रहे और न ही वे पहलवान। वास्तव में पहलवानी बहुत खर्चीला खेल है। फिर इसके लिए अभ्यास की नियमित आवश्यकता है। आज कल लोगों के पास इतना समय नहीं कि वे दिन में 18-20 कसरत करें फिर बदले में मिलता भी कुछ नहीं है। केवल नाम के सहारे पेट नहीं पल सकता।

(ख) कुश्ती की जगह अब घुड़सवारी, फुटबाल, क्रिकेट, टेनिस, बॉलीबाल, बेसबॉल आदि खेलों ने ली है। इन खेलों में पैसा और शोहरत दोनों हैं। फिर खेल से रिटायर होने के बाद भी जीविका बनी रहती है।

(ग) कुश्ती को यदि फिर से प्रिय खेल बनाना है तो इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को योजना बनानी चाहिए। व्यायामशालाएँ होनी चाहिए ताकि पहलवान कसरत कर सकें। अन्य खेलों की तरह ही जीतने वाले पहलवान को अच्छी खासी रकम इनाम में दी जानी चाहिए। यदि कोई पहलवान रिटायर हो जाए या दुर्घटना में उसे चोट लग जाए तो जीवनभर उसके लिए रोटी का प्रबंध किया जाना चाहिए।

प्रश्न 8- आशय स्पष्ट करें -

आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हँस पड़ते थे।

उत्तर- लेखक अमावस्या की रात की विभीषिका का चित्रण करता है। महामारी के कारण गाँव में सन्नाटा है। ऐसी स्थिति में कोई भावुक तारा आकाश से टूटकर अपनी रोशनी गाँव वालों को देना चाहे तो भी उसकी चमक व शक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाती है। तारे धरती से बहुत दूर

हैं। भावुक तारे की असफलता पर अन्य तारे खिलखिलाकर हँसने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, स्थिर तारे चमकते हुए लगते हैं तथा टूटा हुआ तारा समाप्त हो जाता है।

प्रश्न 9- ढोलक की थाप मृत-गाँव में संजीवनी शक्ति मरती रहती थी-कला से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए।

उत्तर- कला का जीवन से प्रत्यक्ष संबंध है। संगीत व काव्य की श्रेष्ठता तो जग-प्रसिद्ध है। ये दोनों निराश मनो में उत्साह का संचार करते हैं। युद्ध में गीत व संगीत से जवानों में मर मिटने का जोश उत्पन्न हो जाता है। हास्य-व्यंग्य की कविताएँ सुनकर भ्रष्टाचारी तिलमिलाकर रह जाते हैं। इसी तरह पेंटिंग, नृत्य, अभिनय-ये सभी सफलता व प्रसिद्ध को प्राप्त करते हैं जब वे जीवन से जुड़ते हैं। संगीत पर हजारों व्यक्तियों को एक साथ झूमते देखा जा सकता है।

प्रश्न 10- कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है। स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- कला अपने बूते पर जीवित रहती है। कोई इसे मिटाना चाहे तो भी यह जीवित रहती है। फिर चाहे इसका रूप ही क्यों न बदल जाए। व्यवस्थाएँ कला को विकासशील बना सकती हैं लेकिन कला उन पर आश्रित बिल्कुल नहीं। कई बार तो कला ही व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर देती है। कला एक अमर और शाश्वत सत्य है जिसे निराश्रित नहीं किया जा सकता।

प्रश्न 11- 'ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी थी -'पहलवान की ढोलक' पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए।

उत्तर- लुट्टन सिंह जब जवानी के जोश में आकर चाँद सिंह नामक मँजे हुए पहलवान को ललकार बैठा तो सारा जनसमूह, राजा और पहलवानों का समूह आदि की यह धारणा थी कि यह कच्चा किशोर जिसने कुश्ती कभी सीखी नहीं है, पहले दाँव में ही ढेर हो जाएगा। हालाँकि लुट्टन सिंह की नसों में बिजली और मन में जीत का जज्बा उबाल खा रहा था। उसे किसी की परवाह न थी। हाँ, ढोल की थाप में उसे एक-एक दाँव-पेंच का मार्गदर्शन जरूर मिल रहा था। उसी थाप का अनुसरण करते हुए उसने 'शेर के बच्चे' को खूब धोया, उठा-उठाकर पटका और हरा दिया। इस जीत में एकमात्र ढोल ही उसके साथ था। अतः जीतकर वह सबसे पहले ढोल के पास दौड़ा और उसे प्रणाम किया।

प्रश्न 12- लुट्टन के राज-पहलवान बन जाने के बाद की दिनचर्या पर प्रकाश डालिए।

उत्तर- लुट्टन जब राज-पहलवान बन गया तो उसकी कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन मिलने से वह राज-दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। ठाकुरबाड़े के सामने पहलवान गरजता- 'महावीर'। लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहनकर तथा अस्त-व्यस्त पगड़ी बाँधकर मतवाले हाथी की तरह चलता था। मेले के दंगल में वह लेंगोट पहनकर, शरीर पर मिट्टी मलकर स्वयं को साँड़ या भैंसा साबित करता रहता था।

प्रश्न 13- लुट्टन पहलवान का चरित्र-चित्रण कीजिए।

उत्तर- लुट्टन पहलवान के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

1. **व्यक्तित्व-**लुट्टन सिंह लंबा-चौड़ा व ताकतवर व्यक्ति था। वह लंबा चोंगा पहनता था तथा अस्त-व्यस्त पगड़ी बाँधता था। वह इकलौती एवं अनाथ संतान था। अतः उसका पालन-पोषण उसकी विधवा सास ने किया था।
2. **भाग्यहीन-**लुट्टन का भाग्य शुरू से ही खराब था। बचपन में माता-पिता गुजर गए। पत्नी युवावस्था में ही चल बसी थी। उसके दोनों लड़के महामारी की भेंट चढ़ गए। इस प्रकार वह सदैव पीड़ित रहा।
3. **साहसी-**लुट्टन साहसी था। उसने अपने साहस के बल पर चाँद सिंह जैसे पहलवान को चुनौती दी तथा उसे हराया। उसने 'काला खाँ' जैसे पहलवान को भी चित कर दिया। महामारी में भी वह सारी रात ढोल बजाता था।
4. **संवेदनशील-**लुट्टन में संवेदना थी। वह अपनी सास पर हुए अत्याचारों को सहन नहीं कर सका और पहलवान बन गया। गाँव में महामारी के समय निराशा का माहौल था। ऐसे में वह रात में ढोल बजाकर लोगों में जीने के प्रति उत्साह पैदा करता था।

प्रश्न 14- 'पहलवान की ढोलक' कहानी का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- 'पहलवान की ढोलक' कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक-कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने को रेखांकित करती है। राजा साहब के मरते ही नयी व्यवस्था ने जन्म लिया। पुराने संबंध समाप्त कर दिए गए। पहलवानी जैसा लोकखल समाप्त कर दिया गया। यह 'भारत' पर 'इंडिया' के छा जाने का प्रतीक है। यह व्यवस्था लोक-कलाकार को भूखा मरने पर मजबूर कर देती है।

प्रश्न 15- 'लुट्टन को गाँव वापस क्यों आना पड़ा?

उत्तर- तत्कालीन राजा कुशती के शौकीन थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद विलायत से शिक्षा प्राप्त करके आए राजकुमार ने सत्ता संभाली। उन्होंने राजकाज से लेकर महल के तौर-तरीकों में भी परिवर्तन कर दिए। मनोरंजन के साधनों में कुशती का स्थान घुड़-दौड़ ने ले लिया। अतः पहलवानों पर राजकीय खर्च का बहाना बनाकर उन्हें जवाब दे दिया गया। इस कारण लुट्टन को गाँव वापस आना पड़ा।

प्रश्न 16- पहलवान के बेटों की मृत्यु पर गाँव वालों की हिम्मत क्यों टूट गई?

उत्तर- पहलवान के दोनों बेटे गाँव में फैली महामारी की चपेट में आकर चल बसे। इस घटना से गाँव वालों की हिम्मत टूट गई क्योंकि वे पहलवान को अपना सहारा मानते थे। अब उन्हें लगा कि पहलवान अंदर से टूट जाएगा तथा उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं रहेगा।

प्रश्न 17- 'पहलवान की ढोलक' कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया गया है? लिखिए।

उत्तर- 'पहलवान की ढोलक' कहानी में पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या यह है- पुरानी व्यवस्था में कलाकारों और पहलवानों को राजाओं का आश्रय एवं संरक्षण प्राप्त था। वे शाही खर्च पर जीवित रहते थे, पर नई व्यवस्था में ऐसा न था। पुरानी व्यवस्था में राज-दरबार और जनता द्वारा इन कलाकारों को मान-सम्मान दिया जाता था, पर नई व्यवस्था में उन्हें सम्मान देने का प्रचलन न रहा।

नमक

रजिया सज्जाद जहीर

जीवन परिचय- रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी, 1917 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इन्होंने बी०ए० तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। शादी के बाद इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एम०ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में ये अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गल्ज कॉलेज में पढ़ाने लगीं। सन 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उ०प्र०, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से नवाजा गया। इनका देहावसान 18 दिसंबर, सन 1979 को हुआ।

रचनाएँ- ये मूलतः उर्दू की कहानी लेखिका हैं। इनकी उर्दू कहानियों के संग्रह का नाम 'जर्द-ए-गुलाब' है।

साहित्यिक विशेषताएँ- आधुनिक उर्दू कथा-साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी, उपन्यास व बाल-साहित्य भी लिखा है। इन्होंने मौलिक लेखन तो किया ही है, साथ ही अन्य भाषाओं के साहित्य का भी उर्दू में अनुवाद किया है। इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास हुआ है। सामाजिक यथार्थ व मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की विशेषता है।

भाषा-शैली- उर्दू लेखिका रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। इनकी कुछ कहानियाँ हिंदी में भी रूपांतरित हो चुकी हैं।

प्रतिपादय- 'नमक' कहानी भारत-पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने-पराये, देस-परदेस की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फ़रमाइश करती हैं। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत

देते हुए देहली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है, "मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र-राज्यों की नयी सीमा-रेखाएँ खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर-उधर अपनी जगहें म्कर्कर कर चुके हैं, इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएँ उनके अंतर्मन तक नहीं पहुँच पाई हैं। एक अनचाही, अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने-अपने जन्म-स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी-सी चीज का सफ़र पहचान के इस मार्मिक पहलू को परत-दर-परत उघाड़ देता है। यह पहलू जब तक सरहद के आर-पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएँगी।" लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है-"उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और देहली मेरा, तो बाकी सब रफ़ता-रफ़ता ठीक हो जाएगा।"

सारांश- सफ़िया अपने पड़ोसी सिख-परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी। वहाँ एक सिख बीवी को देखकर वह हैरान हो गई क्योंकि उसकी आँखें, भारी भरकम जिस्म, वस्त्र आदि सब सफ़िया की माँ की तरह थे। सफ़िया की प्रेम-दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा। जब उसे पता चला कि वह सुबह लाहौर जा रही है तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। उसने बताया कि वह विभाजन के बाद भारत आई थी। उनका वतन तो जी लाहौर ही है। कीर्तन समाप्त होने के समय सफ़िया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा। उसने हिचकिचाहट के साथ लाहौरी नमक लाने के लिए कहा।

वह लाहौर में पंद्रह दिन रुकी। उसके भाइयों ने खूब खातिरदारी की। मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आए। उसके सामने सेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। पुलिस अफ़सर भाई ने इसे गैर-कानूनी बताया तथा व्यंग्य किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया था। लेखिका इस पर झुंझला गई तथा नमक ले जाने की जिद की। भाई ने कस्टम की जाँच का हवाला दिया तथा बेइज्जती होने का डर दिखाया। लेखिका उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी। वह प्रेम की चीज को शालीनता से ले जाना चाहती थी, परंतु भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया। अंत में वह रोने लगी तथा भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन दो बजे दिन को उसे रवाना होना था। उसने सारी रात पैकिंग की। सारा सामान सूटकेस व बिस्तरबंद में आ गया। अब कीनू की टोकरी तथा नमक की पुड़िया ही शेष रह गई थीं। गुस्सा उतरने पर भावना के स्थान पर बृद्ध धीरे-धीरे हावी हो रही थी। उसने कीनूओं के ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी। आते समय उसने देखा था कि भारत से केले जा रहे थे तथा पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे। कोई जाँच नहीं हो रही थी। इस तरह नमक सुरक्षित पहुँच जाएगा। फिर वह सो गई। वह लाहौर के सौंदर्य, माहौल व सगे-संबंधियों के बारे में स्वप्न देख रही थी। यहाँ उसके तीन सगे भाई, चाहने वाले दोस्त, नन्हे-नन्हे भतीजे-भतीजियाँ-सब याद आ

रहे थे। कल वह लाहौर से जा रही थी। शायद फिर वह न आ सके। फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें आदि दिखाई दीं।

अचानक उसकी आँखें खुल गई क्योंकि उसका हाथ कीनूओं की टोकरी पर जा पड़ा था। उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान व पाकिस्तान की एकता का मेवा है। वह फ्रस्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया था। वह सोच रही थी कि आस-पास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी की तह में कीनूओं के नीचे नमक की पुड़िया है।

जब सामान कस्टम जाँच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मुहब्बत का यह तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली। जब सामान जाँच के बाद रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। वह लंबा, पतला, खिचड़ी बालों वाला था। उसने उसके वतन के बारे में पूछा। उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया। लेखिका ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी तथा उसे सब कुछ बता दिया।

सारी बातें सुनकर उसने पुड़िया को अच्छी तरह लपेटकर स्वयं सफ़िया के बैग में रख दिया तथा कहा कि मुहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा तथा सिख बीवी को भी संदेश देने को कहा- "लाहौर अभी तक उनका वतन है और देहली मेरा, तो बाकी सब रफ़ता-रफ़ता ठीक हो जाएगा।" सफ़िया कस्टम के जैगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। एक जैसी भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाज व गालियों आदि के कारण लाहौर खत्म होने व अमृतसर शुरू होने का पता नहीं चला। अमृतसर में कस्टम की जाँच शुरू हुई तो वह कस्टम अफसर के पास पहुँची तथा अपने पास नमक होने की पूरी बात कह सुनाई। अफसर ने उसे साथ चलने को कहा। एक कमरे में जाकर उसने उसे बैठाया तथा दो चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज की दराज से एक किताब निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था-"शमसुल इसलाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946।"

लेखिका के पूछने पर उसने अपने वतन का नाम ढाका बताया। विभाजन के समय वह ढाका में था। जिस दिन वह भारत आ रहा था, उससे एक वर्ष पहले उसकी सालगिरह पर उसके दोस्त ने यह किताब दी थी। फिर वे कलकत्ता में रहकर पढ़े तथा नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते-जाते थे। सफ़िया 'वतन' की बात पर हैरान थी। कस्टम अफसर ने कहा कि अब वहाँ भी कस्टम हो गया। उसने अपने वतन की 'डाभ' की प्रशंसा की। चलते वक़्त उसने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी तथा खुद उस बैग को उठाकर आगे-आगे चलने लगा। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए

चुपचाप खड़ा था। लेखिका सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है? वह जो इस कस्टम के इस तरफ़ है या उस तरफ़ ?

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1- सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया?

उत्तर- सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफ़सर था। वह कानून-कायदों से भली-भाँति परिचित था। वह जानता था कि लाहौरी नमक ले जाना सर्वथा गैरकानूनी है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश में इसे ले जाए तो यह कानून के खिलाफ़ किया हुआ कार्य बन जाता है। इसलिए उसने अपनी सफ़िया को नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन कस्टम कार्यों की जाँच में पकड़ी जाए।

प्रश्न 2- नमक की पुड़िया ले जानेके संबंध में सफ़िया के मन का द्वंद्व स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में यह द्वंद्व था कि वह नमक की पुड़िया को चोरी से छिपाकर ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए। पहले वह इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रखकर कीनुओं से ढँक लेती है। फिर वह निर्णय करती है कि वह प्यार के इस तोहफ़े को चोरी से नहीं ले जाएगी। वह नमक की पुड़िया को कस्टम वालों को दिखाएगी।

प्रश्न 3- जब सफ़िया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम आफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे?

उत्तर- कस्टम ऑफिसर जो कि बंगाली था उसे सफ़िया की संवेदनाएँ बहुत अच्छी लगीं। उसे महसूस हुआ कि कानून बाद में है। इंसानियत पहले। कानून को इंसानियत के आगे झुकना ही पड़ता है। सफ़िया की ईमानदारी और वायदे को देखकर कस्टम अधिकारी ने अपना सिर झुका लिया। उसे सफ़िया द्वारा किए गए कार्य पर नाज था। वह सिर झुकाकर अपनी श्रद्धा सफ़िया के प्रति व्यक्त करना चाहता था।

प्रश्न 4- लाहौर अभी तक उनका वतन है और देलही मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उदगार किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं?

उत्तर- ये सभी कथन उस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं कि राजनीतिक तौर पर लोग भले ही विस्थापित हो जाते हों, परंतु भावनात्मक लगाव मातृभूमि से ही रहता है। राजनीतिक बँटवारे लोगों के दिलों को बाँट नहीं पाते। वे लोगों को अलग रहने पर मजबूर कर सकते हैं, परंतु उनका प्रेम अंतिम समय तक मातृभूमि से रहता ही है।

प्रश्न 5- नमक ले जाने के बारे में सफ़िया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- नमक ले जाने की बात सोचकर सफ़िया द्वांद्वग्रस्त हो जाती है। उसके भाई ने जब उसे यह बताया कि नमक ले जाना गैरकानूनी है तो वह और अधिक परेशान हो जाती है। चूंकि वह आत्मविश्वास से भरी हुई है इसलिए वह मन में ठान लेती है कि नमक पाकर ही रहेगी। उसमें किसी भी प्रकार का दुराव या छिपाव नहीं है। वह देश प्रेमिका है। दूसरों की। भावनाओं का ख्याल वह रखती है, उसमें भावुकता है इसी कारण भाई जब नमक ले जाने से मना कर देता है तो वह रो देती है।

प्रश्न 6- “मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से ज़मीन और जनता बँट नहीं जाती हैं।” - उक्ति तर्कों व उदाहरणों के जरिये इसकी पुष्टि करें।

उत्तर- मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बँट नहीं जाती है।-लेखिका का यह कथन पूर्णतया सत्य है। राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर लकीर खींचकर देश को दो भागों में बँट दिया जाता है। इससे जमीन व जनता को अलग-अलग देश का लेवल मिल जाता है, परंतु यह कार्य जनता की भावनाओं को नहीं बाँट पाता। उनका मन अंत तक अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है। पुरानी यादें उन्हें हर समय घेरे रहती हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वे प्रत्यक्ष तौर पर उभरकर सामने आ जाती हैं। ‘नमक’ कहानी में भी सिख बीबी लाहौर को भुला नहीं पाती और ‘नमक’ जैसी साधारण चीज वहाँ से लाने की बात कहती हैं। कस्टम अधिकारी नौकरी अलग देश में कर रहे हैं, परंतु अपना वतन जन्म-प्रदेश को ही मानते हैं। सभी का अपनी जन्म-स्थली के प्रति लगाव है।

प्रश्न 7- ‘नमक’ कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मुहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है, कैसे ? [CBSE (Delhi), 2010]

उत्तर- दोनों देशों को यद्यपि भूगोल ने विभाजित कर दिया है लेकिन लोगों में वही मुहब्बत अब भी समाई हुई है। यद्यपि यह आरोप लगाया जाता है कि इन देशों के बीच नफ़रत है लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच रिश्ते मधुर और पवित्र हैं। इनमें मुहब्बत ही वह डोर है जो एक-दूसरे को बाँधे हुए है। मुहब्बत का नमकीन स्वाद इनके रिश्तों में घुला हुआ है। सिख बीबी, बंगाली अधिकारी और सफ़िया के माध्यम से कहानीकार ने इसी बात को सिद्ध किया है।

प्रश्न 8- क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मुहब्बत, मुरौवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते?

उत्तर- सफ़िया का भाई पुलिस अफ़सर है। जब उसने लाहौर का नमक भारत ले जाने की बात अपने भाई को बताई तो उसने यह कार्य गैर-कानूनी बताया। उसने यह भी बताया कि पाकिस्तान और भारत के बीच नमक का व्यापार प्रतिबंधित है। तब लेखिका ने यह तर्क दिया कि क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मुहब्बत, मुरौवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते ?

प्रश्न 9- मुहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती हैं कि कानून हैरान रह जाता है।

उत्तर- पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सफ़िया से कहता है कि मुहब्बत के सामने कस्टम वाले भी लाचार हैं। उनके सम्मुख कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं। मुहब्बत कानून को धत्ता बताकर आगे चली जाती है। वह स्वयं नमक की पुड़िया को लेखिका के बैग में रखकर उपर्युक्त वाक्य कहता है।

प्रश्न 10- फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया अचल में समा जाते हैं।

उत्तर- सिख बीवी को लाहौर की याद आ रही थी। वह लेखिका को वहाँ के जीवन, दिनचर्या आदि के बारे में बताती हुई यादों में खो जाती है। भावुकता के कारण उसकी आँखों से आँसू निकलकर उसके सफ़ेद मलमल के दुपट्टे पर टपक जाते हैं।

प्रश्न 11- 'नमक' कहानी में हिंदुस्तान-पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं, संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- लोगों की भावनाएँ और संवेदनाएँ आज भी वैसी ही हैं जैसी 58-60 वर्ष पहले थीं। लोग आज भी उतनी ही मुहब्बत एक-दूसरे मुल्कों के बाशिंदों की करते हैं। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने आपसी भाईचारे को बढ़ाने और कायम रखने के लिए नई-नई योजनाएँ बनाए हैं। बस, रेल यातायात पुनः बहाल कर दिया है। जो दोनों देशों की एकता को प्रस्तुत करता है। दोनों मुल्कों के लोग आ जा सकते हैं। आपसी दुख दर्द बाँटते हैं। पिछले 5-7 वर्षों में तो दोनों के बीच रिश्ते अधिक मजबूत हुए हैं। दोनों में आपसी सौहार्द बढ़ा है।

प्रश्न 12- लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या का चित्रण किया है। स्त्रियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर- कहानी में ऐसा संकेत कहीं नहीं है कि विभाजन के कारण हुए विस्थापन से नारी ही अधिक प्रभावित हुई है। सिख बीवी व सफ़िया परिवार के साथ ही विस्थापित हुई हैं। यही स्थिति पाकिस्तान में भी है। दूसरी बात इस रूप में सही है कि विवाह के कारण स्त्री ही सबसे अधिक विस्थापित होती है। इस विस्थापन के कारण उसका अपनी जन्मभूमि से लगाव कभी कम नहीं होता। स्मृतियाँ उसे घेरे रहती हैं।

प्रश्न 13- विभाजन के अनेक स्वरूपों में बाँटी जनता को मिलाने की अनेक भूमियाँ हो सकती हैं? रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य या कला। इनमें से कौन सबसे ताकतवर हैं और क्यों?

उत्तर- जनता को मिलाने की यद्यपि अनेक भूमिकाएँ हो सकती हैं लेकिन इनमें साहित्य और कला की भूमिका सबसे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों से हम एक-दूसरे तक अपनी भावनाएँ अधिक आसानी से पहुँचा सकते हैं। साहित्य से एक-दूसरे की संस्कृति रहन-सहन, आचार-व्यवहार का पता चल जाता है। कला के माध्यम से हम उनके अंतर्मन में झाँक सकते हैं। भारतीय साहित्य और कला पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान को रुचिकर लगता रहा है। यही बात पाकिस्तानी साहित्य के संदर्भ में कही जा सकती है।

प्रश्न 14- सिख बीवी के प्रति सफ़िया के आकर्षण का क्या कारण था? 'नमक' पाठ के आधार पर बताइए।

उत्तर- जब सफ़िया ने सिख बीवी को देखा, तो वह हैरान रह गई। बीवी का वैसा ही चेहरा था, जैसा सफ़िया की माँ का था। बिलकुल वही कद, वही भारी शरीर, वही छोटी-छोटी चमकदार आँखें, जिनमें नेकी, मुहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगा रही थी। चेहरा खुली किताब जैसा था। बीवी ने वैसी ही सफ़ेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ रखा था, जैसा सफ़िया की अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थीं, इसीलिए सफ़िया बीवी की तरफ बार-बार बड़े प्यार से देखने लगी। उसकी माँ तो बरसों पहले मर चुकी थीं, पर यह कौन? उसकी माँ जैसी हैं, इतनी समानता कैसे है? यही सोचकर सफ़िया उनके प्रति आकर्षित हुईं।

प्रश्न 15- लाहौर और अमृतसर के कस्टम अधिकारियों ने सफ़िया के साथ कैसा व्यवहार किया?

उत्तर- दोनों जगह के कस्टम अधिकारियों ने सफ़िया और उसकी नमक रूपी सद्भावना का सम्मान किया। केवल सम्मान ही नहीं, उसे यह भी जानकारी मिली कि उनमें से एक देहली को अपना वतन मानते हैं और दूसरे ढाका को अपना वतन कहते हैं। उन दोनों ने सफ़िया के प्रति पूरा सद्भाव दिखाया, कानून का उल्लंघन करके भी उसे नमक ले जाने दिया। अमृतसर वाले सुनील दास गुप्त तो उसका थैला उठाकर चले और उसके पुल पार करने तक वहीं पर खड़े रहे। उन अधिकारियों ने यह साबित कर दिया कि कोई भी कानून या सरहद प्रेम से ऊपर नहीं है।

प्रश्न 16- नमक की पुड़िया के सबंध में सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व था? उसका क्या समाधान निकला?

उत्तर- नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में यह द्वंद्व था कि वह नमक की पुड़िया को चोरी से छिपाकर ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए। पहले वह इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रखकर कीनुओं से ढँक लेती है। फिर वह निर्णय करती है कि वह प्यार के तोहफ़े को चोरी से नहीं ले जाएगी। वह नमक की पुड़िया को कस्टम वालों को दिखाएगी।

प्रश्न 17- सफ़िया को अटारी में समझ ही नहीं आया कि कहाँ लाहौर खत्म हुआ और किस जगह अमृतसर शुरू हो गया, एसा क्यों?

उत्तर- अमृतसर व लाहौर दोनों की सीमाएँ साथ लगती हैं। दोनों की भौगोलिक संरचना एक जैसी है। दोनों तरफ के लोगों की भाषा एक है। एक जैसी शकलें हैं तथा उनका पहनावा भी एक जैसा है। वे एक ही लहजे से बोलते हैं तथा उनकी गालियाँ भी एक जैसी ही हैं। इस कारण सफ़िया को अटारी में समझ ही नहीं आया कि कहाँ लाहौर खत्म हुआ और किस जगह अमृतसर शुरू हो गया।

प्रश्न 18- 'नमक' कहानी में क्या सन्देश छिपा हुआ है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- 'नमक' कहानी में छिपा संदेश यह है कि मानचित्र पर एक लकीर मात्र खींच देने से वहाँ

रहने वाले लोगों के दिल नहीं बँट जाते। जमीन बँटने से लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध और पाबंदियाँ लग जाती हैं परंतु लोगों का लगाव अपने मूल स्थान से बना रहता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी द्वारा दिल्ली को तथा भारतीय कस्टम अधिकारी द्वारा ढाका को अपना वतन मानना इसका प्रमाण है।

1- श्रम-विभाजन और जाति-प्रथा

2- मेरी कल्पना का आदर्श समाज

डॉ. भीमराव आंबेडकर

जीवन परिचय- मानव-मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 ई० को मध्य प्रदेश के महु नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीराम जी तथा माता का नाम भीमाबाई था। 1907 ई० में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह रमाबाई के साथ हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयार्क और फिर वहाँ से लंदन गए। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पी-एच०डी० की उपाधि प्राप्त की। 1923 ई० में इन्होंने मुंबई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1924 ई० में इन्होंने **बहिष्कृत हितकारिणी सभा** की स्थापना की। ये संविधान के लिए गठित की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दिसंबर, 1956 ई० में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया।

रचनाएँ- बाबा साहब आंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। हिंदी में इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने '**बाबा साहब आंबेडकर-संपूर्ण वाङ्मय**' के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया है। इनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं –

पुस्तकें व भाषण – द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मेकेनिज़्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट (1917), द अनटचेबल्स, हू आर दे? (1948), हू आर द शूद्राज (1946), बुद्धा एंड हिज धम्मा (1957), थॉट्स ऑन लिंग्युस्टिक स्ट्रेटेस (1955), द प्रॉब्लम ऑफ़ द रूपी (1923), द एबोल्यूशन ऑफ़ प्रोविंशियल फायनांस इन ब्रिटिश इंडिया (1916), द राइज एंड फॉल ऑफ़ द हिंदू वीमैन (1965), एनीहिलेशन ऑफ़ कास्ट (1936), लेबर एंड पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी (1943), बुद्धज्म एंड कम्युनिज़्म (1956)।

पत्रिका-संपादन – मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता।

साहित्यिक विशेषताएँ – बाबा साहब आधुनिक भारतीय चिंतकों में से एक थे। इन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया तथा ऐतिहासिक-सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत कीं। ये इतिहास-मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद् तथा धर्म-दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। इन्होंने अछूतों, स्त्रियों व मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक

संघर्ष किया। डॉ० भीमराव आंबेडकर भारत संविधान के निर्माताओं में से एक हैं। उन्होंने जीवनभर दलितों की मुक्ति व सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष व सरोकार से जुड़ा हुआ था। स्वयं डॉ० आंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण व अपमान से गुजरना पड़ा था। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन-मनन के बल पर इन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु प्रस्तुत करने का काम किया। इनका मानना था कि दासता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दासता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी।

1. श्रम-विभाजन और जाति-प्रथा

प्रतिपादय-यह पाठ आंबेडकर के विख्यात भाषण 'एनीहिलेशन ऑफ कास्ट'(1936) पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने 'जाति-भेद का उच्छेद' शीर्षक के अंतर्गत किया। यह भाषण 'जाति-पाँति तोड़क मंडल' (लाहौर) के वार्षिक सम्मेलन (1936) के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया।

सारांश- लेखक कहता है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य-कुशलता के लिए श्रम-विभाजन को आवश्यक मानता है। इसमें आपत्ति यह है कि जाति-प्रथा श्रम-विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम-विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति-प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ-साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक-दूसरे की अपेक्षा ऊँच-नीच भी करार देती है। जाति-प्रथा को यदि श्रम-विभाजन मान लिया जाए तो यह भी मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए। जाति-प्रथा में यह दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा उसके प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता के आधार पर न करके उसके माता-पिता के सामाजिक स्तर से किया जाता है। यह मनुष्य को जीवन-भर के लिए एक पेशे में बाँध देती है। ऐसी दशा में उद्योग-धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या उभर आती है। जाति-प्रथा का श्रम-विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें व्यक्तिगत रुचि व भावना का कोई स्थान नहीं होता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि दिखाते हैं। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति-प्रथा हानिकारक है क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्म-शक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है।

2. मेरी कल्पना का आदर्श समाज

प्रतिपादय- इस पाठ में लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज में तीन तत्व अनिवार्यतः होने चाहिए-समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। इनसे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुँच सकता है।

सारांश- लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सबको संपर्क के साधन व अवसर मिलने चाहिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान-प्रदान का नाम है।

आवागमन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविकोपार्जन के लिए जरूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति 'दासता' में जकड़ा रहेगा। 'दासता' केवल कानूनी नहीं होती। यह वहाँ भी है जहाँ कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में 'समता' शब्द सदैव विवादित रहा है। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता तीन बातों पर निर्भर है –

1. शारीरिक वंश परंपरा,
2. सामाजिक उत्तराधिकार,
3. मनुष्य के अपने प्रयत्न।

इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए। असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को विकास करने के अवसर मिलने चाहिए। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्नों को ही करना होगा। प्रयास मनुष्य के वश में है, परंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है। उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता। ऐसे में वह व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं है। समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय व मार्ग है।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1- जाति-प्रथा को श्रम-विभाजन का आधार क्यों नहीं माना जा सकता?

उत्तर- जाति-प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे आंबेडकर के निम्नलिखित तर्क हैं-

जाति-प्रथा श्रम-विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन भी कराती है। सभ्य समाज में श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन अस्वाभाविक है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना किसी दूसरे के द्वारा उसके लिए पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यह जन्म पर आधारित होता है। भारत में जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बाँध देती है, भले ही वह पेशा उसके लिए अनुपयुक्त या अपर्याप्त क्यों न हो। इससे उसके भूखों मरने की नौबत आ जाती है।

प्रश्न 2- जाति-प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही हैं? क्या यह स्थिति आज भी हैं?

उत्तर- जाति-प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का कारण भी बनती रही है। भारत में जाति-प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर एक पेशे से बाँध दिया जाता था। इस निर्णय में व्यक्ति की रुचि, योग्यता या कुशलता का ध्यान नहीं रखा जाता था। उस पेशे से गुजारा होगा या नहीं, इस पर भी विचार नहीं किया जाता था। इस कारण भुखमरी की स्थिति आ जाती थी। इसके अतिरिक्त, संकट के समय भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। भारतीय समाज पैतृक पेशा अपनाने पर ही जोर देता था। उद्योग-धंधों की विकास प्रक्रिया व तकनीक के कारण कुछ व्यवसायी रोजगारहीन हो जाते थे। अतः यदि वह व्यवसाय न बदला जाए तो बेरोजगारी बढ़ती है। आज भारत की स्थिति बदल रही है। सरकारी कानून, सामाजिक सुधार व विश्वव्यापी परिवर्तनों से जाति-प्रथा के बंधन काफी ढीले हुए हैं, परंतु समाप्त नहीं हुए हैं। आज लोग अपनी जाति से अलग पेशा अपना रहे हैं।

प्रश्न 3- लेखक के मत से 'दासता' की व्यापक परिभाषा क्या हैं? समझाइए।

उत्तर- लेखक के अनुसार, दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। 'दासता' में वह स्थिति भी सम्मिलित है। जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है।

प्रश्न 4- शारीरिक वंश-परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद 'समता' को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं?

उत्तर- शारीरिक वंश-परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता

संभावित रहने के बावजूद आंबेडकर 'समता' को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह करते हैं क्योंकि समाज को अपने सभी सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता तभी प्राप्त हो सकती है जब उन्हें आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएँ। व्यक्ति को अपनी क्षमता के विकास के लिए समान अवसर देने चाहिए। उनका तर्क है कि उत्तम व्यवहार के हक में उच्च वर्ग बाजी मार ले जाएगा। अतः सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।

प्रश्न 5- सही में आंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन-सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं?

उत्तर- आंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। हम उनकी इस बात से सहमत हैं। आदमी की भौतिक स्थितियाँ उसके स्तर को निर्धारित करती हैं। जीवन जीने की सुविधाएँ मनुष्य को सही मायनों में मनुष्य सिद्ध करती हैं। व्यक्ति का रहन सहन और चाल चलन काफी हद तक उसकी जातीय भावना को खत्म कर देता है।

प्रश्न 6- आदर्श समाज के तीन तत्वों में से एक 'भ्रातृता' को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? आप इस 'भ्रातृता' शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं, तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे/ समझेंगी?

उत्तर- आदर्श समाज के तीन तत्वों में से एक 'भ्रातृता' को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। लेखक समाज की बात कर रहा है और समाज स्त्री-पुरुष दोनों से मिलकर बना है। उसने आदर्श समाज में हर आयुवर्ग को शामिल किया है। 'भ्रातृता' शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है-भाईचारा। यह सर्वथा उपयुक्त है। समाज में भाईचारे के सहारे ही संबंध बनते हैं। कोई व्यक्ति एक-दूसरे से अलग नहीं रह सकता। समाज में भाईचारे के कारण ही कोई परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचता है।

प्रश्न 7- आंबेडकर की कल्पना का समाज कैसा होगा?

उत्तर- आंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भाईचारे पर आधारित होगा। सभी को विकास के समान अवसर मिलेंगे तथा जातिगत भेदभाव का नामोनिशान नहीं होगा। समाज में कार्य करने वाले को सम्मान मिलेगा।

प्रश्न 8- मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर होती है?

उत्तर- मनुष्य की क्षमता निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती है-

1-शारीरिक वंश-परंपरा के आधार पर।

2-सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात् सामाजिक परंपरा के रूप में माता-पिता की प्रतिष्ठा, शिक्षा, ज्ञानार्जन आदि उपलब्धियों के लाभ पर।

3-मनुष्य के अपने प्रयत्न पर।

प्रश्न 9- लेखक ने जाति-प्रथा की किन-किन बुराइयों का वर्णन किया है?

उत्तर- लेखक ने जाति-प्रथा की निम्नलिखित बुराइयों का वर्णन किया है-

1-यह श्रमिक-विभाजन भी करती है। 2-यह श्रमिकों में ऊँच-नीच का स्तर तय करती है। 3-यह जन्म के आधार पर पेशा तय करती है। 4-यह मनुष्य को सदैव एक व्यवसाय में बाँध देती है भले ही वह पेशा अनुपयुक्त व अपर्याप्त हो। 5-यह संकट के समय पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती, चाहे व्यक्ति भूखा मर जाए। 6-जाति-प्रथा के कारण थोपे गए व्यवसाय में व्यक्ति रुचि नहीं लेता।

प्रश्न 10- लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र क्या है?

उत्तर- लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। वस्तुतः यह सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान-प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो।

प्रश्न 11- आर्थिक विकास के लिए जाति-प्रथा कैसे बाधक है?

उत्तर - भारत में जाति-प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर मिला पेशा ही अपना पड़ता है। उसे विकास के समान अवसर नहीं मिलते। जबरदस्ती थोपे गए पेशे में उनकी अरुचि हो जाती है और वे काम को टालने या कामचोरी करने लगते हैं। वे एकाग्रता से कार्य नहीं करते। इस प्रवृत्ति से आर्थिक हानि होती है और उद्योगों का विकास नहीं होता।

प्रश्न 12- डॉ० आंबेडकर 'समता' को कैसी वस्तु मानते हैं तथा क्यों?

उत्तर- डॉ० आंबेडकर 'समता' को कल्पना की वस्तु मानते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति समान नहीं होता। वह जन्म से ही। सामाजिक स्तर के हिसाब से तथा अपने प्रयत्नों के कारण भिन्न और असमान होता है। पूर्ण समता एक काल्पनिक स्थिति है, परंतु हर व्यक्ति को अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए।

प्रश्न 13- जाति और श्रम-विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? 'श्रम-विभाजन और जाति-प्रथा' के आधार पर उत्तर दीजिए।

उत्तर- जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर निम्नलिखित रूप में है-

जाति-विभाजन, श्रम-विभाजन के साथ-साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। सभ्य समाज में श्रम-विभाजन आवश्यक है परंतु श्रमिकों के वर्गों में विभाजन आवश्यक नहीं है। जाति-विभाजन में श्रम-विभाजन या पेशा चुनने की छूट नहीं होती जबकि श्रम-विभाजन में ऐसी छूट हो सकती है। जाति-प्रथा विपरीत परिस्थितियों में भी रोजगार बदलने का अवसर नहीं देती, जबकि श्रम-विभाजन में व्यक्ति ऐसा कर सकता है।

अतीत में दबे पाँव

ओम थानवी

जीवन परिचय- ओम थानवी का जन्म 1957 ई० में हुआ था। इनकी शिक्षा-दीक्षा बीकानेर में हुई थी। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एम०कॉम० किया। ये 'एडीटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया' के महासचिव रहे। 1980 से 1989 तक इन्होंने 'राजस्थान पत्रिका' में काम किया। 'इतवारी पत्रिका' के संपादन ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। ये अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में ये स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे। इनकी गहन दिलचस्पी साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में है। इन्होंने अस्सी के दशक में सेंटर फ़ॉर साइंस एनवायरनमेंट (सी०एस०ई०) की फ़ेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल-स्रोतों पर खोजबीन करके इसके बारे में विस्तार से लिखा। इन्हें पत्रकारिता में कई पुरस्कार मिले, जिनमें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रमुख है। 1999 ई० में इन्होंने दैनिक जनसत्ता के दिल्ली और कोलकाता के संस्करणों का संपादकीय दायित्व संभाला। संप्रति, ये इसी समाचार-पत्र के संपादक के रूप में कार्यरत हैं।

पाठ का सारांश

लेखक कहता है कि हड़प्पा व मुअनजो-दड़ो-दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मुअन जो-दड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा था। यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु-पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भौंडे, मुहरें, साजो-सामान और खिलौने आदि मिले हैं। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मुअन जो-दड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यह दो सौ हेक्टेअर क्षेत्र में फैला था तथा इसकी आबादी लगभग पचासी हजार थी। यह नगर छोटे-मोटे टीलों पर आबाद था तथा ये प्राकृतिक नहीं थे। कच्ची-पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊँचा उठाया गया था। इस शहर की सड़कों व गलियों में अब भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान अजायबघरों की शोभा बढ़ा रहा है, परंतु शहर वहीं है। इस शहर की गलियाँ, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नगर-नियोजन की कहानी कहते हैं। शहर के सबसे ऊँचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मुअनजो-दड़ो सभ्यता के जीर्ण-शीर्ण टीले पर बना है। 1922 ई० में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की तो उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के निशान मिले।

तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ और भारत दुनिया की प्राचीन लेखक सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचा। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। सर्दी के मौसम में भी धूप घुमाएँ तो तसवीरों के रंग उड़े हुए प्रतीत होते हैं। स्तूप वाले हिस्से को 'गढ़' कहा जाता है।

दुनिया-भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा-भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल स्वरूप में बचा है, शेष इमारतें उजड़ी हुई हैं। मुअनजो-दड़ो का नगर नियोजन बेमिसाल है। अधिकांश सड़कें सीधी हैं या आड़ी। इसे वस्तुकार 'ग्रिड प्लान' कहते हैं आजकल की सेक्टर-माका कॉलोनियों में हमें आड़ा-सीधा नियोजन मिलता है, परंतु वह रहन-सहन को नीरस बनाता है ब्रासीलिया, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु उनमें स्वयं विकसने की क्षमता नहीं है।

चबूतरे के 'गढ़' और ठीक सामने 'उच्च' वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे पाँच किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। दक्षिण में टूटेघर कामगारों के हैं। लेखक प्रश्न करता है कि निम्न वर्ग का अस्तित्व था या नहीं? शायद उनके घर कमजोर रहे जो समय के अनुसार नष्ट हो गए होंगे। टीले के पास महाकुंड है। इसका नाम 'दैव मार्ग' रखा गया है। यह सामूहिक स्नान के काम आता था। यह 40 फुट 25 फुट चौड़ा व सात फुट गहरा है। इसके उत्तर व दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके तीन तरफ साधुओं के कक्ष हैं त उत्तर में दो पाँत में आठ स्नानघर हैं। इनमें किसी का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस कुंड का निर्माण पक्की ई से हुआ है। पानी का रिसाव रोकने तथा गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के तल व दीवारों पर चूने व चिरोड़ी के गारे प्रयोग किया गया है। पानी के लिए एक तरफ कुआँ है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियाँ हैं। ये पक्की से बनी हैं तथा ईंटों से ढकी भी हैं। जल-निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। शायद यहाँ कर के रूप में हासिल अनाज जमा किया जाता था।

यहाँ नौ-नौ चौकियों की तीन कतारें हैं तथा उत्तर की एक गली में बैलगाड़ियों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं जो माल की दुलाई करती होंगी। सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। अब इसे खेतिहर व पशुपालक सभ्यता माना जाता है। पत्थर व ताँबे की बहुतायत थी, परंतु लोहा नहीं था। पत्थर सिंध से तथा ताँबा राजस्थान से मिलता था। इनके उपकरण खेती-बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों व चने की उपज के सबूत मिले हैं। यहाँ कपास, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की खेती भी होती थी। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा तीन हजार ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मुअनजो-दड़ो में रँगई भी होती थी। ऊन व लिनन का आयात सुमेर से होता था। महाकुंड के उत्तर-पूर्व में लंबी इमारत के अवशेष मिले हैं। इसके बीच में खुला बड़ा दालान है तथा तीन तरफ बरामदे हैं। इसे कॉलेज ऑफ़ प्रीस्ट्स माना जाता है।

दक्षिण में बीस खंभों वाला एक हाल है जो शायद राज्य सचिवालय, सभा-भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चारदीवारी के बाहर 'नीचा नगर' था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था। पूरब की बस्ती 'रईसों की बस्ती' है। इसमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें तथा ज्यादा

कुएँ थे। मुअनजो-दड़ो के सभी खंडहरो की खुदाई करनेवाले पुरातत्ववेत्तओं का संक्षिप्त नाम 'डीके' रचा गया है। 'डीके' क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण हैं। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है तथा तैतीस फुट चौड़ी है। इस पर एक साथ दो बैलगाड़ियाँ आ-जा सकती थीं। यह सड़क 'बाजार' तक पहुँचती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। सड़क की तरफ कोई दरवाजा नहीं है। काबूजिए ने भी चंडीगढ़ में इस शैली का प्रयोग किया था। सड़क के दोनों तरफ ढँकी हुई नालियाँ थीं। हर घर में एक स्नानघर है और नालियाँ घर का पानी हौदी तक लाती हैं तथा फिर वे नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। ज्यादातर नालियाँ ढकी हुई हैं। बस्ती के भीतर सड़कें नौ से बारह फुट तक चौड़ी हैं। बस्ती के कुएँ पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। यहाँ लगभग सात सौ कुएँ पाए गए हैं। इसे 'जल संस्कृति' भी कहा जा सकता है। 'डीके जी' हलके के घरों की दीवारें ऊँची और मोटी हैं। यहाँ शायद दु मंजिले मकान भी होंगे। सभी पकी हुई ईंटों से बने थे तथा ईंटें भी एक ही आकार 1: 2: 4 के अनुपात की हैं। यहाँ घरों में केवल प्रवेश द्वार हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं। बड़े घरों के भीतर आँगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियाँ हैं। घर छोटे-बड़े हैं। सभी घर एक कतार में हैं तथा अधिकतर का आकार तीस गुणा-तीस फुट का है। कुछ इनसे काफी बड़े भी हैं। सबकी वास्तु-शैली भी एक-जैसी लगती है। डीके-बी, सी हलके से एक घर से दाढ़ी वाले याजक-नरेश की मूर्ति मिली है। 'एच आर' हलके के बड़े घर में कुछ कंकाल मिले हैं। प्रसिद्ध 'नर्तकी' शिल्प भी इसी हलके के छोटे घर से मिली है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना-केंद्र समझा जाता है। गढ़ी के पीछे 'वीएस' हिस्से में 'रेंगरेज का कारखाना' है जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गट्ठे उभरे हुए हैं। यहाँ दो कतारों में सोलह छोटे एक-मंजिला मकान हैं। सबमें दो-दो कमरे हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मुअनजो-दड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएँ चौकोर या आयताकार हैं। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान है। इसका कारण आबादी बढ़ना या निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है। सीढ़ियाँ शायद लकड़ी की रही होंगी। ऊपरी मंजिल पर लकड़ी की साज-सज्जा की जाती होगी। अधिकतर घरे में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिह्न नहीं हैं। गरम क्षेत्र में ये चीजें आम होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हाथी, शेर, गैंडा आदि जीवों की तसवीरों से लगता है कि यहाँ जगल थे तथा अच्छी खेती से सिंचाई की जाती थी। इस क्षेत्र में नहर के प्रमाण नहीं मिलते। इसका मतलब यह निकलता है कि घटने तथा कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी नीचे चला गया और बस्ती उजड़ गई। तेज हवा बह रही थी। हर जगह लेखक को साँय-साँय की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहाँ सब खंडहर हैं। नहीं है, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है। किसी भी घर समय एक अपराध-बोध भी होता था। लेखक को यहाँ राजस्थान व सिंध-

गुजरात के घर याद आ गए। यहाँ व ज्वार की खेती हजारों साल से होती है। मुअनजो-दड़ो के घरों में टहलते हुए उसे जैसलमेर के गाँव कुलधरा आई। यह पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गाँव है। यहाँ घर हैं, परंतु लोग नहीं हैं। डेढ़ सौ साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गाँव का हर सदस्य अपना घर छोड़कर चला गया। घर खंडहर हो गए, पर ढहे नहीं। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। जॉन मार्शल ने मुअनजो-दड़ो पर तीन खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध की वर्तमान बैलगाड़ी का चित्र प्रकाशित है। दोनों में कमाना या आरे वाले पहिये का प्रयोग किया गया है। अब उन पहियों की जगह जीप के उतरन पहिये लगते हैं। हवाई जहाज के उतरन पहिये बाजार में आने के बाद ऊँट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया।

मेजबान ने अजायबघर के बारे में बताया। यह अजायबघर छोटा है तथा सामान भी ज्यादा नहीं है। अधिकतर चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं। मुअनजो-दड़ो से ही पचास हजार से ज्यादा चीजें मिली हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, ताँबे व काँसे के बर्तन, मुहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद्-भांड, चौपड़ की गोटियाँ, दीये, माप-तौल पत्थर, ताँबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, दो पाटन वाली चक्की, कंघी, पत्थर के औजार, सोने के गहने आदि थे। इस अजायबघर में औजार तो हैं, परंतु हथियार नहीं हैं। पूरी सिंधु-सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिलते। विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था। शायद सैन्य सत्ता भी न रही हो। दूसरे, यहाँ प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नदारद हैं। दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना-स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड मिलते हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियाँ नहीं मिलतीं। यहाँ के मूर्ति शिल्प व औजार भी छोटे हैं। मुकुट व नावें भी छोटी थीं। शायद यह 'लो-प्रोफाइल' सभ्यता थी। मुअनजो-दड़ो साधन व व्यवस्थाओं के अनुसार भी सबसे समृद्ध है, परंतु यहाँ आडंबर नहीं है।

दूसरे, यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है,

अतः अनेक रहस्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। सिंधु घाटी के लोग कलाप्रिय थे। उनकी यह कलाप्रियता, वास्तुकला, धातु व पत्थर की मूर्तियाँ, मृद्-भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु-पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मुहरें, उन पर उकेरी गई। आकृतियाँ, खिलौने, सुघड़ अक्षरों से सिद्ध होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य-बोध है जो राजपोषित या धर्मपोषित न होकर समाज-पोषित था। अजायबघर में ताँबे व काँसे की सूइयाँ मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की तीन सूइयाँ मिलीं। शायद ये कशीदेकारी में काम आती रही होंगी। 'नरेश' के बदन पर

आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा 'अजरक' सिंध की खास पहचान है। यहाँ हाथी-दाँत व ताँबे के सूए भी मिले हैं जो शायद दरियाँ बनाने के काम आते थे। अब मुअनजो-दड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब इन खंडहरों को बचाकर रखना ही बड़ी चुनौती है।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: सिंधु-सभ्यता साधन-संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे?

उत्तर- सिंधु सभ्यता बहुत संपन्न सभ्यता थी। प्रत्येक तरह के साधन इस सभ्यता में थे। इतना होने के बाद भी इस सभ्यता में दिखावा नहीं था। कोई बनवावटीपन या आडंबर नहीं था। जो भी निर्माण इस सभ्यता के लोगों ने किया, वह सुनियोजित और मनोहारी था। निर्माण शैली साधारण होने के बाद भी दिखावे से कोसों दूर थे। जो वस्तु जिस रूप में सुंदर लग सकती थी, उसका निर्माण उसी ढंग से किया गया था। इसीलिए सिंधु सभ्यता में भव्यता थी, आडंबर नहीं।

प्रश्न 2: "सिंधु-सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य-बोध हैं जो राज-पोषित या धर्म-पोषित न होकर समाज-पोषित था।" ऐसा क्यों कहा गया?

उत्तर- सिंधु-सभ्यता के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। यहाँ प्राप्त नगर-नियोजन, धातु व पत्थर की मूर्तियाँ, मृद्-भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति व पशु-पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मुहरें, खिलौने, आभूषण तथा सुघड़ अक्षरों का लिपिरूप आदि सब कुछ इसे तकनीक-सिद्ध से अधिक कला-सिद्ध जाहिर करता है। यहाँ से कोई हथियार नहीं मिला। इस बात को लेकर विद्वानों का मानना है कि यहाँ अनुशासन जरूर था, परंतु सैन्य सभ्यता का नहीं। यहाँ पर धर्मतंत्र या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाली वस्तुएँ-महल, उपासना-स्थल आदि-नहीं मिलतीं। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीजों को सलीके से बनाया गया है। इन सारी चीजों से उसका सौंदर्य-बोध उभरता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि सिंधु-सभ्यता का सौंदर्य-बोध समाज-पोषित था।

प्रश्न 3: पुरातत्व के किन चिहनों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि-'सिंधु-सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी?'

उत्तर- पुरातत्ववेत्ताओं ने जो भी खुदाई की और खोज की। उसमें उन्हें मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ, पत्थर और लकड़ी के उपकरण मिले। इन चित्रों के फलस्वरूप यही बात सामने आई कि लोग समय के अनुरूप इन वस्तुओं का उपभोग करते थे। दूसरा उनकी नगर योजना भी उनकी समझ का पुख्ता प्रमाण है। आज की नगर योजना भी उनकी योजना के समकक्ष नहीं ठहरती। जो कुछ उन्होंने नगरों, गलियों, सड़कों को साफ़-सुथरा रखने की विधि अपनाई, वह उनकी समझ को ही दर्शाती है।

प्रश्न 4: 'यह सच है कि यहाँ किसी अगन की टूटी-फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती; वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झाँक रह हैं।' इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है?

उत्तर- लेखक कहता है कि मुअनजो-दड़ों में सिंधु-सभ्यता के अवशेष बिखरे पड़े हैं। यहाँ के मकानों की सीढ़ियाँ उस कालखंड तथा उससे पूर्व का अहसास कराती हैं जब यह सभ्यता अपने चरम पर रही होगी। इतिहास बताता है कि यहाँ कभी पूरी आबादी रहती थी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ के अधूरे पायदानों पर खड़े होकर हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि जिस समय दुनिया में ज्ञान रूपी सूर्योदय नहीं हुआ था, उस समय हमारे पास एक सुसंस्कृत व विकसित सभ्यता थी। इसमें महानगर भी थे। इनको विकसित होने में भी काफी समय लगा होगा। यह हमारे इतिहास को आँखों के सामने प्रत्यक्ष कर देता है। उस समय का ज्ञान, उनके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी हमारे लिए अनुकरणीय हैं। तत्कालीन नगर-योजना को आज की नगरीय संस्कृति में प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 5: 'टूटे-फूटे खंडहर, सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ-साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं।'—इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- जब कोई सभ्यता या संस्कृति काल के ग्रास में समा जाए तो पीछे टूटे-फूटे खंडहर छोड़ जाती है। इन्हीं टूटे-फूटे खंडहरों की खोज के आधार पर अमुक सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता थी किंतु वह भी एक दिन समाप्त हो गई। अपने पीछे छोड़ गई टूटी-फूटी इमारतों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि वह एक सुसंस्कृत और विकसित संस्कृति थी, उस समय का समाज उसमें रहने वाले लोग कैसे थे इन सभी के बारे में खंडहरों के अध्ययन से ही जाना जा सकता है। कोई भी खंडहर और नगर में मिले अन्य अवशेषों और चीजों के आधार पर उस युग के लोगों के आचार-व्यवहार के बारे में पता चल जाता है। उस समय के लोगों का खान-पान भी यही वस्तुएँ बता देती हैं। इसलिए कहा गया है कि टूटे-फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ-साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं।

प्रश्न 6: नदी, कुएँ स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल-संस्कृति कह सकते हैं?

उत्तर- यह बिलकुल सत्य है कि नदी, कुएँ, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था सिंधु घाटी की विशेष पहचान रही है। लेखक अंत में पाठकों से यह प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल-संस्कृति कह सकते हैं तो मैं यही कहूँगा/कहूँगी कि उस सभ्यता की नकल ही हमने की है। उस सभ्यता का कोई मुकाबला नहीं। आज चंडीगढ़, ब्रासीलिया और इसलामाबाद की नगर योजना पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है लेकिन यह प्रभाव गहरा नहीं है। सिंधु

घाटी के लोगों ने अपनी समझ और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। जबकि इन शहरों में समझ तो दिखाई देता है लेकिन दूरदर्शिता नहीं। इसीलिए मैं सिंधु घाटी की सभ्यता को नव्य-संस्कृति के लिए एक आदर्श कहूँगा/कहूँगी।

प्रश्न 7: “सिंधु मार्ग की सभ्यता लेवल अवशेषों के आधार पर बनाई गई एक धारणा जा “-इस विचार के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए।

उत्तर- सिंधु धारी सभ्यता के विषय में जानकारी उष्ण, अनजौ-दहो व अन्य क्षेत्रों की खुदाई से मिले अवशेषों से मिलती है। यहाँ नगर-योजना, मकान, खेती, कला, दुजा आदि के अवशेष मिले हैं। इनके आधार पर ही एक धारणा बनाई गई है कि यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी। अनुमान लगाए गए कि यहाँ की नगर-योजना आज की शहरी योजना से अधिक विकसित थी, यहाँ पर मरुभूमि नहीं थी, कृषि उन्नत दशा में थी, पशुपालन व व्यापार भी विकसित था। समाज के दो वर्ग “उच्च वर्ग” व “निम्न वर्ग” को परिकल्पना की गई आदि। वस्तुतः ये सब अनुमान हैं। मुअनजो-दड़ो के बारे में बनी अवधारणा के विषय में मेरा मत निम्नलिखित है –

1. इस क्षेत्र से जो लिपि मिली है, वह चित्रलिपि है। हरने आज तक पढा नहीं जा सका है। अता यह लिपि अपने में रहस्य छिपाए हुए है।
2. लिपि पढे न जने पर अवशेष ही किसी सभ्यता व संस्कृति के बारे में बताते हैं। इतनी पुरानी सभ्यता के तमाम चिह्न सुरक्षित नहीं रह सकते। इस क्षेत्र की जलवायु व मजबूत निर्माण-लली के कारण काफी अवशेष ठीक दशा में मिले हैं। उन्हें के आधार पर कर्ण सभ्यता व संस्कृति को परिकल्पना की गई है।

प्रश्न 8: मुअनजो-दड़ो की नगर-योजना पर टिप्पणी कीजिए।

उत्तर- मुअनजो-दड़ो की नगर-योजना बेमिसाल है। यहाँ की सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। शहर से जुड़ी हर चीज अपने स्थान पर है। मुख्य सड़क की चौड़ाई तैतीस फुट है। सड़क के दोनों ओर घर हैं, परंतु घरों के दरवाजे गलियों में हैं। सड़क के दोनों तरफ ढँकी हुई नालियाँ हैं। गलियाँ छोटी हैं। शहर से पानी के लिए कुंओं का प्रबंध भी है। आज की सेक्टर-माक कालोनियों में जीवन की गतिशीलता नहीं होती। नया नियोजन शहर की विकसित नहीं होने देता। मुअनजो-दड़ो की नगर-योजना दर्शकों को अभिभूत करती है।

प्रश्न 9: महाकुंड में अशुद्ध जल को रोकने की क्या व्यवस्था थी? ‘अतीत में दबे पाँव’ पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए।

उत्तर- महाकुंड में जल का रिसाव रोकने तथा अशुद्ध जल से बचाव के लिए कुंड के तल व दीवारों पर चूने व चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया था। जल के लिए एक तरफ कुंआँ है।

कुंड से जल को बाहर बहाने के लिए नालियाँ हैं। ये पक्की ईंटों से बनी हैं तथा ईंटों से ढकी भी हैं। जल-निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता।

प्रश्न 10: मुअनजो-दड़ो को देखते-देखते लेखक को किसकी याद आ गई और क्यों?

उत्तर- मुअनजो-दड़ो के वीरान शहर को देखते-देखते लेखक को जैसलमेर के गाँव कुलधरा की याद आ गई। यह पीले पत्थर के घरों वाला सुंदर गाँव है। यह गाँव काफी समय से वीरान है। कोई डेढ़ सौ साल पहले राजा से तकरार पर गाँव के स्वाभिमानी लोग रातों-रात अपना घर छोड़कर चले गए। उस समय से मकान खंडहर हो गए, पर ढहे नहीं हैं। वे आज भी अपने निवासियों की प्रतीक्षा में खड़े लगते हैं।

प्रश्न 11: “मुअनजो-दड़ो में प्राप्त वस्तुओं में औजार तो हैं, पर हथियार नहीं।” इससे सिंधु-सभ्यता के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है?

उत्तर- मुअनजो-दड़ो में अनेक वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, परंतु उसमें किसी प्रकार के हथियार नहीं मिले। इससे यह धारणा बनती है कि इस सभ्यता में राजतंत्र या धर्मतंत्र नहीं था। यह समाज-अनुशासित सभ्यता थी जो यहाँ की नगर-योजना, वास्तु-शिल्प, मुहर-ठप्पों, पानी या साफ-सफ़ाई जैसी सामाजिक एकरूपता को कायम रखे हुए थी।

प्रश्न 12: ‘सिंधु-सभ्यता में खेती का उन्नत रूप भी देखने को मिलता है’ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- सिंधु-सभ्यता की खोज की शुरुआत में यह माना जा रहा था कि इस घाटी के लोग अन्न नहीं उपजाते थे। वे अनाज संबंधी जरूरतें आयात से पूरा करते थे, परंतु नयी खोजों से पता चला है कि यहाँ उन्नत खेती होती थी। अब कुछ विद्वान इसे मूलतः खेतिहर व पशुपालक सभ्यता मानते हैं। खेती में ताँबे व पत्थर के उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे। यहाँ रबी की फसल में गेहूँ, कपास, जौ, सरसों व चने की खेती होती थी। इनके सबूत भी मिले हैं। कुछ दिनों का विचार है कि यह ज्वार, बाजा और साग को उज भी हती थी। लोग खज्र खल्वे और अंगूर उगाते थे।

प्रश्न 13: लेखक ने मुअनजो-दड़ों शहर के टूटने या उजड़ने के बारे में क्या कल्पना की है?

उत्तर- लेखक का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी नहरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। लोग कुँओं के जल का प्रयोग करते थे। वर्षा भी पर्याप्त होती थी क्योंकि यहाँ खेती के भी खूब प्रमाण मिले हैं। लेखक का अनुमान है कि धीरे-धीरे वर्षा कम होने लगी होगी तथा यहाँ रेगिस्तान बनना प्रारंभ हुआ होगा। इसके साथ ही भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से जल की कमी होनी शुरू हो गई होगी। सिंधु-सभ्यता में जल का प्रबंधन व उपयोग बहुत समझदारी से किया जाता था। जल की निकासी, सामूहिक स्नानागार आदि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग जल का प्रचुर मात्रा में उपयोग करते रहे होंगे। प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण जल की कमी हो गई और सिंधु घाटी सभ्यता उजड़ गई।

प्रश्न 14: सिंधु-सभ्यता में नगर-नियोजन से भी कहीं ज्यादा सौंदर्य-बोध के दर्शन होते हैं।

‘अतीत में दबे पाँव’ पाठ में दिए गए तथ्यों के आधार पर जानकारी दीजिए।

उत्तर- यह कहा जा सकता है कि खुदाई में प्राप्त धातु और पत्थर की मूर्तियों, मृद्-भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु-पक्षियों की छवियाँ, सुंदर मुहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश-विन्यास और आभूषण आदि उस समय के लोगों के सौंदर्य-बोध के परिचायक हैं। इन सबसे कहीं ज्यादा सौंदर्य-बोध कराती है वहाँ की सुघड़ लिपि। यदि गहराई से सोचें तो वहाँ की प्रत्येक सुघड़ योजना भी तो सौंदर्य-बोध का ही एक प्रमाण प्रस्तुत करती है। ढँकी हुई पक्की नालियाँ बनाने के पीछे गंदगी से बचाव का जो उद्देश्य था वह भी तो मूल रूप से स्वच्छता और सौंदर्य का ही बोध कराता है। आवास की सुंदर व्यवस्था हो या अन्न भंडारण, सभी के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से सौंदर्य-बोध काम कर रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि सिंधु-सभ्यता में किसी भी अन्य व्यवस्था से ऊपर सौंदर्य-बोध ही था।

प्रश्न 15: ‘अतीत में दबे पाँव’ पाठ के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए।

उत्तर- ‘अतीत में दबे पाँव’ लेखक के वे अनुभव हैं, जो उन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों को देखते समय हुए थे। इस पाठ में अतीत अर्थात् भूतकाल में बसे सुंदर सुनियोजित नगर में प्रवेश करके लेखक वहाँ की एक-एक चीज से अपना परिचय बढ़ाता है। उस सभ्यता के अतीत में झाँककर वहाँ के निवासियों और क्रियाकलापों को अनुभव करता है। वहाँ की एक-एक स्थूल चीज से मुखातिब होता हुआ लेखक चकित रह जाता है। वे लोग कैसे रहते थे? यह अनुमान आश्चर्यजनक है। वहाँ की सड़कें, नालियाँ, स्तूप, सभागार, अन्न भंडार, विशाल स्नानागार, कुएँ, कुंड और अनुष्ठान गृह आदि के अतिरिक्त मकानों की सुव्यवस्था देखकर लेखक महसूस करता है कि जैसे अब भी वे लोग वहाँ हैं। उसे सड़क पर जाती हुई बैलगाड़ी से रुनझून की ध्वनि सुनाई देती है। किसी खंडहर में प्रवेश करते हुए उसे अतीत के निवासियों की उपस्थिति महसूस होती है। रसोईघर की खिड़की से झाँकने पर उसे वहाँ पक रहे भोजन की गंध भी आती है। यदि इन लोगों की सभ्यता नष्ट न हुई होती तो उनके पाँव प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ रहे होते और आज भारतीय उपमहाद्वीप महाशक्ति बन चुका होता। मगर दुर्भाग्य से ये प्रगति की ओर बढ़ रहे पाँव अतीत में ही दबकर रह गए। इसलिए ‘अतीत में दबे पाँव’ शीर्षक पूर्णतः सार्थक और सटीक है।

प्रश्न 16: ‘अतीत में दबे पाँव’ पाठ का प्रतिपाद्य बताइए।

उत्तर- यह पाठ ‘यात्रा-वृत्तांत’ और ‘रिपोर्ट’ का मिला-जुला रूप है। यह पाठ विश्व-फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है, जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर-मुअनजो-दड़ो और हड़प्पा-बसे थे। लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृद्-भांडों, कुआँ-तालाबों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव-संस्कृति की उस समझदार-भावात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज-खोज कर हमें दिखाया है जिससे हम

इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास-बोध से तर होते हैं। सिंधु-सभ्यता के सबसे बड़े शहर मुअनजो-दड़ो की नगर-योजना दर्शकों को अभिभूत करती है। वह आज की सेक्टर-माका कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज्यादा रचनात्मक थी क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसित होने का अवकाश भी छोड़कर चलती थी। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिहनों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक-धार्मिक-राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। उसमें भव्यता थी, पर आडंबर नहीं था। उसकी खूबी उसका सौंदर्य-बोध था जो राजपोषित या धर्मपोषित न होकर समाजपोषित था। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिहनों को आधुनिक व्यवस्था के विकास-अभियानों की भेंट चढ़ाते जाना भी लेखक को कचोटता है।

डायरी के पन्ने

ऐन फ्रैंक

जीवन परिचय- ऐन फ्रैंक का जन्म 12 जून, 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहा। इनकी मृत्यु फरवरी या मार्च, 1945 में नाजियों के यातनागृह में हुई। ऐन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। यह डायरी मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। सन 1952 में इसका अंग्रेजी अनुवाद 'द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल' शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक पर आधारित अनेक फिल्मों, नाटकों, धारावाहिकों इत्यादि का निर्माण हो चुका है।

डायरी के बारे में

यह डायरी डच भाषा में 1947 ई० में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद यह 'द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल' शीर्षक से 1952 ई० में प्रकाशित हुई। यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात् अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, बल्कि सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं। यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले परिवर्तनों से पूरी तरह अछूती भी है।

इस पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है "इस डायरी में भय, आतंक, भूख, मानवीय संवेदनाएँ, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, तेरह साल की उम्र के सपने, कल्पनाएँ, बाहरी दुनिया से अलग-थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हँसी-मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए

जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है।” द्वितीय विश्व-युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएँ सहनी पड़ी थीं। उन्होंने गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन-रक्षा की। जर्मनी के शासक ने गैस-चेंबर व फ़ायरिंग स्क्वायड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा।

ऐसे समय में दो यहूदी परिवार दो वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। इनमें एक फ्रैंक परिवार था, दूसरा वान दंपति। ऐन ने गुप्त आवास में बिताए दो वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा। यह डायरी दो जून, 1942 से पहली अगस्त, 1944 तक लिखी गई। चार अगस्त, 1944 को किसी की सूचना पर ये लोग पकड़े गए। 1945 में ऐन की अकाल मृत्यु हो गई। ऐन ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करके डायरी लिखा जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी।

पाठ का सारांश

बुधवार, 8 जुलाई, 1942

इस दिन ऐन फ्रैंक गुप्त आवास यर जाने के विषय में लिखती है। उसकी बड़ी बहन को ए०एस०एस० से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्त आवास यर जाने की तैयारी करते हैं। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था ऐन ने अपने बैले में अजीबोगरीब चीजे भर डालीं। उसने सबसे पहले अपनी डायरी रखी। क्योंकि लेखिका के लिए स्मृतियों पोशाकों को तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थीं। ऐन व वानदान के परिवार वाले गुप्त आवास की व्यवस्था करते हैं।

गुरुवार, 9 जुलाई, 1942

इस दिन वे अपने छुपने के स्थान पर पहुंचते हैं। यह गुप्त आवास उसके पिता का अक्तिस है। वह घर के कमरों के बारे में बताती है। यह भवन गोदाम व मंडारघर के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ इलायची, लौंग और जाली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ बाहर का दरवाजा है जी अक्तिस का प्रवेश न्दूचार है। सीढियाँ चढ़कर उपर पहुंचने यर एक और द्वार है जिस पर शीशे की खिड़की है जिस पर काला शीशा लगा हुआ है। इस पर ‘कार्यालय’ लिखा है। इसी कमरे में दिन के समय पोप, मिएप व मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। एक छोटे-से गलियारे में दमधोटू अँधियारे रने युक्त एक छोटा-सा कमरा बैंक ऑफिस है। यही मिस्टर डालर व चानदान बैठते थे। मिस्टर कुगलर के अगैटेफस से निकलकर तंग गलियारे में प्राइवेट अक्तिस है। नीचे की सीढियों वाले गलियारे रने दूसरी मजिल क्रो रास्ता है जो गली की तरफ खुलता है। यही पर ऐन फ्रैंक व उसका परिवार रहता है।

शुक्रवार, 10 जुलाई, 1942

इस दिन ऐन गुप्त आवास के पहले दिन का वर्णन करती है। यहाँ पहुँचने पर उसकी माँ व वहन बुरी तरह थक जाती हैं। ऐन और उसके पिता अपने नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास

करते हैं। वे भी बुरी तरह थक जाते हैं। बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत नहीं थी कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका था।

शनिवार, 28 नवंबर, 1942

वह बताती है कि इन दिनों वे बिजली और राशन ज्यादा खर्च कर चुके हैं। उन्हें और किरायात करनी होगी ताकि बिजली का कट न लगे। साढ़े चार बजते ही अँधेरा हो जाता है। उस समय पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे समय में वे ऊल-जुलूल हरकतें करके गुजारते हैं। दिन में परदे नहीं हटा सकते थे। अँधेरा होने के बाद परदे हटाकर पड़ोस में ताँक-झाँक कर लेते थे। लेखिका डसेल के बारे में बताती है कि वे बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। उनके भाषण सुनकर वह बोर हो जाती है। वह उनकी अनुशासन-संबंधी बातें नहीं सुनती। वे चुगलखोर हैं। वे सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे देते हैं और मम्मी से मुझे उपदेश सुनने पड़ते हैं। कभी-कभी मिसेज वान पाँच मिनट बाद उसे बुलवा लेती थी। हर समय डॉट-फटकार, दूत्कारा जाना आदि झोलना आसान नहीं होता। रात को बिस्तर पर लेटकर लेखिका अपनी कमियों व कार्यों के बारे में सोचती है तो उसे हँसी व रोना-दोनों आते हैं। वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती है।

शुक्रवार, 19 मार्च, 1943

एन बताती है कि तुकों के इंग्लैंड के पक्ष में न आने से हम नोट रहे थे। इससे कालाबाजारी को झटका लगेगा, साथ भूमिगत लोगों को नुकसान होगा क्योंकि वे इन सकते। गिएज एंड कंपनी के पास हजार गिल्डर के कुछ नोट हैं जिन्हें आगामी वर्षों निपटा दिया है। मिस्टर डसेल को कहीं से पैरों से चलने वाली दाँतों की डिल मशीन मिल गई है। पूरा चेकअप करवा लेगी। घर के कायदे-कानून के पालन में मिस्टर डसेल आलसी हैं। वे चालोंट व बनाए हुए हैं। मार्गोट उनके पत्रों को ठीक करती है। पापा ने उन्हें यह काम बंद करने का कहा। लेखिका जर्मन घायल सैनिक व हिटलर के बीच बातचीत को रेडियो पर सुनती है। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। उसी समय उसका पैर डसेल के साबुन पर पड़ गया और साबुन खत्म हो गया। उसने पापा से इसकी भरपाई करने को कहा क्योंकि युद्ध के समय महीने में घटिया साबुन की एक बट्टी मिलती थी।

शुक्रवार, 23 जनवरी, 1944

पिछले कुछ सप्ताहों से उसे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं से खासी रुचि हो गई है। वह मेहनत से स्कूल का काम करती है। वह रेडियो पर बी०बी०सी० की होम सर्विस को समझती है। वह रविवार को अपने प्रिय फ़िल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखने में गुजारती है। मिस्टर कुगलर उसके लिए 'सिनेमा एंड थियेटर' पत्रिका लाते हैं। परिवार के लोग इसे पैसे की बरबादी मानते हैं। बेप शनिवार को अपने ब्वाय फ्रेंड के साथ फ़िल्म देखने जाने की बात बताती है तो वह उसे पहले ही फ़िल्म के मुख्य नायकों व नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएँ बता देती है। मम्मी कहती है कि उसे सब याद है, इसलिए उसे फ़िल्म देखने की

जरूरत नहीं है। जब वह नयी केश-सज्जा बनाकर आती है तो सभी कहते हैं कि वह फ़्लॉ फिल्म स्टार की नकल कर रही है। वह कहती है कि यह उसका स्टाइल है तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं।

बुधवार, 28 जनवरी, 1944

ऐन कहती है कि तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी। परंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं है। प्रतिदिन उसे मम्मी या मिसेज वानदान के बचपन की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। उनके बाद डसेल अपने किस्से सुनाते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी पाँच लाइन पता होती है। एनेक्सी की हालत यह है कि यहाँ नया या ताजा सुनने-सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हमें उनकी तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ़्तार हो गए हैं तथा उनकी ख़ुशी में ख़ुशी होती है जो कैद से आजाद कर दिए गए हैं। कुछ लोग इन कष्ट-पीड़ितों की सहायता करते हैं। वे नकली पहचान-पत्र बनाते हैं, छिपे हैं तथा युवाओं के लिए काम खोजते हैं। ये लोग जान पर खेलकर दूसरों की मदद करते हैं।

बुधवार, 29 मार्च, 1944

ऐन कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोटके स्टीन के भाषण के बारे में लिखती है कि उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों व पन्नों का संग्रह किया जाएगा। वह अपनी डायरी छपवाने की बात कहती है। यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे। बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती हैं, पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 विमानों ने इज्मुईडेन पर 550 टन गोला-बारूद बरसाया तो उनका घर घास की पत्तियों की तरह काँप रहा था। ये खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी।

लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। चोरी-चकारी बहुत बढ़ गई है। लोग पाँच मिनट के लिए अपना घर नहीं छोड़ पाते। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। एक हफ़्ते का राशन दो दिन भी नहीं चल पाता। बच्चे भूख व बीमारी से बेहाल हैं। फटे-पुराने कपड़ों व जूतों से काम चलाना पड़ता है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं।

मंगलवार, 11 अप्रैल, 1944

ऐन बताती है कि शनिवार के दिन दो बजे के आस-पास तेज गोलीबारी शुरू हुई। रविवार दोपहर के समय पीटर उसके पास आया। वह उसके साथ बातें करती है। दोनों मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना भी बनाते हैं। उसी रात को उनके घर में सेंधमारी की घटना भी हुई थी। गुप्त रहने की मजबूरी में घटी इस घटना ने सभी आठ लोगों को हिलाकर रख दिया।

मंगलवार, 13 जून, 1944

ऐन बताती है कि आज वह पंद्रह वर्ष की हो गई है। उसे पुस्तकें, चड्ढयाँ, बेल्ट, रूमाल, दही, जैम, बिस्कुट, ब्रेसलेट, मीठे मटर, मिठाई, लिखने की कापियाँ आदि अनेक उपहार मिले हैं। मौसम खराब है तथा हमले जारी हैं। वह बताती है कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गाँवों में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता। वह उन्हें जन्मजात बहादुर कहती है। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए थे। हॉलैंडवासी सिर्फ अपनी आजादी के लिए ब्रिटिशों का सहयोग चाहते थे, कब्जा नहीं। वह कहती है कि इन मूर्खों को यह पता नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता।

जर्मन व ब्रिटेन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन रक्षक है तो जर्मनी आक्रांता। ऐन अपनी कमजोरी जानती है तथा खुद को बदलना चाहती है। लोग उसे अक्खड़ समझते हैं। मिसेज वान दान और डसेल जैसे जड़ बुद्ध उस पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। मिसेज वान दान उसे अक्खड़ समझती है क्योंकि वह उससे भी अधिक अक्खड़ है। वह स्वयं को सबसे अधिक धिक्कारती है। वह माँ के उपदेशों से मुक्ति पाने के बारे में सोचती है। उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता और वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश में है। वह पीटर के बारे में बताती है। पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है।

ऐन भी उसकी दीवानी है। वह उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा व भला लड़का है, परंतु उसकी धार्मिक तथा खाने-संबंधी बातों से वह नफरत करती है। उन्होंने कभी न झगड़ने का वायदा किया है। वह शांतिप्रिय, सहनशील व बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह ऐन की गलत बातों को भी सहन कर लेता है। वह कोशिश करता है कि अपने कामों में सलीका लाए तथा अपने ऊपर आरोप न लगने दे। वह अधिक घुन्ना है। वे दोनों भविष्य, वर्तमान व अतीत की बातें करते हैं। ऐन काफी दिनों से बाहर नहीं निकली। अब वह प्रकृति को देखना चाहती है। एक दिन गर्मी की रात में साढ़े ग्यारह बजे उसने चाँद देखने की इच्छा की, परंतु चाँदनी अधिक होने के कारण वह खिड़की नहीं खोल सकी। आखिरकार बरसात के समय खिड़की खोलकर तेज हवाओं व बादलों की लुका-छिपी को देखा। यह अवसर डेढ़ साल बाद मिला था।

प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल व जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादलों, चाँद और तारों की तरफ देखकर उसे शांति व आशा मिलती है। प्रकृति शांति पाने की रामबाण दवा है और यह उसे विनम्रता प्रदान करती है। ऐन पुरुषों और औरतों के अधिकारों के बारे में बताती है। उसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता के अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया। औरतें इस स्थिति को बेवकूफी के कारण सहन करती आ रही हैं। अब समय बदल गया है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आँखें खोल दी हैं। कई देशों ने उनको बराबरी का हक दिया है। आधुनिक औरतें अब बराबरी चाहती हैं।

औरतों को भी पुरुषों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें सैनिकों जैसा दर्जा व सम्मान मिलना चाहिए। युद्ध में वीर को तकलीफ़, पीड़ा, बीमारी व यातना से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ़ बच्चा पैदा करते वक़्त औरत सहती है। बच्चा पैदा करने के बाद औरत का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मानव-जाति की निरंतरता औरत से है। वह सैनिकों से ज्यादा मेहनत करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि औरतें बच्चे उत्पन्न करना बंद कर दें। प्रकृति यह कार्य चाहती और उन्हें यह कार्य करते रहना चाहिए। वह उन व्यक्तियों की भत्सना करती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

वह पोल दे कूड़फ़ से पूर्णतः सहमत है कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं-वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों को औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ों से कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा। ऐन का विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: 'यह साठ लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़, जो नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की की है।' इल्या इहरनबुर्ग की इस टिप्पणी के सदर्थ में पठित अंशों पर विचार करें।

उत्तर- इल्या इहरनबुर्ग ने जो कहा वह बिलकुल सही कहा। यहूदियों की संख्या 60 लाख थी। सभी जुल्म सहने को मजबूर थे। किसी में विरोध करने का साहस नहीं था। लेकिन 13 वर्ष की लड़की ऐन फ्रैंक ने यह साहस किया। नाजियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को लिपिबद्ध किया। यह डायरी नाजियों की क्रूर मानसिकता का परिचय देती है। अकेली लड़की ने कुछ पृष्ठों के द्वारा 60 लाख यहूदियों का प्रतिनिधित्व किया। एक ऐसी आवाज़ यहूदियों के पक्ष में बोली जो इस सारे यंत्रणाओं की खुद स्वीकार थी। ऐन फ्रैंक की आवाज़ किसी भी संत या कवि की आवाज़ से कहीं अधिक सशक्त है।

प्रश्न 2: 'काश, कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गभीरता से समझ पाता। अफसोस, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला।' क्या आपको लगता है कि ऐन के इस कथन में उसके डायरी-लेखन का कारण छिपा है?

उत्तर- ऐन एक साधारण लड़की थी। वह अपनी पढ़ाई सामान्य ढंग से करती थी, परंतु उसे सबसे अक्खड़ माना जाता था। उसे हर समय डॉट-फटकार सहनी पड़ती थी। वह एक जगह लिखती भी है-"मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएँ, विचार, आशय तथा डॉट-फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी नयी कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ।" एक अन्य स्थान पर वह लिखती

हैं-“लोग मुझे अभी भी इतना नाकघुसेड़ और अपने आपको तीसमारखाँ समझने वाली क्यों मानते हैं?” वह यह भी लिखती है-“कोई मुझे नहीं समझता” इस प्रकार ऐन की टिप्पणियों से पता चलता है कि अज्ञातवास में उसे समझने वाला कोई नहीं था।

वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती थी, परंतु फिर किसी-न-किसी के गुस्से का शिकार हो जाती थी। उपदेशों, हिदायतों से वह उकता चुकी थी तथा अपनी भावनाएँ ‘किट्टी’ नामक गुड़िया के माध्यम से व्यक्त की। हर मामले पर उसकी अपनी सोच है चाहे वह मिस्टर डसेल का व्यक्तित्व ही या महिलाओं के संबंध में विचार। अकेलेपन के कारण ही उसने डायरी में अपनी भावनाएँ लिखीं।

प्रश्न 3: ‘प्रकृति-प्रदत्त प्रजनन-शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या न करें अथवा कितने बच्चे पैदा करें। इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व-व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व-विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की हैं।’ ऐन की डायरी के 13 जून, 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के सदर्थ में इस कथन का औचित्य ढूँढें।

उत्तर- पूरे विश्व में पुरुषों का वर्चस्व रहा है। पुरुषों ने सदा ही औरतों पर अधिकार किया है। उन्होंने औरतों पर इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि औरतें उनसे कमजोर हैं। पुरुष का काम कमाई करना है जबकि स्त्री का कार्य बच्चे पैदा करना और उन्हें पाल-पोसकर बड़ा करना है। पुरुष औरत से शारीरिक संतुष्टि की अपेक्षा रखता है। इस शारीरिक आनंद में। यदि औरत गर्भवती हो जाए तो पुरुष कहता है कि बच्चा पैदा कर लो। केवल अपने स्वार्थ के लिए पुरुषों ने औरतों पर अन्याय किया है। जो अधिकार प्रकृति ने औरत को दिया उसका अनुचित लाभ पुरुष ने उठाया है। इस कारण पूरे विश्व में जनसंख्या की समस्या बढ़ी है।

प्रश्न 4: ‘डायरी के पन्ने’ पाठ के आधार पर बताइए कि ऐन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है।

उत्तर- ऐन फ्रैंक की डायरी से हमें उसके जीवन व तत्कालीन परिवेश का परिचय मिलता है। इसमें ऐतिहासिक दूरितीय विश्व युद्ध की घटनाओं, नाजियों के अत्याचारों आदि का वर्णन मिलता है, साथ ही ऐन के निजी सुरद्र-दुख व भावनात्मक क्षण भी व्यक्त हुए हैं। ऐन ने यहूदी परिवारों की अकथनीय यंत्रणाओं व पीडाओं का चित्रण किया है। लये अरसे तक गुप्त स्थानों पर छिपे रहना, गोलीबारी का आतंक, भूख, गरीबी, बीमारी, मानसिक तनाव, जानवरों जैसा जीवन, चारी का भय, नाजियों का आतंक आदि अमानवीय दृश्य मिलते हैं। साथ ही ऐन का अपने परिवार, विशेषता माँ और सहयोगियों से मतभेद, डॉट...फटकार, खीझ, निराशा, एकांत का दुख, दूसरों द्वारा स्वयं पर किए गए आक्षेप, प्रकृति के लिए बेचैनी, पीटर के साथ संबंध आदि का वर्णन मिलता है। उसके व्यक्तिगत सुख-दुख भी इन पृष्ठों में युद्ध की विभीषिका में एकमेक हो गए हैं। इस

प्रकार यह डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज होते हुए भी ऐन के व्यक्तिगत सुख-दुख और भावनात्मक उथल-पुथल को व्यक्त करती है।

प्रश्न 5: ऐन ने अपनी डायरी 'किट्टी' (एक निजीव गुड़िया) को संबोधित चिट्ठी की शकल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी?

उत्तर- ऐन ने अपनी डायरी की प्रत्येक चिट्ठी किट्टी अपनी गुड़िया को संबोधित करके लिखी। उसे यह संबोधित करने की जरूरत इसलिए पड़ी होगी ताकि गोपनीयता बनी रहे। यदि यह डायरी कभी पुलिस के हाथ लग भी जाए तो पुलिस इसे बच्चों की डायरी समझे और ऐन फ्रैंक को छोड़ दे। दूसरी बात यह है कि ऐन को अपने जीवन में कभी कोई सच्चा मित्र नहीं मिला। उसे कभी कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी भावनाओं को समझता। उसके बारे में सोचता और उसके दुख-सुख के बारे में उससे बातें करता। शायद इसलिए भी उसने अपनी चिट्ठियाँ अपनी निर्जीव गुड़िया को संबोधित की हैं। इसे भी जानें बादरोलसन, 26 नवंबर (एपी), नाजी यातना शिविरों का रौंगटे खड़े करने वाला चित्रण कर दुनिया भर में मशहूर हुई ऐन फ्रैंक का नाम हॉलैंड के उन हजारों लोगों की सूची में महज़ एक नाम के रूप में दर्ज है जो यातना शिविरों में बंद थे।

प्रश्न 6: ऐन की डायरी से उसकी किशोरावस्था के बारे में क्या पता चलता है। 'डायरी के पन्ने' कहानी के आधार पर लिखिए।

उत्तर- ऐन की डायरी किशोर मन की ईमानदार अभिव्यक्ति है। इससे पता चलता है कि किशोरों को अपनी चिट्ठियों और उपहारों से अधिक लगाव होता है। वे जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे बड़े लोग नकारते रहते हैं, जैसे ऐन का केश-विन्यास जो फ़िल्मी सितारों की नकल करके बनाया जाता था। इस अवसर पर बड़ों द्वारा बात-बात पर कमी निकाली जाती है या किशोरों को टोका जाता है। यह बात किशोरों को बहुत ही नागवार गुजरती है। किशोर बड़ों की अपेक्षा अधिक ईमानदारी से जीते हैं। इन्हें जीने के लिए सुंदर, स्वस्थ वातावरण चाहिए। किशोरावस्था में ऐन की भाँति हम सभी अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

प्रश्न 7: 'ऐन की डायरी उसकी निजी भावनात्मक उथल-पुथल का दस्तावेज भी है। इस कथन की विवेचना कीजिए।

उत्तर- ऐन को अज्ञातवास के दो वर्ष डर व भय में गुज़ारने पड़े। यहाँ उसे समझने व सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ रहने वाले लोगों में वह सबसे छोटी थी। इस कारण उसे सदैव डाँट-फ़टकार मिलती थी। यहाँ उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं मिलता। वह अपने सारे व्यक्तिगत अनुभव व मानसिक उथलपुथल को डायरी के पले पर लिखती है। इस तरह यह डायरी उसकी निजी भावनात्मक उथल-पुथल का दस्तावेज भी है।

प्रश्न 8: ऐन फ्रैंक कौन थी। उसकी डायरी इतनी क्यों प्रसिद्ध है?

उत्तर- ऐन फ्रैंक एक यहूदी परिवार की लड़की थी। हिटलर के अत्याचारों से उसे भी अन्य यहूदियों की तरह अपना सावन बचाने के लिए दो वर्ष से अधिक समय तक अज्ञातवास में रहना

पडा। इस दौरान उसने अज्ञातवास की पीडा, भय, आतंक, प्रेम, घृणा, हवाई हमले का डर, किशोरावस्था के सपने, अकेलापन, प्रकृति के प्रति संवेदना, युद्ध को पीडा आदि का वर्णन अपनी डायरी में किया है। यह डायरी यहूदियों के खिलाफ अमानवीय दमन का पुख्ता सबूत है। इस कारण यह डायरी प्रसिद्ध है।

प्रश्न 9: ऐन की डायरी के माध्यम से हमारा मन सभी युद्ध-पीड़ितों के लिए कैसा अनुभव करता है? 'डायरी के पन्ने कहानी के आधार पर बताइए।

उत्तर- ऐन की डायरी में युद्ध-पीड़ितों की ऐसी सूक्ष्म पीड़ाओं का सच्चा वर्णन है जैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। ह से पीड़ितों के प्रति हमारा मन करुणा और दया से भर जाता है। मन में हिंसा और युद्ध के प्रति घृणा का भाव आता है। हम सोचते हैं कि युद्ध, विजेता और पराजित दोनों पक्षों के लिए ही आघात तथा पीडा देने वाला होता है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी नागरिकों के नन्हे बच्चों को कितना भटकना पड़ता है, यह पीडा की पराकाष्ठा है। यदि ऐन के साथ ऐसा बुरा व्यवहार न हुआ होता तो उसकी इस तरह अकाल मृत्यु न हुई होती। ऐन के परिवार के साथ जैसा हुआ वैसा न जाने कितने लोगों के साथ हुआ होगा। इसलिए वे लोग, जो युद्ध का कारण बनते हैं, ऐन की डायरी पढ़कर उसे अपने प्रति अनुभव करके देखें।

प्रश्न 10: 'डायरी के पन्ने' पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि ऐन फ्रैंक बहुत प्रतिभाशाली तथा परिपक्व थी?

उत्तर- ऐन फ्रैंक की प्रतिभा और धैर्य का परिचय हमें उसकी डायरी से मिलता है। उसमें किशोरावस्था की झलक कम और सहज शालीनता अधिक देखने को मिलती है। उसकी अवस्था में अन्य कोई भी होता तो विचलित एवं बेचैनी का आभास देता। ऐन ने अपने स्वभाव और अवस्था पर नियंत्रण पा लिया था। वह एक सकारात्मक, परिपक्व और सुलझी हुई सोच के साथ आगे बढ़ रही थी। उसमें कमाल की सहनशक्ति थी। अनेक बातों को, जो उसे बुरी लगती थीं, वह शालीन चुप्पी के साथ बड़ों का सम्मान करने के लिए सहन कर जाती थी। पीटर के प्रति अपने अंतरंग भावों को भी सहेजकर वह केवल डायरी में व्यक्त करती थी। अपनी इन भावनाओं को वह किशोरावस्था में भी जिस मानसिक स्तर से सोचती थी वह वास्तव में सराहनीय है। परिपक्व सोच का ही परिणाम था कि वह अपने मन के भाव, उद्गार, विचार आदि डायरी में ही व्यक्त करती थी। यदि ऐन में ऐसी सधी हुई परिपक्वता न होती तो हमें युद्ध काल की ऐसी दर्द-भरी कहानी पढ़ने को नहीं मिल सकती थी।

प्रश्न 11: 'डायरी के पन्ने' पाठ की लेखिका के ये शब्द- 'स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती हैं।'

उत्तर- इस बात को सिद्ध करते हैं कि डायरी-लेखन उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सिद्ध कीजिए। लेखिका के परिवार ने जैसे ही अज्ञातवास में जाने का निर्णय लिया, उसने सबसे पहले अपनी डायरी को बैग में रखा। इसके बाद उसने अनेक अजीबोगरीब चीजें बैग में डालीं।

उनमें से अधिकांश चीजें उसे उपहार में मिली थीं। उन उपहारों से जुड़ी स्मृतियाँ उसके लिए महत्वपूर्ण थीं। वह पोशाकों को कम महत्व देती थी। उसने अपनी सभी भावनाओं की अभिव्यक्ति डायरी में लिखी, जबकि परिवार में अन्य सदस्य भी थे। उसने परिवार, समाज, सरकार व अपने विचारों को डायरी में लिखा। इससे पता चलता है कि डायरी-लेखन उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

प्रश्न 12: 'डायरी के पन्ने' पाठ के आधार पर ऐन के व्यक्तित्व की तीन विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर- 'डायरी के पन्ने' पाठ के आधार पर ऐन के व्यक्तित्व की तीन विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

1. **चिंतक व मननशील** – ऐन का बौद्धिक स्तर बहुत ऊँचा है। वह नस्लवादी नीति के प्रभाव को प्रस्तुत करती है। उसकी डायरी भोगे हुए यथार्थ की उपज है। वह अज्ञातवास में भी अध्ययन करती है।
2. **स्त्री-संबंधी विचार** – ऐन स्त्रियों की दयनीय दशा से चिंतित है। वह स्त्री-जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती है। वह चाहती है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सम्मान दिया जाए। वह स्त्री-विरोधी पुरुषों व मूल्यों की भत्सना करना चाहती है।
3. **संवेदनशील** – ऐन संवेदनशील लड़की है। उसे बात-बात पर सबसे डॉट पड़ती है क्योंकि उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। वह लिखती भी है-“काश! कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ जाता।” अपनी डायरी में अपनी गुड़िया को वह पत्र लिखती है।

प्रश्न 13: ऐन फ्रैंक ने यातना भरे अज्ञातवास के दिनों के अनुभव को डायरी में किस प्रकार व्यक्त किया है?

उत्तर- द्वितीय विश्व-युद्ध के समय जर्मनी में यहूदी परिवारों को अकल्पनीय यातना सहन करनी पड़ी। उन्होंने उन दिनों नारकीय जीवन बिताया। वे अपनी जान बचाने के लिए छिपते फिरते रहे। ऐसे समय में दो यहूदी परिवारों को गुप्त आवास में छिपकर जीवन बिताना पड़ा। इन्हीं में से एक ऐन फ्रैंक का परिवार था। मुसीबत के इस समय में फ्रैंक के ऑफिस में काम करने वाले इसाई कर्मचारियों ने भरपूर मदद की थी। ऐन फ्रैंक ने गुप्त आवास में बिताए दो वर्षों के समय के जीवन को अपनी डायरी में लिपिबद्ध किया है। फ्रैंक की इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएँ, घृणा, प्रेम, बढ़ती उम्र की पीड़ा, पकड़े जाने का डर, हवाई हमले का डर, बाहरी दुनिया से अलग-थलग रहकर जीने की पीड़ा, युद्ध की भयावह पीड़ा और अकेले जीने की व्यथा है।

प्रश्न 14: 'डायरी के पन्ने' की युवा लेखिका ऐन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किस प्रकार द्वितीय विश्व-युद्ध में यहूदियों के उत्पीड़न को झेला?

उत्तर- ऐन फ्रैंक ने अपनी डायरी में इतिहास के सबसे दर्दनाक और भयप्रद अनुभव का वर्णन किया है। यह अनुभव उसने और उसके परिवार ने तब झेला जब हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएँ सहनी पड़ीं। ऐन और उसके परिवार के अलावा एक अन्य यहूदी परिवार ने गुप्त तहखाने में दो वर्ष से अधिक समय का अज्ञातवास बिताते हुए जीवन-रक्षा की। ऐन ने लिखा है कि 8 जुलाई, 1942 को उसकी बहन को ए०एस०एस० से बुलावा आया, जिसके बाद सभी गुप्त रूप से रहने की योजना बनाने लगे।

इसे भी जानें

नाजी दस्तावेजों के पाँच करोड़ पन्नों में ऐन फ्रैंक का नाम केवल एक बार आया है लेकिन अपने लेखन के कारण आज ऐन हजारों पन्नों में दर्ज हैं जिनका एक नमूना यह खबर भी है नाजी अभिलेखागार के दस्तावेजों में महज एक नाम के रूप में दर्ज है ऐन फ्रैंक बादरोलसेन, 26 नवंबर (एपी)। नाजी यातना शिविरों का रोंगटे खड़े करने वाला चित्रण कर दुनिया भर में मशहूर हुई ऐनी फ्रैंक का नाम हॉलैंड के उन हजारों लोगों की सूची में महज एक नाम के रूप में दर्ज है जो यातना शिविरों में बंद थे।

नाजी नरसंहार से जुड़े दस्तावेजों के दुनिया के सबसे बड़े अभिलेखागार एक जीर्ण-शीर्ण फ़ाइल में 40 नंबर के आगे लिखा हुआ है-ऐनी फ्रैंक। ऐनी की डायरी ने उसे विश्व में खास बना दिया लेकिन 1994 में सितंबर माह के किसी एक दिन वह भी बाकी लोगों की तरह एक नाम भर थी। एक भयभीत बच्ची जिसे बाकी 1018 यहूदियों के साथ पशुओं को ढोने वाली गाड़ी में पूर्व में स्थित एक यातना शिविर के लिए रवाना कर दिया गया था। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद डच रेडक्रॉस ने वेस्टरबोर्क ट्रांजिट कैंप से यातना शिविरों में भेजे गए लोगों संबंधी सूचना एकत्र करके इंटरनेशनल ट्रेसिंग सर्विस (आईटीएस) को भेजे थे।

आईटीएस नाजी दस्तावेजों का एक ऐसा अभिलेखागार है जिसकी स्थापना युद्ध के बाद लापता हुए लोगों का पता लगाने के लिए की गई थी। इस युद्ध के समाप्त होने के छह दशक से अधिक समय के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति विशाल आईटीएस अभिलेखागार को युद्ध में जिंदा बचे लोगों, उनके रिश्तेदारों व शोधकर्ताओं के लिए पहली बार सार्वजनिक करने जा रही है। एक करोड़ 75 लाख लोगों के बारे में दर्ज इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल अभी तक परिजनों को मिलाने, लाखों विस्थापित लोगों के भविष्य का पता लगाने और बाद में मुआवजे के दावों के संबंध में प्रमाण-पत्र जारी करने में किया जाता रहा है।

लेकिन आम लोगों को इसे देखने की अनुमति नहीं दी गई है। मध्य जर्मनी के इस शहर में 25.7 किलोमीटर लंबी अलमारियों और कैबिनेटों में संग्रहित इन फ़ाइलों में उन हजारों यातना शिविरों, बँधुआ मजदूर केंद्रों और उत्पीड़न केंद्रों से जुड़े दस्तावेजों का पूर्ण संग्रह उपलब्ध है।

किसी जमाने में थर्ड रीख के रूप में प्रसिद्ध इस शहर में कई अभिलेखागार हैं। प्रत्येक में युद्ध से जुड़ी त्रासदियों का लेखा-जोखा रखा गया है।

आईटीएस में ऐनी फ्रैंक का नाम नाजी दस्तावेजों के पाँच करोड़ पन्नों में केवल एक बार आया है। वेस्टरबोर्क से 19 मई से 6 सितंबर 1944 के बीच भेजे गए लोगों से जुड़ी फ़ाइल में फ्रैंक उपनाम से दर्जनों नाम दर्ज हैं। इस सूची में ऐनी का नाम, जन्मतिथि, एम्सटर्डम का पता और यातना शिविर के लिए रवाना होने की तारीख दर्ज है। इन लोगों को कहाँ ले जाया गया-वह कॉलम खाली छोड़ दिया गया है। आईटीएस के प्रमुख यूडो जोस्त ने पोलैंड के यातना शिविर का जिक्र करते हुए कहा-यदि स्थान का नाम नहीं दिया गया है तो इसका मतलब यह आशुविच था। ऐनी, उनकी बहन मार्गोट व उसके माता-पिता को चार अन्य यहूदियों के साथ 1944 में गिरफ़्तार किया गया था। ऐनी डच नागरिक नहीं, जर्मन शरणार्थी थी। यातना शिविरों के बारे में ऐनी की डायरी 1952 में 'द डायरी ऑफ़ ए यंग गर्ल' शीर्षक से छपी थी।